

नैतिक शिक्षा

भाग - २



■ श्रीराम शर्मा आचार्य

नैतिक शिक्षा

द्वितीय भाग



लेखक

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य



प्रकाशक :

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

फैक्स नं०- २५३०२००



पुनरावृत्ति सन् २०१०

मूल्य : ४२.०० रुपये

संदर्भ साहित्य—पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

१. ईश्वर कौन है ? कहाँ है ? कैसा है ?
२. क्या धर्म क्या अधर्म ?
३. हमारी वसीयत और विरासत
४. ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग
५. सफलता के सात सूत्र साधन
६. सफल जीवन के स्वर्णिम सूत्र
७. तुम महान हो
८. जिंदगी कैसे जिएँ ?
९. जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति
१०. घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण
११. मूढ़ मान्यता की भूल भुलैया में अटकें नहीं
१२. सभ्यता, सज्जनता और सुसंस्कारिता का अभिवर्धन
१३. बड़े आदमी नहीं महामानव बनें
१४. नया संसार बसाएँगे नया इंसान बनाएँगे
१५. सद्विचार ही मानवी प्रगति के प्रधान कारण
१६. नारी उत्थान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता
१७. इक्कीसवीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा ?
१८. सार्थक एवं समग्र शिक्षा का स्वरूप
१९. समग्र स्वास्थ्य संवर्धन कैसे ?
२०. क्या खाएँ ? क्यों खाएँ ? कैसे खाएँ ?

प्राप्ति स्थान—

युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट

गायत्री तपोभूमि, मथुरा-२८१००३

फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९

मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९

विषय-सूची

खंड-१

प्रगतिशील समाज व्यवस्था

१. अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान	९
२. उदार सहकारिता	१४
३. अध्यापक का गौरव और उत्तरदायित्व	२०
४. पर्दा प्रथा की अनीति	२६
५. प्रौढ़ों की साक्षरता	३१
६. व्यायाम और स्वास्थ्य शिक्षा	३६
७. अश्लीलता हमें पतित बना रही है	४१
८. आदर्श विवाह बिना फिजूलखर्ची	४६
९. बाल विवाह एक कुप्रथा	५४
१०. उच्च शिक्षित कन्या की विवाह समस्या	५८
११. विधुर और विधवाओं के समान अधिकार	६२
१२. विवेकपूर्ण मृतक भोज	६५
१३. भिक्षावृत्ति की समाप्ति	७०
१४. ढलती आयु का उपयोग	७५
१५. ज्ञानयज्ञ से नवनिर्माण	८०

खंड-२

राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण

१६. देशभक्त नवनिर्माण में जुटें	८७
१७. श्रम सम्मान एवं गृह उद्योगों की आवश्यकता	९२
१८. ऊँच-नीच मान्यता का अन्याय	९८
१९. अनीति असुरता के अन्याय को रोकें	१०३
२०. वोटों की सतर्कता	१११

२१. नारी उत्कर्ष हेतु प्रबुद्ध नारी आगे आँ	११६
२२. आततायी उद्दंडता का डटकर मुकाबला	१२४
२३. अन्न संकट की चुनौती का सामना	१२९
२४. वृक्षारोपण और हरीतिमा संवर्धन	१३६
२५. कला से भावनाओं का परिष्कार	१४२

खंड-३

धर्म और संस्कृति

२६. आस्तिकता और उपासना	१४५
२७. दैववाद और पूजा-अर्चा	१५१
२८. भूत पलित और उद्भिज देवी देवता	१५७
२९. धर्मतंत्र को प्रगतिशील बनाएँ	१६२
३०. मंदिर से आस्तिकता और सत्प्रवृत्तियाँ जगें	१६८
३१. साधु ब्राह्मण समाज का कर्तव्य और दायित्व	१७३
३२. गायत्री और यज्ञ भारतीय धर्म-संस्कृति के माता-पिता	१७८
३३. गायत्री यज्ञ आंदोलन	१८३
३४. प्राणियों के प्रति दया	१८८
३५. पशुबलि निषेध हो	१९३
३६. गौ संरक्षण की आवश्यकता	१९८

खंड-४

आध्यात्मिक जीवन

३७. कर्मफल का भोग अनिवार्य	२०३
३८. दुष्कर्मों के दंड और प्रायश्चित्त	२०८
३९. ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग की साधना	२१३
४०. आध्यात्मिक जीवन के पाँच कदम	२१९

प्राक्कथन

अपना देश हजार वर्ष की गुलामी से छूट चुका है। इस लंबी अवधि में उसे दयनीय उत्पीड़न में से गुजरना पड़ा है। यह दुर्दिन उसे अपनी हजार वर्ष से आरंभ हुई बौद्धिक भ्रांतियों, अनैतिक आकांक्षाओं और सामाजिक ढाँचे की अस्त-व्यस्तताओं के कारण सहना पड़ा, अन्यथा इतने बड़े, इतने बहादुर, इतने साधन-संपन्न देश को मुट्ठी भर आक्रमणकारियों का इतने लंबे समय तक उत्पीड़न न सहना पड़ता।

सौभाग्य से राजनैतिक स्वतंत्रता मिल गई। इससे अपने भाग्य को बनाने-बिगाड़ने का अधिकार हमें मिल गया। उपलब्धि तो यह भी बड़ी है, पर काम इतने भर से चलने वाला नहीं है। जिन कारणों से हमें वे दुर्दिन देखने पड़े, वे अभी भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। इन्हें हटाने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर कोई संकट बाहर या भीतर से खड़ा हो जाएगा और अपनी स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। व्यक्ति और समाज को दुर्बल करने वाली विकृतियों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा और जो अवांछनीय अनुपयुक्त हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसको बदले बिना काम नहीं चल सकता। साथ ही उन तत्त्वों का अपनी रीति-नीति में समावेश करना पड़ेगा, जो प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।

व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊँची उठ सकी थी। पिछले दिनों भी जिन देशों ने अपना भला-बुरा निर्माण किया है, उसमें शिक्षा को ही प्रधान साधन बनाया है। जर्मनी, इटली का नाजीवाद, रूस और चीन का साम्यवाद, जापान का उद्योगवाद, युगोस्लाविया, स्विटजरलैंड, क्यूबा आदि ने अपना विशेष निर्माण इसी शताब्दी में किया है। यह सब वहाँ की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने से ही संभव हुआ। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण बहुत करके उपलब्ध शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसा ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर करता है कि इसके नागरिक किस स्तर के हैं और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा-पद्धति पर निर्भर रहता है।

अपने देश की शिक्षा पद्धति कुछ अजीब है। यहाँ नौकरी भर कर सकने में समर्थ बाबू लोग ढाले जाते हैं। हर साल निकलने वाले इन लाखों छात्रों को नौकरी कहाँ मिले। वे बेकार घूमते हैं और लंबी-चौड़ी जो महत्वाकांक्षाएँ सँजोकर रखी गई थीं, उनकी पूर्ति न होने पर संतुलन खो बैठते हैं और तरह-तरह के उपद्रव करते हैं। अपना शिक्षित वर्ग, अशिक्षितों की अपेक्षा देश के लिए अधिक सिर दर्द बनता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा दोष शिक्षा पद्धति का है, जिसमें चरित्र गठन, भावनात्मक उत्कर्ष, विवेक का तीखापन तथा आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से केवल खोखलापन ही दीखता है।

सरकार का काम है कि वह राष्ट्र की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करे, पर इन दिनों जो स्थिति है उसे देखते हुए निकट भविष्य में ऐसी आशा कम ही की जा सकती है, फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जाए ? और जो कुछ चल रहा है उसे ही चलते रहने दिया जाए ? ऐसा उचित न होगा। हमें जनता के स्तर पर जन-सहयोग से ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो उपयुक्त प्रयोजन को पूरा करने में कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान कर सके। युग निर्माण योजना ने यही कदम उठाया है।

गायत्री तपोभूमि मथुरा में अवस्थित युग निर्माण योजना के अंतर्गत पिछले कई वर्ष से एक युग निर्माण विद्यालय चल रहा है। इसका प्रधान विषय जीवन जीने की कला, चरित्र गठन, मनोबल, विवेक-जागरण, समाज निर्माण जैसे तथ्यों का सांगोपांग शिक्षण और अभ्यास कराना है। साथ ही गृह उद्योगों का एक शिक्षण भी जुड़ा रखा गया है, जिसमें कोई सुशिक्षित व्यक्ति अपने निर्वाह के उपयुक्त समुचित आजीविका उपार्जन कर सके। मजदूरों को कड़ा परिश्रम करके थोड़े पैसे कमाकर भी गुजर करने की आदत रहती है, पर जिनका रहन-सहन सभ्य-समाज के उपयुक्त बन गया, उन प्रशिक्षितों से न तो उनका-सा कठिन शारीरिक श्रम हो पाता है और न कम पैसों में गुजर होती है। बेकारी का हल सार्वजनिक रीति से जापान ने निकाला है। वहाँ घर-घर में कुटीर-उद्योगों की विद्युत-संचालित छोटी मशीनें लगी हैं। अब बिजली बहुत सस्ती है, उसकी उपलब्धि सुलभ हो जाती है। उसका उपयोग करके शारीरिक श्रम बचाया जा सकता है और उत्पादन भी अधिक होता है।

युग निर्माण विद्यालय में ऐसे ही उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बिजली की विभिन्न मशीनों की मरम्मत, रेडियो, ट्रांजिस्टरों का निर्माण, सुगंधित तेल बनाना। प्रेस व्यवसाय के अंतर्गत कंपोज, छपाई, बाइंडिंग, रबड़ के मुहरें, व्यवस्था आदि प्रशिक्षणों का क्रम बहुत दिनों से चल रहा था। यह शिक्षितों को स्वावलंबन देने की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मुख्य विषय वही है, जिसके आधार पर जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, चरित्र गठन, मनोबल, देशभक्ति, लोक मंगल के लिए उमंग आदि सद्गुणों को सुविकसित किया जा सकता है। जो उत्साह वर्धक परिणाम इस प्रशिक्षण से निकले उनसे इस बात के लिए प्रेरणा दी, कि इस शिक्षा प्रणाली को अधिक परिष्कृत और व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए, तथा इसे मथुरा के छोटे विद्यालय तक सीमित न रखकर देश व्यापी बनाया जाए।

विचार यह किया है कि व्यक्ति निर्माण तथा समाज निर्माण के लिए आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षण व्यवस्था की जाए जो प्रस्तुत समस्याओं का समाधान कर सकने में समर्थ हो। आज का व्यक्ति अगणित कुत्साओं और कुंठाओं से घिरा हुआ हेय से हेयतर स्तर तक गिरता चला जा रहा है। लोगों की शिक्षा और संपदा बढ़ रही है, पर वे व्यक्तित्व की दृष्टि से उल्टे अधः पतित होते चले जा रहे हैं। समाज में सहयोग नहीं शोषण पनप रहा है। दिन-दिन अनैतिकता, अवाँछनीयता, उच्छृंखलता, अदूरदर्शिता एवं असामाजिकता की विघटनकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और भीतर ही भीतर अपनी संघ शक्ति खोखली होती जा रही है। न इस सामाजिक स्थिति में व्यक्ति को उत्साह मिल रहा है और न व्यक्ति मिल-जुल कर समाज का स्तर उठा रहे हैं। विनाश और विघटन बढ़ रहा है और भविष्य का क्षितिज अंधकार से घिरता चला जाता है। इसको रोकने के लिए ऐसी तीव्र विचार-पद्धति का विकास आवश्यक है जो जनमानस को झकझोर कर रख दे और विनाश की ओर बढ़ते कदमों को रोक कर उन्हें निर्माण की दिशा में अग्रसर करे।

ऐसा शिक्षण, शिक्षण-संस्थाओं में भी चलना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए। पर वर्तमान स्थिति में सरकार जिस दल-दल में

फँसी है, उससे उबरना ही उसे कठिन पड़ रहा है। ऐसे मौलिक सूझ-बूझ के साहस भरे कदम उठाने की फिलहाल तो उससे आशा नहीं करनी चाहिए। यह कार्य जन स्तर पर आरंभ किया जाए तो भी उसमें कुछ प्रगति हो सकती है। आरंभ यदि सही दिशा में किया जाए और उसका स्वरूप छोटा हो, तो भी अपनी उपयोगिता के कारण उसके आगे बढ़ने की बहुत संभावना रहेगी। युग निर्माण-योजना ने ऐसा ही साहस किया है।

यह विचार किया गया है कि युग निर्माण विद्यालय मथुरा का प्रयोग देश के सभी समान स्तर के विद्यालयों में लागू करने का प्रयास किया जाए। अतः यह प्रस्तावित है कि सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त युग निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर लागू करें। इसी प्रयोजन हेतु “युग निर्माण के आदर्श और सिद्धांत” पुस्तक की सहायता से यह पुस्तक पाठ्यक्रम के रूप में तैयार की गई है। इस पुस्तक के आधार पर नैतिक शिक्षा पर वार्षिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र स्वेच्छा से इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को “नैतिक शिक्षा निष्णात” का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

नैतिकता व्यक्ति के आचरण में परिलक्षित होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब नैतिक मूल्यों की जानकारी के साथ-साथ उसकी मानसिक और वैचारिक पृष्ठभूमि भी उच्च स्तर की हो। इस प्रकार के विकास में वातावरण का बहुत महत्त्व होता है। अतः नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाए जाने के साथ-साथ यह भी आवश्यक होगा कि विद्यालय में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जो विद्यार्थी के लिए प्रेरणापद हो, और इसे उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की तरफ आकर्षित करे।



अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान

सुविधाओं का लाभ उठाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। यह उत्पादित वस्तुएँ ही संपदा कहलाती हैं। सिक्का तो इस उत्पादन शक्ति का प्रतिनिधि मात्र है जिसे वस्तुओं के स्थानांतरण की सुविधा के लिए चलाया गया है। संपदा उत्पादन के तीन पक्ष हैं—(१) पूँजी (२) अनुभव (३) श्रम। इन तीनों को भले ही एक व्यक्ति जुटाए, पर काम इनकी सम्मिलित शक्ति से ही चलेगा। जीवन-यापन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अन्न से लेकर यंत्रों तक और शिल्पियों से लेकर व्यवस्थापकों तक विभिन्न स्तर के जड़-चेर्त्ने साधन जुटाने पड़ते हैं। यही संपदा उत्पादन का तंत्र हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सुविधाएँ जुटाने में समर्थ होता है।

इन दिनों उत्पादन क्षेत्र में दो प्रधान पक्ष हैं—(१) मालिक, (२) मजदूर। दोनों के उचित सहयोग से संपदा ठीक तरह उपजती है। जिनके पास पूँजी एवं अनुभव नहीं है, वे मजदूर अकेले कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। सहयोग के बिना दोनों की क्षमता व्यर्थ है। सरकारी व्यवस्था तंत्र भी छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अफसरों तक श्रमिकों की शृंखला में ही आते हैं। सरकार वेतन का तथा कर्म पद्धति का निर्धारण करती है, कर्मचारी श्रम करते हैं, दोनों का सहयोग, दोनों की सद्भावनाओं का तारतम्य घनिष्ठतम ही कहना पड़ेगा।

दुर्भाग्यवश इन दिनों मालिक और श्रमिक वर्ग में दिन-दिन खाई चौड़ी होती जा रही है और सहयोग के सूत्र शिथिल हो रहे हैं। उसका परिणाम उत्पादन की कमी के रूप में सामने आ रहा है और महँगाई बढ़ रही है। इसका दुष्परिणाम सभी को भुगतना पड़ रहा है और देश का अर्थतंत्र लड़खड़ाने लगा है। इस अवांछनीय स्थिति को रोका और सँभाला जाना ही चाहिए।

मालिकों को यह मानकर चलना चाहिए कि उनकी पूँजी और अनुभव का जितना श्रेय है, उससे ज्यादा मजदूर के परिश्रम का है। श्रम के बिना उसकी पूँजी और ज्ञान अपंग है, इसलिए उत्पादन में से उचित अंश को श्रमजीवी को भी दिया जाए। यह न्यायानुकूल है इसलिए दिया जाए और इसलिए भी दिया जाए कि आवश्यक सुविधाएँ मिलने पर ही श्रमिक अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता ठीक रख सकता है और उसी आधार पर अपना कर्तव्य ठीक तरह निभा सकता है। इसलिए उचित यही है कि लाभ का जितना अधिक अंश श्रमिक को दिया जा सकता हो, उतना उन्हें वेतन, बोनस अथवा अन्य सुविधाओं के रूप में दिया जाए और उनके सम्मान का उचित ध्यान रखा जाए।

दूसरी ओर श्रमिकों को भी पूर्ण सहयोग की भावना लेकर चलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उत्पादन बढ़ाकर वे समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। अपने इस कर्तव्य में किसी प्रकार की कमी लाकर देश को दुर्बल न बनने दें। उन्हें यह भी अनुभव करना चाहिए कि मालिक और मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परस्पर सहयोग के बिना दोनों की ही गाड़ी रुक जाएगी और उस अवरोध का दुष्परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ेगा।

आजाद हिंद सेना का एक साधारण जवान मर गया। आवश्यक काम बीच में रोककर सुभाषचंद्र बोस अंत्येष्टि के लिए चलने लगे, तो जनरलों ने कहा—मामूली बात है ? आप क्या करेंगे चलकर ? सुभाष बोले—जिस दिन अधिकारी अपना महत्त्व अधिक समझने लगेंगे, उस दिन छोटे न ठीक से अनुशासन में चलेंगे न बड़ों को आदर देंगे। वे अंत्येष्टि में उपस्थित हुए और मृतक को सलामी दी।

अधिकार की प्रधानता और कर्तव्य की उपेक्षा का जो घातक क्रम हर क्षेत्र में चल पड़ा है, उसने पारस्परिक सहयोग की नींव हिला दी है। असहयोग, घृणा और द्वेष की मनःस्थिति में न परिवार चल सकते हैं, न समाज की व्यवस्था ठीक रह सकती है और न उपार्जन के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। तनाव की स्थिति में हर वर्ग, हर पक्ष का नुकसान है। मनोमालिन्य और असंतोष के कोई कारण हों तो उन पर शांतचित्त से विचार विनिमय किया जाना चाहिए और उलझनों का एक दूसरे की

स्थिति को समझते हुए न्यायानुकूल ढंग से समाधान खोज लेना चाहिए, बुद्धिमत्ता इसी में है। अवरोध और तनाव पैदा करने में कोई भी घृणा-प्रचारक या भ्रम फैलाने वाला आसानी से सफल हो सकता है। बुद्धिमत्ता सहयोग के अभिवर्धन में है। सस्ती नेतागिरी लूटने और अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। उनकी करतूतें हर पक्ष को केवल हानि ही पहुँचा सकती हैं।

हर पक्ष को कर्तव्य को प्रधान मानकर चलना चाहिए। मनुष्यता और देशभक्ति इसी प्रकार के आचरण पर अवलंबित है। पग-पग पर अधिकार को आगे रखने और कर्तव्य को भुला देने से केवल विद्वेष ही बढ़ेगा और एक दूसरे को दुष्ट अनुभव करने लगेंगे। घृणा से घृणा बढ़ेगी और असहयोग से असहयोग। श्रमिक और मालिकों के बीच में इस प्रकार के असंतोष का बढ़ना, उस तंत्र को दुर्बल करेगा, जिसके वे दोनों अंग हैं। यह दुर्बलता अंततः सारे समाज के लिए कष्टकारक और दुःखदायी सिद्ध होगी। इसलिए सहयोग के आधार अधिक से अधिक घनिष्ठ संबंध बनाए जाने चाहिए और मतभेद तुरन्त हल न होते हों तो क्रमशः सुधारने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। भले ही इसमें थोड़ा समय लग जाए, पर सब मिलकर दोनों पक्षों को लाभ ही होगा और उस उत्पादन से लाभ उठाने वालों को भी राहत मिलेगी। इसलिए दूरदर्शिता तनाव पैदा करने में नहीं, एक दूसरे की कठिनाई को समझने और उचित समाधान ढूँढ़ने में ही केंद्रित करनी चाहिए।

दुकानदार अपने पैसे गिनने लगा, तो देखा उसमें कई छोटे सिक्के भी लोग धोखे में दे गए। वह सिक्के नाली में फेंकने लगा, तो पड़ोसी ने कहा-मूर्ख ! जैसे किसी ने तुझे धोखे में दिए हैं, तू भी ऐसे ही किसी को भेड़ दे। किंतु दुकानदार ने कहा-थोड़े से सिक्के कई लोगों को बेईमानी और धूर्तता सिखाएँ, उससे अच्छा तो छोटे सिक्कों को फेंक देना है। यह कहकर उसने सिक्के पानी में फेंक दिए।

किसी भी पक्ष को किसी भी हालत में अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं और रह सकते हैं, पर उन्हें सुलझाने का यह तरीका नहीं कि उत्तरदायित्वों से इनकार कर दिया जाए। जापान स्थित अमेरिकन फैक्ट्रियों में सप्ताह में दो दिन की छुट्टी की घोषणा की गई तो जापानी श्रमिकों ने उसका विरोध किया और कहा कि

हम काम का एक दिन घटाकर देश को उत्पादन के लाभ से वंचित नहीं कर सकते। द्वितीय महायुद्ध के बाद ध्वस्त चैकोस्लोवाकिया के श्रमिकों ने आठ घंटे के स्थान पर दस घंटे काम करने की हठ ठानी। यद्यपि मालिक इस पक्ष में न थे कि श्रमिक इतना अधिक काम करें, तो भी श्रमिकों के इस आग्रह की ही जीत हुई कि देश को जल्दी ही दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए वे हर रोज दो घंटे अधिक श्रम करेंगे। यही मनोवृत्ति हर क्षेत्र और वर्ग में रहनी चाहिए। वेतन लेना काम न करना, काम देने वाले को शोषक समझना और उसे हानि पहुँचाने की चेष्टा करना, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। कम सुविधाएँ मिलने की प्रतिक्रिया, व्यवस्था-तंत्र एवं कर्तव्य-धर्म को तोड़-फोड़ डालने में नहीं होनी चाहिए। उत्पादन न घटाते हुए, व्यवस्था न बिगाड़ते हुए और साधन-तंत्र को क्षति न पहुँचाते हुए भी, सत्याग्रह जैसे अनेक दवाब ऐसे हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

दोनों पक्ष एक दूसरे की कठिनाई को सहानुभूति और उदारता के साथ समझने की चेष्टा शांत चित्त से करें तो अधिकांश उलझनें सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती हैं। जोशीला दवाब डालकर अधिक लाभ प्राप्त करना भी अंततः निरर्थक ही साबित होता है। वेतन बढ़ाने पर बढ़ा हुआ टैक्स या महँगाई उस श्रमिक पर भी असर डालती है और बढ़ा हुआ वेतन उस नई मूल्य वृद्धि में चला जाता है। इसलिए श्रमिक का हित केवल इतने में ही नहीं है कि उसका वेतन-मान बढ़ता चले। दूसरा पक्ष यह भी सोचना होगा कि महँगाई न बढ़े, उत्पादन न गिरे अन्यथा वेतन वृद्धि का क्या लाभ मिलेगा ? कर्तव्य में ढील न डालने और भरपूर श्रम करने में ही देशभक्ति और लोकमंगल की भावना सन्निहित है और उसे हर नागरिक को पूरी ईमानदारी से निबाहना चाहिए, चाहे वह मालिक हो या श्रमिक।

एक आदमी ने एक बिल्ली पाल रखी थी, उसे वह दूध पिलाता था। दूध के लालच में दूसरी बिल्लियाँ भी आ जाती थीं, उन्हें भगाने के लिए एक कुत्ता भी पाल लिया। कुत्ता दूसरी बिल्लियों को देखते ही धर पटकता। एक दिन अँधेरे में उसने घर वाली बिल्ली भी दबोच दी। यह देखकर वह आदमी बड़ा दुःखी हुआ। उस दिन गाँव में नानक पधारे, तो उसने अपना दुःख कहा। नानक बोले-अपने-पराए का भेदभाव

रखने से यही दुःख होता है। उससे बचने के लिए सबके साथ समता का भाव रखा करो।

श्रम और कर्तव्य की उपेक्षा का जो दौर इन दिनों चल पड़ा है वह राष्ट्र के भविष्य को उज्ज्वल नहीं बनने देगा। अधिकार की प्रधानता तक ही हमारा दृष्टिकोण सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन् अधिक ध्यान ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करने पर केंद्रित करना चाहिए। सामने वाला पक्ष गलती करता है तो हम क्यों करें ? हम उसके स्तर तक क्यों गिरें ? इस उदात्त भावना से ही श्रम-समस्या का हल हो सकता है और इसी आधार पर राष्ट्रीय संपत्ति तथा मानवीय सुख-सुविधाओं का अभिवर्धन हो सकता है।

प्रश्न

१. उत्पादन के प्रमुख पक्ष कितने हैं और कौन-कौन हैं ?
२. उत्पादन में उचित अंश श्रमजीवी को देना क्यों आवश्यक है ?
३. कर्तव्य की उपेक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए ?
४. मनुष्यता एवं देश भक्ति का सहज प्रमाण क्या है ?
५. मतभेद सुलझाने का सही तरीका क्या है ?
६. उदात्त भावना का क्या तात्पर्य है ?
७. अधिकार से अधिक कर्तव्य का महत्त्व क्यों है ?
८. जापान स्थित अमेरिकन फैक्ट्रियों के श्रमिकों ने काम के दो घंटा कम करने का सुझाव क्यों नहीं माना ?
९. श्रमिक एवं स्वामी के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए समस्या का यथार्थ हल सुझाइए ?



उदार सहकारिता

अकेला व्यक्ति कितना ही प्रतिभावान क्यों न हो, अपने ही बल-बूते पर बहुत कुछ नहीं कर सकता। हाथी, सिंह, घोड़ा, गुरिल्ला आदि बलवान जानवर भी अपनी शक्ति से केवल अपना निर्वाह ही कर सकते हैं। समग्र प्रगति तो हमेशा सम्मिलित शक्ति से ही होती है। मनुष्य ने अन्य जीवों की तुलना में जो असाधारण प्रगति की है, उसका प्रधान कारण उसकी बुद्धिमत्ता ही नहीं, दूरदर्शिता भी है, जिसके आधार पर सहकारिता की शक्ति को उसने पहचाना और मिल-जुलकर काम करने के लिए तैयार हो गया। यदि एकाकी जीवन पर ही उसका विश्वास रहा होता, संयुक्त प्रयत्नों की दिशा में उसकी प्रगति न मुड़ी होती तो सृष्टि के अनेक मानसिक क्षमता संपन्न प्राणियों की तरह मनुष्य भी केवल अपने शरीर निर्वाह मात्र की समस्याएँ सुलझाने तक सीमित रह गया होता।

सहकारिता की प्रवृत्ति में आध्यात्मिक आदर्श जुड़े हुए हैं। मिल-जुलकर कमाना, मिल-जुलकर खाना, मिल-जुलकर रहना, मिल-जुलकर पारस्परिक समस्याओं को सुलझाना और मिल-जुलकर दुःख-सुख के भार को बाँट लेना, यह उदार हृदय अपनेपन को व्यापक बना सकने वाले सद्भाव संपन्न मनुष्यों के लिए ही संभव है। आध्यात्मिक आदर्श हमें इसी दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रकाश देते और प्रोत्साहित करते हैं। अपनी ही समस्याओं में उलझा, अपनी ही प्रगति और सुख-सुविधा चाहने वाला आप ही कमाने और आप ही खाने वाला, अपनी ही चिंता में डूबा रहने वाला व्यक्ति संस्कृत में 'कृपण' और लौकिक भाषा में 'स्वार्थी' कहा जाता है। स्वार्थी व्यक्ति कितना ही संपन्न क्यों न हो, लोगों की दृष्टि में घृणास्पद ही बना रहेगा।

लड़का मचल रहा था, मैं तो अपनी गृहस्थी लेकर अलग रहूँगा। अपनी उन्नति आप करूँगा। पिता ने कहा-ठीक है, कल व्यवस्था कर दूँगा। आज की इस घर की सफाई तो कर डालो और एक सींक उसके हाथ में दे दी। लड़का खीझकर बोला-कहीं एक सींक से सफाई होती है ? बुहारी हो तो लगाऊँ। पिता बोला-बेटा ! जिस तरह एक अकेली सींक सफाई नहीं कर सकती, उसी प्रकार एक अकेला व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता। सबको मिल-जुलकर ही काम करना चाहिए।

सम्मिलित शक्ति का महत्त्व हम सभी जानते हैं। कमजोर सींक एकाकी होने पर अति दुर्बल होती है, जरा-से आघात से टूट सकती है, पर उन्हें इकट्ठा करके बनाई गई बुहारी झाड़ने-बुहारने का महत्त्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध करती है। सूत के कच्चे धागे क्या सामर्थ्य रखते हैं ? पर जब वे इकट्ठे हो जाते हैं तो इतना मजबूत रस्सा बन जाता है, जो हाथी को बाँध सके। बूँद इकट्ठी होने से समुद्र बना है। अणुओं का पारस्परिक संगठन विशालकाय पर्वत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। एक दिशा में साथ-साथ उड़ने वाली टिट्टियाँ गजब के करतब दिखाती हैं। मधुमक्खियों की सहकारिता शहद का भंडार जमा करने में सफल होती है। अनुशासित और संघबद्ध सैनिक आक्रमणकारी शत्रुओं के दाँत खट्टे करते हैं, किंतु यदि उपरोक्त तत्त्व एकाकी बिखरे पड़े हों, कोई किसी का सहयोग न करे तो अपनी ढपली अपना राग बेसुरा बजने लगे। आठ कनौजिया नौ चूल्हे की उक्ति जैसा उपहास हो। डेढ़ चावल की अलग खिचड़ी पकाने का प्रयत्न करते हुए हर किसी को असफलता हाथ लगे।

थोड़े से डाकू मिलकर एक विशाल क्षेत्र की जनता को आतंकित कर सकते हैं, तब सज्जनों का सच्चा सहयोग यदि इकट्ठा किया जा सके तो अपना चमत्कार क्यों न दिखाएगा ? सज्जन हमेशा मिटते इसलिए रहे हैं कि वे अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि सम्मिलित शक्ति का कितना अधिक महत्त्व है। उसके बिना सज्जनता अधूरी रहती है। सज्जनता की परिभाषा में सत्प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का संघबद्ध होना भी आता है। एकाकी जीवन में जो भी संतुष्ट हो जाएगा और अपनी विचारणा तथा गतिविधियों को अपने सीमित दायरे तक अवरुद्ध कर लेगा, वह कोई भी क्यों न हो, असफलता और अभाव का कष्ट सहने के लिए विवश होगा।

सेठजी ने बहुत अनुनय विनय की, पर लक्ष्मीजी रुकी नहीं, घर छोड़कर चली गई। कल तक घर वाले धन के पीछे झगड़ते रहते थे, आज जब धन न रहा और हाथ तंगी में आ गया तब सारी भूल का पता लगा। फिर वे लोग प्रेमपूर्वक रहने और मिल-जुलकर काम करने लगे।

एक दिन सेठ ने स्वप्न में देखा, भगवती लक्ष्मी आई हैं और घर में प्रवेश कर रही हैं। सेठ ने पूछा-अंबे ! एक दिन आपकी इतनी प्रार्थना की

थी फिर भी आप रुकी नहीं थीं, आज स्वयं आने की कृपा की। सो क्यों ? लक्ष्मी जी बोलीं-वत्स ! जहाँ लोग परस्पर मिल-जुलकर नहीं रहते, वहाँ मैं भी नहीं रह सकती, पर जहाँ सुमति होती है, वहाँ तो मैं अपने आप पहुँचती हूँ।

मनुष्य की अब तक की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रगति का सारा श्रेय पारस्परिक सहयोग को दिया जा सकता है। यदि एक ने अपनी योग्यता का लाभ दूसरे को न दिया होता और सहयोग का क्रम अपनाया न होता तो हम अभी भी आदिम युग की जंगली दशा में विचरण कर रहे होते। यह तथ्य हम जानते तो हैं, पर मानते नहीं। समय आ गया है कि हम संघबद्धता की शक्ति को समझें और वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए उसका उपयोग करें। इस प्रजातंत्र युग में तो यही शक्ति सर्वोपरि है। जनसमूह के विरोध ने अंग्रेजों को भगा दिया और जन समर्थन के आधार पर काँग्रेस पार्टी राज्य सिंहासन पर जा विराजी। शास्त्रकार ने 'संघे शक्ति कलौयुगे' की सूक्ति में वर्तमान युग की सर्वोपरि शक्ति संगठन को घोषित करके सामयिक तथ्य का ही उद्घाटन किया है।

सहकारिता की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में विकसित होनी चाहिए। कृषि, व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन जिस सरलता और सफलता के साथ सामूहिक प्रयत्नों से बढ़ सकते हैं, उस स्तर की संभावना एकाकी प्रयत्नों से कदापि संभव नहीं हो सकती। विदेशों में जहाँ श्रम बहुत महँगा है और व्यवसाय के लिए बड़ी पूँजी अपेक्षित होती है, वहाँ सहकारिता के आधार पर ही सारे उद्योग-धंधे चलते हैं। बड़े-बड़े फर्म, उद्योग और मिल शेरों के आधार पर चलते हैं। छोटे पैमाने पर अब उत्पादन और व्यवसाय का जमाना धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के अनेक व्यवधान अब ऐसे पैदा हो गए हैं, जिनके कारण एकाकी प्रयत्न से किया गया छुटपुट उत्पादन महँगा पड़ता है और उसकी निकासी स्वल्प प्रयास से छोटे क्षेत्र में संभव नहीं हो पाती, फलस्वरूप घाटा उठाना पड़ता है। विकल्प में यदि थोड़ी-थोड़ी पूँजी और थोड़े-थोड़े श्रम का एकीकरण कर लिया जाए तो वह क्षमता इस स्तर की हो जाएगी कि पूँजीपतियों के एकाधिकार को चुनौती दी जा सके। लाभ एक व्यक्ति को न मिलकर समूह को मिले, इस प्रयोजन की पूर्ति केवल सहकारिता ही कर सकती

है। भारत को कभी समृद्ध संपन्न बनाना होगा तो उसके मूल में सहकारिता की उदीयमान शक्ति ही काम कर रही होगी।

एक लड़का पढ़ने के उद्देश्य से बंबई गया, पर पास में कुल बीस रुपए थे। उसी में खाना खर्च, उसी में पुस्तकें और मकान किराया, सारा खर्च कैसे चले ? बड़ी देर सोचने के बाद एक युक्ति ध्यान में आई। रहने के लिए एक किराए का मकान ढूँढा और साथ-साथ चार साथी भी। एक ऐसा ढावा ढूँढा जहाँ कई लोगों का सामूहिक खाना बन जाता था। पढ़ने के लिए एक रुपया देकर पीटर पुस्तकालय की सदस्यता स्वीकार की, इस सहकारिता के फलस्वरूप ही उसने बंबई की पढ़ाई पास की। यह बालक एक दिन उत्तर प्रदेश का गवर्नर तक बना, नाम था-के० एम० मुंशी।

सार्वजनिक क्षेत्र की अगणित समस्याएँ उलझी पड़ी हैं। इन्हें सुलझाने में ब्रह्मास्त्र केवल सहयोग ही सिद्ध होगा। ग्रामीण जीवन में स्वच्छता की समस्या अति विकट है। गंदगी ने उस प्राकृतिक वातावरण में बसे जन संकुलों को दुर्गंध, घृणा और रुग्णता का घर बना दिया है। खेलकूदों और व्यायामशालाओं की अभिरुचि घट जाने से शारीरिक और मानसिक स्तर गिर गया। अशिक्षा ने हमें पशुवत् बना दिया है। अपराधों और उच्छृंखलता की वृद्धि ने सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पूँजीपतियों का शोषण अपने ढंग से चलता है। कष्टों के लिए की गई फरियाद कोई सुनता नहीं। सामाजिक कुरीतियाँ जर्जर बनाए दे रही हैं और अनैतिक दुष्प्रवृत्तियाँ प्रतिरोध के अभाव में आँधी तूफान की तरह तीव्र होती चली जा रही हैं। इन सब समस्याओं का हल इस बात पर निर्भर है कि लोकमंगल का उद्देश्य आगे रखकर सज्जन प्रकृति के लोग संगठित होते हैं या नहीं ? यदि उनमें सहकारिता और सेवाप्रवृत्ति जाग पड़े और थोड़ा-थोड़ा समय, श्रम तथा धन कल्याण के लिए नियोजित करने लगे, तो वह स्वयंसेवक सेना चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। उपर्युक्त स्तर की हर कठिनाई से यह संगठन सहज ही निपट सकता है। शक्ति का प्रदर्शन होने से ही लोग झुक जाते हैं, अक्सर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता कम ही पड़ती है। आवश्यकता शक्ति के उद्भव की है और वह इस युग में बहुत करके संगठन पर ही निर्भर है।

किसान को मृत्यु के समीप होने का दुःख नहीं था। उसकी वेदना का कारण यह था कि उसके चारों बच्चों में परस्पर बनती नहीं थी। एक

दिन किसान ने उन सबको बुलाया और कहा-सूत का धागा लेकर आओ। उसने इकट्ठे कई धागा दिए और एक-एक लड़के को देकर तोड़ने को कहा, पर उन धागों को कोई तोड़ नहीं सका।

इसके बाद उसने एक-एक धागा दिया और तोड़ने को कहा, तो सबने ही तोड़ दिया। किसान बोला-बच्चो ! इन धागों की तरह जो लोग मिल-जुलकर रहते हैं, उनका बड़ी-बड़ी ताकतें भी मुकाबला नहीं कर सकतीं, पर बिखरे और विसंगठित लोग तो इन अकेले धागों की तरह कभी भी नष्ट कर दिए जा सकते हैं। लड़के एकता का अर्थ समझ गए और मिल-जुलकर रहने लगे।

हम एक हजार वर्ष की लंबी गुलामी से गुजर कर उठे हैं। इस अंधकार युग ने हमें अगणित बौद्धिक एवं सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का दास बना दिया है। अतीत का गौरवपूर्ण इतिहास तो है, पर उसी अनुपात से हम दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं। यदि किसी को सुधार के लिए दर्द और परिवर्तन के लिए उत्साह उठता हो, तो सबसे पहले काम यह हाथ में लेना चाहिए कि सेवाभावी सज्जनों को संगठित कर डालें और उनके सामूहिक सत्प्रयत्नों को हर क्षेत्र में नियोजित करने के लिए प्रेरित करते रहें। युग निर्माण योजना का यही प्रयत्न है।

इन प्रयत्नों को अभीष्ट सहयोग मिल सका तो संगठन और सहकारिता की सम्मिलित शक्ति से हर दिशा में प्रगति और समृद्धि का सत्परिणाम प्रस्तुत किया जा सकता है। उचित यही है कि उदार सहकारिता को अंगीकार करें तथा अपना और समस्त मानव जाति का भला करें।

प्रश्न

1. पशु और मानव दोनों की प्रगति में इतना अधिक अंतर क्यों है ? सामाजिक आधार पर समझाइए ?
2. सहकारिता की प्रवृत्ति में आध्यात्मिक आदर्श किस प्रकार जुड़े हुए हैं ?
3. स्वार्थी व्यक्ति की परिभाषा दीजिए ?
4. किस प्रकार इकाई-इकाई मिलकर एक विशाल समूह का

निर्माण करते हैं ? उदाहरणों के द्वारा समझाइए।

५. प्रजातंत्र युग में सहकारिता का महत्त्व कहाँ तक है ?
६. कृषि, व्यवसाय, उत्पादन, उद्योग आदि में भी सहकारिता का महत्त्व कहाँ तक है ?
७. युग निर्माण योजना इस समय सहकारिता का युग स्थापित करने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ?
८. सामाजिक शोषण, अशिक्षा आदि सहकारिता के द्वारा किस प्रकार हल हो सकेंगे ?



अध्यापक का गौरव और उत्तरदायित्व

अध्यापक का पद, गौरव और उत्तरदायित्व आजीविका के लिए नौकरी करने वाले साधारण कर्मचारियों से कहीं ऊँचा है। भले ही उसे निर्वाह के लिए वेतन लेना पड़ता हो, पर जिस प्रकार अन्य वेतन भोगी कर्मचारी सामने प्रस्तुत किए गए काम को निपटा कर छुट्टी पा लेते हैं, उतने मात्र से अध्यापक का काम नहीं चल सकता। उसे अपने पद के साथ जुड़े हुए उस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि बालकों का मानसिक स्तर, उनका भावी चरित्र और उस पर निर्धारित राष्ट्र का भविष्य निर्माण करना है।

महर्षि अश्वलायन को इस बात का बड़ा गर्व था कि उनका पढ़ाया हुआ हर छात्र राष्ट्र का प्रतिभाशाली और यशस्वी व्यक्ति है—प्रधान मंत्री, सेनापति से लेकर कुरुपद का कृषि पंडित भी उन्हीं का छात्र था। तभी एक दिन उन्होंने सुना कि उन्हीं का एक छात्र देवदत्त दस्यु हो गया है। उसके क्रूर कर्मों के कारण कुरुपद में त्राहि-त्राहि मच गई, कोई भी सेना और सेनापति उसे वश में नहीं कर सका। भीषण रात, आकाश में बादल घिरे हुए, महर्षि को रोका भी गया, पर वे नहीं रुके, सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ देवदत्त दस्यु कर्म किया करता था। अँधेरे में एक छाया देखते ही देवदत्त ने ललकारा रुक जाओ नहीं तो खड्ग प्रहार करता हूँ, किंतु आगंतुक रुका नहीं। देवदत्त दस्यु का खड्ग छूटा और आगंतुक के माथे में जा धँसा। रक्त के फौबारे के साथ आकाश में बिजली चमकी और देवदत्त महर्षि के चरणों में गिर गया। गुरुदेव यह क्या हुआ। तीव्र वेदना में देवदत्त चिल्लाया। महर्षि ने कहा—वत्स ! मेरे शिक्षण में कुछ कमी रह गई थी, उसका दंड मुझे मिलना ही था। देवदत्त गुरु का आशय समझ गया, फिर उसने कभी भी डकैती नहीं डाली।

निस्संदेह माता-पिता एवं अन्य अभिभावकों की तरह अध्यापक का भी बालकों के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। अभिभावक आमतौर से जन्म देते, भरण-पोषण की व्यवस्था करते तथा लाड़-चाव ही दे पाते हैं। वे बच्चों की विवाह शादी, आजीविका जैसे साधन जुटाने तक ही

सीमित रह जाते हैं क्योंकि अधिकांश अभिभावक उस ज्ञान और विधान से अपरिचित ही होते हैं, जिसके आधार पर बालकों की मनोभूमि तथा प्रवृत्तियों का विकास सुसंस्कारिता की दिशा में किया जा सकता संभव होता है। इसी कमी की पूर्ति अध्यापक के जिम्मे आती है। छात्र के रूप में विद्यालय में प्रवेश करता हुआ बालक अपने साथ जिज्ञासाओं की एक नई भूख साथ लेकर जाता है। वहाँ उसे सहपाठियों के रूप में एक नया समाज मिलता है और अध्यापक के रूप में एक नया मार्गदर्शक। इस वातावरण का उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है जितना घर परिवार का भी नहीं पड़ता। यों पारिवारिक संस्कारों का महत्त्व भी, कम नहीं है, पर यह स्वीकार किया ही जाना चाहिए कि विद्यालय, शिक्षा पद्धति एवं अध्यापक की रीति-नीति की महत्ता उससे अधिक ही है, कम नहीं।

महामना मदनमोहन मालवीय अ०भा० सेवा समिति के सभापति थे। एक बार हरिद्वार में कुंभ मेला का कैंप लगा। एक दिन तीव्र धूप और गर्मी से परेशान एक स्वयं सेवक कैंप की ओर जा रहा था। मालवीय जी ने उसे देखा, तो बोले-मैं भी कैम्प चल रहा हूँ, तुम मेरे छाते में आ जाओ। युवक ठिठका तो उन्होंने कहा-भाई मैं तो सबसे बड़ा स्वयं सेवक हूँ, इसलिए मुझे तो स्वयं सेवक की भी सेवा करनी चाहिए। युवक गद्गद् हो उठा और सोचने लगा हमारे देश में शिक्षक भी यही भाव रखते तो विद्यार्थियों की प्रतिभा और उनमें नैतिक गुणों का कितना विकास होता।

बालकों का व्यक्तित्व ढालने में अध्यापकों के व्यक्तित्व, प्रभाव एवं प्रयत्नों का भारी योगदान रहता है। प्राचीन काल का भारत इसीलिए देवोपम व्यक्तियों और स्वर्गोपम परिस्थितियों में भरा-पूरा बना रहा, क्योंकि यहाँ की शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था ऋषियों के हाथ में थी। राष्ट्र का निर्माण शिक्षा द्वारा ही संभव है। आज के बालक ही कल के नागरिक, व्यवस्थापक और नेता होते हैं। जिस साँचे में ढाला जाएगा कुछ दिनों बाद राष्ट्र का स्वरूप वैसा ही बन जाएगा। व्यक्तियों का समूह ही तो राष्ट्र है। इसमें से शिक्षकों का महत्त्व अधिक है। शिक्षितों की विचारणा एवं रीति-नीति के अनुसार ही राष्ट्र बनते और बिगड़ते हैं। इस तथ्य को सदा से समझा जाता रहा है। हिटलर ने जर्मनी को फासिस्ट बनाने के

लिए शिक्षा पद्धति को प्रधान माध्यम बनाया था। इटली में भी मुसोलिनी ने यही किया था। रूस और चीन के नागरिकों में जो अटूट निष्ठा साम्यवाद के प्रति पाई जाती है, उसका कारण उनकी शिक्षा-प्रणाली में ही देखा जा सकता है। जापान की समृद्धि और सुव्यवस्था का श्रेय वहाँ के सुशिक्षितों को ही दिया जाना चाहिए।

अपना देश एक हजार वर्ष की राजनैतिक गुलामी से मुक्त होकर उठा है। दासता एक अभिशाप है जो पराधीन जातियों के नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर को बुरी तरह चकनाचूर करके रख देती है। अपने देश को उसी दुर्भाग्य में लंबे समय से पिसना पड़ा है। अस्तु वैयक्तिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अगणित दो दुर्गुणों का बुरी तरह समावेश हो गया, इन्हें ज्यों का त्यों पड़ा रहने दिया जाए तो राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई लाभ न मिल सकेगा। दुर्गुणी समाज अपने ही अनाचार से संतस्त रहकर पतन के गर्त में गिरता है और आए दिन विविध विधि शोक संताप भोगता है। इस विभीषिका से बचाव केवल सुशिक्षण द्वारा ही संभव है और वह आदि से अंत तक शिक्षकों के स्तर पर निर्भर रहा करता है। इसलिए शिक्षक का पद गौरव और महत्त्व की दृष्टि से अत्यधिक ऊँचा माना जाता रहा है। उसे 'गुरु' की वह पदवी दी गई है जो जन सम्मान की दृष्टि से सर्वोच्च कही जा सकती है।

इन तथ्यों को अध्यापक वर्ग स्वीकार करे तभी काम चलेगा। उसे नौकरी की दृष्टि से सौंपे गए सरकारी कार्यभार के अतिरिक्त अपने पद की गरिमा के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने, गतिविधियाँ अपनाने तथा छात्रों की प्रेम-पिपासा तथा जिज्ञासाओं की भूख पूरी करने के लिए अपने को एक साधक की तरह विनिर्मित करना चाहिए। इससे कम में वह अपने और अपने पद का गौरव अक्षुण्ण न रख सकेगा। वेतन मात्र के लिए श्रम करने वाले, कमजोर और गैर जिम्मेदार मजदूरों की पंक्ति में यदि वे भी जा बैठे तो समझना चाहिए कि राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय ही बना रहेगा और कहीं उन्होंने अपने में अवांछनीयता, दोष दुर्गुणों की मात्रा बढ़ा ली, तब तो समझना चाहिए कि पीढ़ियों का सर्वनाश होकर ही रहेगा।

गणेश शंकर विद्यार्थी अध्यापक हो गए। उन्हीं दिनों राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत 'कर्मयोगी' पत्र निकला। सरकार ने इसे सरकारी संस्थानों में

निषिद्ध कर रखा था, तो भी गणेश शंकर विद्यार्थी उसे मँगाकर पढ़ते। इस पर प्रधानाध्यापक ने उन्हें एक दिन डाँटा, तो उन्होंने उत्तर दिया—श्रीमान जी ! अध्यापक का कर्तव्य बच्चे पढ़ाने तक ही सीमित नहीं, समाज की व्यवस्था देखना और सुधारना उसका सबसे बड़ा काम है। सारे देश की स्थिति से संपर्क रखने के लिए मैं 'कर्मयोगी' पढ़ता हूँ, यह कोई पाप नहीं। प्रधान अध्यापक को कोई उत्तर न देते बना।

दुर्भाग्य से अपने देश में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के तथ्य को नहीं समझा गया और अंग्रेजों ने काले साहब एवं क्लर्क बनाने की जो शिक्षा पद्धति चलाई थी, उसे ही छाती से चिपकाए रखा गया है। व्यक्ति और समाज के नए निर्माण के लिए जिस प्रखर चेतना संपन्न शिक्षा पद्धति की जरूरत थी और उसके उपयुक्त जिस प्रकार के शिक्षक ढाले जाने थे, उसके लिए कुछ ठोस काम नहीं हुआ। पढ़ाई का लंगड़ा-लूला ढर्रा आज भी चल रहा है। विद्यालयों में से निकलने वाले छात्र कोई उमंग या दिशा लेकर नहीं निकलते वरन् निराशा और आक्रोश के साथ ही शिक्षा की निरर्थकता और भविष्य की अनिश्चितता को आँकते हैं। उनकी यह घुटन विविध विधि उच्छृंखलताओं के रूप में फूटती हम पग-पग पर देखते हैं और कडुवे मीठे शब्दों में उनकी भर्त्सना करते हैं, पर इस पारंपरिक विवाद विषाद की चर्चा बनाए रखने से कुछ काम नहीं चलेगा। समस्या का हल तो प्रयत्नों से होता है। सरकार अपना कर्तव्य पालन न करे तो इसका अर्थ यह नहीं कि सर्वसाधारण को हाथ पर हाथ रखे ही बैठा रहना चाहिए।

इस संदर्भ में सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र कर्तव्य अध्यापक वर्ग का है। उसे अपने पद और उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आगे आना चाहिए। वे चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी इतना कुछ कर सकते हैं, जो राष्ट्र निर्माण के महत्त्वपूर्ण योगदान की तरह सराहा जा सके। यदि वे सच्चे मन से भावी नागरिकों की मनोदशा, चरित्र निष्ठा एवं लोकसेवा जैसी सत्प्रवृत्तियों की ओर मोड़ने का संकल्प कर लें और तदनु रूप गतिविधियाँ अपनाएँ तो शिक्षा पद्धति कैसी भी क्यों न बनी रहे, असुविधाएँ कितनी ही क्यों न हों, अपनी अंतःप्रेरणा और कर्मनिष्ठा के बल पर इतना कर सकते हैं, जिससे अंधकार में प्रकाश की किरणें फूटती देखी जा सकें।

अध्यापक के महान पद की माँग है कि प्रत्येक शिक्षक को चरित्रवान और उत्कृष्ट व्यक्तित्व का होना चाहिए। उनका व्यक्तिगत जीवन पवित्र, निर्दोष और दुर्गुणों से रहित होना चाहिए। इसके बिना छात्रों पर क्या किसी पर भी उनकी छाप न पड़ेगी और सम्मान न मिलेगा। साँचे में खिलौने ढाले जाते हैं, उसी प्रकार चरित्रवान अध्यापक ही सच्चरित्र छात्रों का निर्माण कर सकते हैं। यों व्यक्तिगत दोष-गुण सभी को दूर करने चाहिए, पर शिक्षकों को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके आचरण, रहन-सहन, वेश-भूषा-आदि की सीधी छाप छात्रों पर पड़ेगी। इन्हें ऐसा वेश विन्यास नहीं बनाना चाहिए, ऐसा रहन-सहन नहीं अपनाना चाहिए, जो उनके पद की गरिमा को घटाए और बालकों को भी उद्धत अनुकरण करने की बुरी प्रेरणा दे।

मिठास, शिष्टाचार, आत्मीयता, सज्जनता, उदारता और प्रेम भरा व्यवहार करने का अभ्यास उन्हें करना ही चाहिए। बालक छोटे हैं इसलिए उनके साथ अशिष्ट अथवा कर्कश व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सद्व्यवहार की छाप सभी पर पड़ती है। बालकों के कोमल मन पर तो उसकी छाप और भी गहरी पड़ती है। इसे पूरी तरह ध्यान में रखा जाए। बच्चों का निर्माण करने के लिए पहिले अपने को ही ढालना चाहिए। उपदेश नहीं चरित्र ही प्रभाव डालता है। इसलिए अध्यापकों को आत्म-चिंतन, आत्म-सुधार और आत्म-निर्माण के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

लाहौर के मिशन हाईस्कूल का अंग्रेज प्रधानाध्यापक हिंदू धर्म की बुराई करने लगा। सब लड़के चुपचाप बैठे रहे, पर एक लड़का उठा और बोला-श्रीमान जी ! आपको तो परस्पर प्रेम, नीति, सदाचार और गुणों की शिक्षा देनी चाहिए या द्वेष भावना की। बुराई देखी जाए, तो क्या ईसाई धर्म में कम बुराइयाँ हैं। यह कहकर उसने ईसाई धर्म की दसियों बुराइयाँ वहीं निकाल दी। अध्यापक गुस्से में लाल हो गया। उसने लड़के को पीटा और स्कूल से निकाल दिया, पर पीछे उसने अपनी गलती महसूस की और लड़के को वापस बुला लिया। यह लड़का दयानंद आर्य महाविद्यालय के संस्थापक महात्मा हंसराज थे।

पाठ्य-पुस्तकों में जो कुछ लिखा है उसी की उचित, बुद्धिसंगत और भावनापूर्ण व्याख्या करके इस प्रकार के निष्कर्ष समेत समझाया जा

सकता है कि शिक्षार्थी पर चरित्रवान, उदार, शिष्ट, सज्जन और सेवाभावी बनने की छाप पड़े। यों इस प्रकार का शिक्षण भी एक कला है, पर उसे हर भावनाशील अध्यापक कुछ दिन में स्वयं ही अपने भीतर से विकसित कर सकता है।

प्रश्न

१. "अध्यापक का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं है।" इस कथन की पुष्टि करते हुए बताइए कि अध्यापक के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं ?
२. छात्रों के गुण, कर्म, स्वभाव पर विद्यालय का प्रभाव सर्वाधिक क्यों होता है ?
३. प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति किन लोगों के हाथ में थी उससे क्या लाभ हुआ ?
४. शिक्षक को राष्ट्र निर्माता क्यों कहा जाता है ?
५. अध्यापकों के प्रमुख कर्तव्य बताइए ?
६. अध्यापक में क्या-क्या गुण होने चाहिए ?
७. अध्यापक का रहन-सहन "सादा जीवन उच्च विचार" पर आधारित क्यों होना चाहिए ?
८. उपदेश नहीं चरित्र का क्या प्रभाव पड़ता है-सिद्ध करें ?
९. "आत्म-चिंतन" "आत्म-सुधार" एवं "आत्म-निर्माण" से क्या समझते हो ?
१०. अध्यापन कला के आवश्यक तत्त्व बताइए ?



पर्दा प्रथा की अनीति

नर और नारी मिलकर एक पूर्ण समाज बनाते हैं। जिस प्रकार दोनों पहिए मिलकर ही गाड़ी चलाते हैं, इसी प्रकार गृहस्थ जीवन भी नर और नारी दोनों के समान प्रयत्न और पुरुषार्थ से प्रगतिशील बनता और सुखी रहता है। संसार के समस्त सभ्य और प्रगतिशील देशों में यही प्रतीत होता है। दो बैल जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, उसी प्रकार नर और नारी एक जुट होकर अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप पूरा पुरुषार्थ करके परिवार को सुखी एवं समुन्नत बनाने के साधन जुटाते हैं। संसार की प्रगतिशीलता का यही रहस्य है।

अपने समाज की कुछ विचित्र स्थिति है। यहाँ नारी को घर की चहारदीवारी के भीतर बंद रहने वाले कैदी की तरह जीवन यापन करना पड़ता है। उसको घर से निकलना, अकेली कहीं जाना, दूसरों से बात करना निषिद्ध है। पर्दा प्रथा के कारण यहाँ स्त्रियों की स्थिति इतनी दयनीय है कि उनकी तुलना में पशु-पक्षी भी अच्छी स्थिति में पाए जा सकते हैं। गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी आदि खुले मुँह रह सकती हैं, और मंदा या जोर की आवाज में चाहे जब बोल सकती हैं, पर यह सुविधा भारतीय नारी को प्राप्त नहीं है। चिड़ियों के चहकने-फुदकने पर प्रतिबंध नहीं, पर बेचारी भारतीय नारी के भाग्य में उतनी भी स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें खूनी कैदी की तरह ही हर घड़ी प्रतिबंधों में जकड़ी हुई एक छोटी कोठरी में आजीवन इस तरह रहना पड़ता है, जहाँ अनुभव-स्वतंत्रता की हवा भी नहीं पहुँचने पाती। इस बंधन में वे अपनी आत्मिक और भौतिक सभी प्रतिभाएँ खोकर पराधीन, परावलंबी, असहाय और कातर किसी निरीह प्राणी की स्थिति में पहुँच जाती है।

एक गाँव का आदमी रोजगार के लिए कानपुर आया और नया गंज में रहने लगा। उसकी पत्नी घूँघट वाली थी, एक दिन सब्जी लेने गई तो रास्ता भूल गई। अच्छी-खासी भीड़ जमा हो गई, पर पूछने पर उसने अपने पति का नाम ही नहीं बताया। वह 'वे' 'उनके' करती रही, पर नाम लेना उसे पाप बताया गया था, तो पाप कैसे करती ? बड़ी मुश्किल

से एक पहचान का व्यक्ति आया, तब वह सुबह की भटकी शाम को घर पहुँची।

पर्दा प्रथा सर्वथा अभारतीय है। इसका प्रचलन अरब के उस रेगिस्तान प्रदेश में जहाँ दिन-रात रेतीले अंधड़ चलते थे और गोदी के बच्चों की आँखों में रेत घुस जाने का हर घड़ी डर रहता था, स्त्रियाँ अपना और बच्चों का मुँह ढके रहती थीं। पीछे जब सामंती लूटमार में युवा महिला लूटी और गुलाम बनाई जाने लगी तो उसके आकर्षण को लेकर होने वाले पारिवारिक झगड़ों को देखते हुए ऐसा प्रबंध किया गया कि हरम में रहने वाली बेगमें और रखैलें मुँह पर पर्दा डालकर रहें ताकि उन्हें पाने के लिए कोई दूसरा सामंत झंझट खड़ा न करे। भारत में जब मुसलमान आए तो वही सब उनके प्रभाव से प्रभावित लोगों ने सीखा। यहाँ भी बहु विवाह और सैकड़ों रखैलें रखने की सामंती प्रथा पनपी और चँगुल में फँसी महिलाओं को हाथ से न जाने देने के लिए इधर भी पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। बहुतों ने इन अंधेर के दिनों में पर्दा प्रथा में अपना बचाव और भला समझा और स्वेच्छा से उसे अपना लिया, आततायी शासक और उनके गुमास्ते खूनी भेड़िए की तरह सुंदर बहु-बेटियों के लिए घात लगाए फिरते थे, ऐसे विपत्ति काल में यही अच्छा समझा गया कि पर्दा अपना कर किसी प्रकार अपनी आबरू बचाई जाए।

अब वे परिस्थितियाँ नहीं रहीं, जो कभी पहले थीं। ग्रहण के समय चन्द्रमा पर अशुभ छाया पड़ती है, उसे सदा बने रहना आवश्यक नहीं। भारतीय संस्कृति में पर्दे का कभी कोई प्रचलन नहीं रहा। यहाँ के देवता और देवियों के मुख पर कोई ऐसी कालिख पुती नहीं होती थी, जिससे उन्हें अपना कलंकी चेहरा ढके रहने की जरूरत पड़े। बीच में आपत्तिकाल ने इसकी विवशता प्रस्तुत की होगी, पर अब वह भी कोई बात नहीं, जिसके कारण हमें अपने आधे समाज को, नारी को पंगु-प्रतिबंधित बनाकर असहाय की तरह भारभूत बनाए रखने का औचित्य सोचना पड़े।

मध्य प्रदेश के एक गाँव की बात है। एक भाई अपनी बहिन को विदा कराने गया। विदा कराके चलने लगा तो भाई कुछ दूर आगे निकल गया, बहन अपनी ससुराल में ही दिन भर चक्कर काटती रही, शाम को भाई-बहिन फिर घर लौटे तो पता चला कि पर्दे में रहने के कारण उसे अपने गाँव की गलियों का ही पता नहीं था।

प्राचीन भारतीय नारी ने हर क्षेत्र में नर के कंधे से कन्धा मिलाकर सृजनात्मक कामों में योग दिया है। घर और बाहर समान रूप से उसका कार्य-क्षेत्र रहा है। रोटी पकाने और बच्चा पैदा करने की मशीन तो वह इस अंधकार युग में बनी है। सदा से तो वह अपनी गौरव-गरिमा द्वारा समाज के हर क्षेत्र को अपनी प्रतिभा से चमत्कृत करती रही है और प्रगति एवं समृद्धि के लिए पुरुष के समान ही अपना योगदान देती रही है। संसार भर में आज भी उसका पुरुषार्थ वैसा ही उपादेय सिद्ध हो रहा है। एक समर्थ व्यक्ति के रूप में वह अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का पूरा-पूरा लाभ अपने समाज को दे रही है।

पिछड़ा हुआ भारतीय समाज पर्दा प्रथा जैसी अनीतिमूलक मूर्खतापूर्ण कुरीतियों को अब भी छाती से चिपकाए बैठा है, जबकि उसके बने रहने का कोई आपत्तिकालीन कारण शेष नहीं रह गया है। यहाँ न अरब जैसे रेतीले अंधड़ चलते हैं और न अब स्त्रियों की लूट-पाट, खरीद-फरोख्त होती है, जिसके कारण उन्हें लुकाने-छिपाने की जरूरत पड़े। अब तो विवेकशीलता की कसौटी पर इसे एक विशुद्ध सामाजिक अत्याचार और व्यक्ति के जन्म-जात ईश्वर प्रदत्त मानवीय अधिकार का हनन ही माना जाएगा। इस कुप्रथा ने हमारे समाज को अपंग बनाकर रख दिया है। बंदी की तरह एक छोटे कटधरे में रहने वाली नारी दिनों-दिन शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अशक्त होती चली जाती हैं। पुरुषों की तुलना में उसका स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब है। प्रजनन के भार से उसकी बेतरह मृत्यु होती है। शिक्षा के अभाव में वह बालकों के उचित पालन-पोषण, गृह व्यवस्था और पति का महत्त्वपूर्ण सहयोग करने में असमर्थ है। अनुभव के अभाव में परिवार की किसी बड़ी समस्या को सुलझाने में कोई योगदान नहीं दे सकती। पति द्वारा उपेक्षित या परित्यक्त कर दी जाए अथवा वैधव्य की विपत्ति सिर पर आ पड़े तो उसकी दयनीय दुर्दशा पत्थर को भी रुला दे सकती है।

जिस समाज का, व्यक्ति का, आधा अंग नारी के रूप में इस प्रकार अपंग बना हुआ हो उसकी प्रगति और समृद्धि की आशा कौन करेगा ? बालक, वृद्ध, अपंग, रोगी तो गृहपति पर भार होते ही हैं, निरुपयोगी बनी बैठी नारी भी अब लगभग इसी प्रकार अपाहिजों में सम्मिलित हो गई है। पर्दा प्रथा ने हमारे समाज के आधे अंग को लकवा मार जाने वाली

रोगी की स्थिति में ला पटका। आधी जनसंख्या की नारी अपने प्रबल पुरुषार्थ से पुरुष जनसंख्या की तरह ही प्रगति के हर क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़कर दिखा सकती थी और समृद्धि भरी सुविधाएँ उत्पन्न कर सकती थी, आज निरीह बनी मन मसोसकर कैदी का तिरस्कृत और उपेक्षित जीवन जीने के लिए विवश हो रही है।

रायबरेली से लौट रही दो बारातें कानपुर स्टेशन पर उतरीं, पहलीं दुल्हन दूसरी बारात और दूसरी दुल्हन पहली बारात के साथ चली गई। घर जाकर पता चला, तब उनकी फिर से अदली-बदली की गई। पर्दा प्रथा के कारण ऐसा प्रति वर्ष होता है।

समय आ गया है जब कि पर्दा प्रथा जैसे अनीतिमूलक कुरीति को हटाया जाए और नारी को भी नर की ही भाँति मनुष्योचित सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। उसे शिक्षा की अब पुरुषों से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत पिछड़ गई है। जब तक पिछड़ापन दूर होने और समानता के स्तर पर आने की स्थिति उत्पन्न न हो जाए तब तक उसे शिक्षा-दीक्षा, स्वावलंबन तथा कुशलता प्राप्त करने की अधिक सुविधा उपलब्ध करने का पूरा हक है और इस न्यायोचित सुविधा को उपलब्ध करने में हर पुरुष को पूरा-पूरा योगदान देना चाहिए। भारतीय नारी को अधिक शिक्षा, अधिक प्रतिभा, अधिक क्षमता, अधिक कुशलता प्राप्त करने का अवसर मिले तो राष्ट्र की प्रगति में देखते-देखते चार-चाँद लगा सकती है। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पर्दा प्रथा की है, इस पूतना का अब अंत होना ही चाहिए।

प्रश्न

१. नर और नारी किस तरह से एक-दूसरे के सहयोगी हैं ?
२. अपने समाज में नारी जाति की स्थिति कैसी है ? तथा इससे क्या हानियाँ हैं ?
३. पर्दा प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई ? तथा उसके प्रचलित होने के कारण क्या हैं ?
४. अपने यहाँ पर्दा प्रथा प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालिए ?
५. क्या अब भी वे परिस्थितियाँ रही हैं कि पर्दा प्रथा प्रचलित रहे ?

६. नारी का स्थान हमेशा कहाँ रहा है ?
७. पर्दा प्रथा के कारण आज की नारी जाति को किन-किन बातों से हाथ धोना पड़ रहा है ?
८. पर्दा प्रथा के कारण ही हमारे समाज की उन्नति रुकी हुई है। सिद्ध कीजिए ?
९. पुरुषों को इस दिशा में क्या-क्या प्रयत्न करना चाहिए ?



प्रौढ़ों की साक्षरता

शिक्षा रहित व्यक्ति एक प्रकार से अंधा है। जीवनोपयोगी जानकारीयाँ आँख-कान के द्वारा ही प्राप्त नहीं हो जातीं वरन् उनका वास्तविक आधार तो साहित्य है। जिसके आधार पर, बिना दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षण दिए, अपने आप व्यक्ति लोक-परलोक की, देश-विदेश की, अगणित सद्प्रवृत्तियों की, उपलब्धि एवं दुष्प्रवृत्तियों की विभीषिका से परिचित हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, चिकित्सा, अर्थ, शासन, धर्म, अध्यात्म आदि न जाने कितनी ज्ञानधाराएँ हमें साहित्य के द्वारा मिलती हैं और उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर न जाने कितनी प्रतिभाएँ और क्षमताएँ विकसित होती हैं। कहना न होगा कि यह सत्साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो सकने वाला ज्ञान केवल उन्हें प्राप्त हो सकता है, जो शिक्षित हैं। अशिक्षित बेचारा तो उतना ही जान सकता है, जितना उसने आँखों से देखा और कान से सुना है। इस आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकने की मर्यादा और संभावना बहुत ही स्वल्प है। अतएव अशिक्षित व्यक्तियों की ज्ञान परिधि बहुत ही छोटी रहने से उनके मानसिक विकास की व्यवस्था भी नगण्य जितनी ही बन पाती है। यही कारण है कि अशिक्षितों को आधअंध, अर्धविकसित या अर्ध मनुष्य कहते हैं। कोई व्यक्ति महत्त्वपूर्ण प्रगति शिक्षित होते हुए भी न कर सके, यह हो सकता है, पर जिस किसी ने कुछ कहने लायक भौतिक या आत्मिक उन्नति की है, वह बिना शिक्षा का सहारा लिए वैसा कर सका है, ऐसा नहीं देखा गया। शिक्षा निस्संदेह मनुष्य की एक महती आवश्यकता है और उसे पूरा किया ही जाना चाहिए।

“तार” को किसी की मृत्यु की सूचना समझकर एक घर के अशिक्षित लोग रोने लगे, इसी बीच पड़ौसी आ गए, वे भी अशिक्षित थे, जो भी आता रोने लगता। देखते-देखते आधा गाँव जा पहुँचा। कोई किसी से बिना कुछ पूछे रोने लगता, मानो रोना कोई पुण्य हो। आखिर एक पढ़ा-लिखा लड़का आया, उसने पूछा-बात क्या है ? घर वालों ने तार हाथ में थमा दिया। उसे पढ़ते ही लड़के को हँसी आ गई।

उसने कहा-मूर्खों ! पढ़े-लिखे होते तो यह हँसी क्यों होती? यह तो खुशी का तार है, मृत्यु का नहीं।

अशिक्षा एक अभिशाप है, जिसे दूर किए बिना कोई समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी प्रगति की कामना करने के साथ सर्वप्रथम साक्षरता की समस्या को हाथ में लेना चाहिए। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत में बड़ी संख्या में व्यक्ति अशिक्षित हैं। यदि सरकारी प्रयत्न इस दिशा में गहरे और गंभीर होते तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद विगत वर्षों में यह समस्या बहुत ही सरलता से हल हो गई होती, पर दोष अपने दुर्भाग्य का ही है, जिसने हमें क्यूबा सरीखी चेतना नहीं दी। 'क्यूबा' अमेरिका महाद्वीप में एक छोटा देश है। वहाँ भी कुछ वर्ष पूर्व निरक्षरता की ऐसी ही समस्या थी। सरकार ने ग्रेजुएटों को उपाधि पत्र देने से पूर्व यह प्रतिबंध लगाया कि उन्हें ५ निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने की अपनी समाज सेवा का परिचय देना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी नौकरों पर उन्नति के पद पाने की योग्यता सिद्ध करने के लिए अपनी लोकसेवा प्रवृत्ति का परिचय देने को ४ निरक्षरों को साक्षर बना देने का नियम बना दिया। फलस्वरूप सुशिक्षित और सरकारी वर्ग के लोग निरक्षरता निवारण प्रयत्नों में जुट गए और देखते-देखते साक्षरता की समस्या हल हो गई। अपने देश में ऐसा कभी कुछ हो सकेगा, इसकी अभी तो प्रतीक्षा ही की जा सकती है।

गाँधी जी से एक व्यक्ति ने पूछा-देश स्वतंत्र हो गया, अब आपका अगला कार्यक्रम क्या होगा ? प्रौढ़ शिक्षा का विस्तार, गाँधी जी बोले-जब तक इस देश की अशिक्षित जनता को विचार करना नहीं आता तब तक आजादी निरर्थक है। विचार ही कुसंस्कार काटते हैं, पर वे बिना शिक्षा पैदा नहीं होते, इसलिए प्रौढ़ को पढ़ाना आज की पहली आवश्यकता है।

जो सरकारी प्रयत्न शिक्षा प्रसार के चल रहे हैं, वह बहुत ही अपर्याप्त हैं। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से स्कूलों की अभिवृद्धि संभव नहीं हो सकती। फलस्वरूप शिक्षा प्रसार में बढ़ाई जाने वाली धन राशि में हर वर्ष वृद्धि होते चलने पर भी निरक्षरता का प्रतिशत बहुत ही धीमी गति से सुधर रहा है। यह प्रगति चींटी की चाल जैसी है।

और उसके ऊपर निर्भर रहा गया तो साक्षरता प्रसार की समस्या, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत लंबी अप्रत्याशित अवधि में कहीं जाकर पूरी हो सकेगी।

इसको हमें गैर सरकारी स्तर पर संभालना होगा और जन सहयोग से लोकसेवा की प्रवृत्तियों को जगाकर देशभक्त और उदार मनोवृत्ति के सज्जनों का सहयोग लेकर पूरा करना होगा। बच्चों की समस्या और व्यवस्था तो सरकारी स्कूल भी हाथ में ले सकते हैं, पर वयस्कों की तीन चौथाई जनता ऐसी है, जिसकी निरक्षरता असह्य है। जिस पीढ़ी के हाथ में वर्तमान की बागडोर है, वह वयस्क होते हुए भी अशिक्षित हैं। भारत ८० प्रतिशत गाँवों में बिखरा पड़ा है। वहाँ शिक्षा के न तो साधन हैं और न उत्साह। कुछ दिन से जहाँ-तहाँ स्कूल खुले हैं उनमें सिर्फ थोड़े बहुत लड़के पढ़ने जाने लगे हैं, वे भी सवर्णों के। छोटी जातियों में लड़कों को पढ़ाने के लिए भी उत्साह नहीं। लड़कियाँ शहरों में तो पढ़ती हैं, पर गाँवों में इसे आवश्यक नहीं माना जाता है। महिलाओं में से तो सौ के पीछे दो चार भी पढ़ी-लिखी न मिलेंगी। सवर्णों में कम, असवर्णों में अधिक अशिक्षित हैं। स्त्रियाँ तो सवर्णों की भी इन देहाती क्षेत्रों में अपढ़ ही मिलेंगी। यह इंतजार नहीं किया जा सकता कि अगली पीढ़ी जब शिक्षित होकर आए तब राष्ट्रीय प्रगति की बागडोर हाथ में संभाले। दुनियाँ इतनी तेजी से बढ़ और बदल रही है कि जो लोग आज सामने हैं, उन्हीं को सुयोग्य और समर्थ बनाए बिना काम चलने वाला नहीं है। निरक्षरता निवारण की समस्या आगे के लिए नहीं टाली जा सकती, वह आज ही हाथ में लेनी होगी और सरकार का मुँह ताके बिना उसे जन सहयोग के स्तर पर हल करना होगा।

जवाहरलाल जी ने एक दिन श्री लालबहादुर शास्त्री से कहा-देश में शिक्षा बढ़ रही है, क्या यह प्रसन्नता की बात नहीं ? श्री शास्त्री जी बोले-नहीं ! जब तक यहाँ के बुजुर्ग अशिक्षित हैं, कुछ लड़कों के पढ़ जाने से भी तरक्की नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा की अपेक्षा जीवन में संस्कारों का महत्त्व अधिक है, जो संस्कार अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा दिए गए होंगे, वह देश की कहाँ तक उन्नति कर सकते हैं ? आप सोच सकते हैं।

जवाहरलाल जी ने कहा-तुम्हारा कहना सच है। प्रौढ़ शिक्षा, युवाओं की शिक्षा से भी बढ़कर है।

उपाय एक ही है कि हर शिक्षित व्यक्ति अपने ऊपर यह "ज्ञान-ऋण" समझे कि उसे साक्षरता प्रसार के लिए कुछ न कुछ योगदान देना है। प्रौढ़ पाठशालाओं की स्थापना और उनका संचालन हर शिक्षित का इन दिनों एक धर्म कर्तव्य बन जाना चाहिए। थोड़े से उत्साही शिक्षित लोग ऐसी छोटी रात्रि पाठशालाएँ गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले चला सकते हैं जिनमें निरक्षर वयस्कों को पढ़ने की सुविधा मिल सके। महिलाओं के लिए रात्रि का नहीं तीसरे पहर का समय सुविधाजनक रहता है। दो-दो तीन-तीन घण्टे की भी यह पाठशालाएँ चलती रहें तो एक वर्ष में ये किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा की जितनी योग्यता कराके उसे साक्षरों की पंक्ति में बिठा सकती हैं।

चालीस वर्ष तक निरक्षर रहने वाली अमेरिका की एक स्त्री एनन को पढ़ने की रुचि जागृत हुई, तो लगातार पढ़ती ही चली गई। ६७ वर्ष की आयु में जब वे मरीं, तब पाँच विषयों में एम०ए० थी। उन्होंने यह कहावत झूठी कर दी कि बूढ़े तोते पढ़ नहीं सकते।

शिक्षा की उपयोगिता, आवश्यकता, महत्ता से अभी अपने देशवासी पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। इसलिए इस संदर्भ में यह काम भी हाथ में लेना होगा कि जनसाधारण को अशिक्षा के बुरे परिणाम बताए जाएँ। इसके लिए घर-घर जाकर जनसंपर्क, गोष्ठियाँ, पंचायतें, चित्र प्रदर्शनियाँ, गीत, सम्मेलन, नाटक, अभिनय आदि जो भी प्रचार माध्यम संभव हों, उन्हें काम में लाया जाना चाहिए। शिक्षितों में पुस्तक, पर्चे आदि के माध्यम से भी कुछ प्रचार किया जा सकता है, पर अशिक्षितों में तो दृश्य और श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से ही कुछ प्रभाव पड़ सकता है और यदि शिक्षा का महत्त्व समझाने वाली टोलियाँ निकल पड़ें तो निस्संदेह साक्षरता की रुचि जगाई जा सकती है और यदि गाँव-गाँव, गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले, प्रौढ़ पाठशालाओं का रात्रि तथा तीसरे पहर का क्रम बनाया जा सके तो यह उत्साह एक से दूसरे में छूत की तरह लगेगा और उस उमंग भरे प्रवाह में देश के माथे पर से निरक्षरता का कलंक सुगमता पूर्वक धोया जा सकेगा।

आवश्यकता है विचारशील लोगों का ध्यान इस छोटे, किंतु महान रचनात्मक कार्य की ओर आकर्षित करने की। विद्यादान के इस पुनीत यज्ञ में हर व्यक्ति अपने ढंग से समय-श्रम या मनोयोग देकर सहयोग करने लगे तो जनस्तर पर भी चंद दिनों में हमारा देश साक्षरता का लाभ प्राप्त कर तेजी के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है।

प्रश्न

१. साहित्य द्वारा होने वाले लाभों पर प्रकाश डालिए ?
२. अशिक्षितों को अर्द्ध मनुष्य क्यों कहते हैं ?
३. क्यूबा ने अपनी अशिक्षा की समस्या कैसे हल की ?
४. सिद्ध कीजिए कि-“भारत में साक्षरता की प्रगति बहुत ही धीमी है।”
५. निरक्षरता की समस्या को हल करने के लिए अशासकीय स्तर पर कौन से कदम उठाने चाहिए ?
६. “ज्ञान ऋण” से आप क्या समझते हो ? प्रत्येक शिक्षित का इस युग में क्या कर्तव्य है ?
७. साक्षरता प्रसार आंदोलन कैसे चलाया जाए ?
८. जनसाधारण में शिक्षा का महत्त्व प्रतिष्ठापित करने हेतु क्या किया जाना चाहिए ?
९. देश में शत-प्रतिशत साक्षरता कैसे लाई जा सकती है ?



व्यायाम और स्वास्थ्य शिक्षा

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, स्वच्छता, स्नान, निद्रा आदि की तरह श्रम की भी अनिवार्य आवश्यकता है। शरीर के कलपुर्जों को ठीक तरह गतिशील एवं परिपुष्ट रखने के लिए हर प्राणी को समुचित श्रम करना पड़ता है। आहार की खोज में पशु पक्षी लंबी यात्राएँ करके और शरीर को श्रम से थकाकर स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रहते हैं। मनुष्य ने जब से आरामतलबी की आदत अपनाई, तब से उसे अल्पायु और अस्वस्थता का अभिशाप भुगतने के लिए विवश होना पड़ा।

अभी भी जो प्रकृति पुत्र कृषक, मजदूर अथवा वन जातियों के रूप में कठोर श्रम के अभ्यस्त हैं, वे रूखा सूखा खाकर, अभाव ग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक दीर्घजीवी और निरोगी पाए जाते हैं। श्रम की उपेक्षा और आरामतलबी की आदत यदि आज की तरह ही अपने स्वभाव का अंग बनी रही तो देश की अर्थव्यवस्था, समृद्धि और प्रगति पर असर पड़ेगा ही, स्वास्थ्य की समस्या भी दिन-दिन अधिक विकट होती चली जाएगी। अमीर लोग फैशनेबुल बाबू और कोमलांगी महिलाएँ आरामतलबी का जितना आनंद लेना चाहेंगे उससे हजार गुना अधिक दुःख अस्वस्थता और अन्य संकटों के साथ भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य को जितनी जल्दी जितना गहराई तक जन-मानस में उतार दिया जाए उतनी ही भलाई है।

सेक्रेटरी ने कहा-सर ! आप इस देश के मालिक हैं, अपनी कुर्सी मेज अपने हाथ से बनाएँ, यह अच्छा नहीं लगता। इस पर उन्होंने उत्तर दिया-प्रश्न फर्नीचर का नहीं है, शरीर स्वस्थ रखने के लिए कोई भी हो, श्रम तो आवश्यक है ही। यह व्यक्ति था तुर्की का निर्माता-कमालपाशा।

कठोर श्रम की उपयोगिता एवं आवश्यकता से हर मनुष्य को परिचित होना चाहिए। संपदाएँ और विभूतियाँ कठोर श्रम से ही उपलब्ध होती हैं। हरामखोरी पर दरिद्रता की लानत ही बरसती है। इतना ही नहीं जो काम से जी चुराएगा, हरामीपन अपनाएगा, उसे प्रकृति का

कोप पग-पग-पर दुर्बलता और बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य से सर्वसाधारण को अवगत कराने के लिए हमें श्रम की महत्ता प्रतिपादित कराने वाला आंदोलन चलाना चाहिए। उन नौकरी पसंद शिक्षितों की भर्त्सना करनी चाहिए जो श्रम से जी चुराकर देहातों को छोड़ शहरों के गंदे वातावरण में भागते और सफेद पोश बाबू का खोखला और गंदा जीवन जीने को पसंद करते देखे जाते हैं।

श्रम की प्रतिष्ठा अपने देश की समृद्धि और स्वस्थता की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसी विचार ने श्रमिकों को अछूत बनाकर तिरस्कार और उन्हें विधर्मी बनने के लिए विवश किया। हिंदू जाति के घटते जाने और उसके अन्य धर्मों में घुसे जाने से जो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो रहा है, उसके मूल में यही श्रम के तिरस्कार की विडंबना घुसी बैठी है। सामूहिक श्रमदान का महत्त्व हमने समझा होता तो गणपशप में गुजारने वाले समय का सदुपयोग करके हम अगणित ऐसे रचनात्मक कार्य कर सकते थे, जिससे राष्ट्र की समृद्धि, सुव्यवस्था और प्रगति में भारी सहायता मिल सकती थी।

जेलर ने देखा कि जिस कैदी को कल फाँसी होने वाली है, आज कसरत कर रहा है। उसने पूछा-महाशय ! आपको तो कल फाँसी लगने वाली है। कसरत करने से क्या लाभ ? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया-क्या आपका यह मतलब है कि जिस परमात्मा ने हमें स्वस्थ पैदा किया है, उस परमात्मा के पास अस्वस्थ होकर जाऊँ और अपना जीवन भर का क्रम बिगाड़ूँ। जेलर को स्तंभित करने वाले-रामप्रसाद बिस्मिल थे।

श्रम की महत्ता समझाने के लिए हमें व्यायाम आंदोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए। जगह-जगह व्यायामशालाएँ खोलनी चाहिए और खेल-कूदों से लेकर आसन प्राणायाम तक, सामान्य परेड से लेकर शस्त्र संचालन तक की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए इस रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र के शारीरिक और मानसिक बल में आशाजनक अभिवृद्धि होगी।

नियमित व्यायाम एक बहुत ही अच्छी आदत है, जिसका शारीरिक ही नहीं मानसिक बलवर्धन पर भी आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। परिश्रमशील होकर दिनभर थकाने वाली कड़ी मेहनत करना अच्छी नींद लाने और खुल कर भूख लगने के लिए सबसे अच्छी और सस्ती दवा

है। इसमें खर्च कुछ नहीं, आमदनी बढ़ने की संभावना निश्चित है, पर व्यायाम का चमत्कार तो दूसरा है। उसका प्रभाव केवल शरीर संचालन तक सीमित नहीं, वरन् वह स्वभाव और मनोबल के परिष्कार की भी सुविधा प्रस्तुत करता है। दिनभर लोहा पीटने वाले लुहार की अपेक्षा अखाड़े में दो घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक परिपुष्ट पाया जाता है। इसका कारण व्यायाम के साथ जुड़ी हुई उत्साहवर्धक भावना है। कसरत करते समय यह मान्यता रहती है कि हम स्वास्थ्य साधना कर रहे हैं और इस आस्था का मनोवैज्ञानिक असर ऐसा चमत्कारी होता है कि देह ही परिपुष्ट नहीं होती, मन की हिम्मत तथा सशक्तता भी बहुत बढ़ जाती है।

एक व्यक्ति कई-कई दिन तक बाहर रहता, लौट कर आता तो पड़ौसी पूछता आजकल आप क्या कर रहे हैं ? बहुत कम दिखाई देते हैं। वह व्यक्ति बोला-भाई ! अब शरीर तीसरी अवस्था में है। भगवान की सेवा और पूजा-परमार्थ भी तो करना चाहिए। एक दिन उस व्यक्ति ने छिपकर तलाश की तो पता चला कि वह सज्जन तो गाँव-गाँव जाकर व्यायामशालाएँ खुलवाते हैं। लौटने पर पूछा-आप तो पूजा-पाठ करते हैं जब कि तथ्य यह है कि आप लोगों को व्यायाम की शिक्षा देते हैं। वह व्यक्ति बोला-कोई भी समाज सेवा ईश्वर का ही भजन है। आज इसी भजन की उपयोगिता भी है।

व्यायाम के साथ जुड़े हुए खेलकूद बढ़िया किस्म के प्रत्यक्ष उल्लास प्रदान करने वाले मनोरंजनप्रद होते हैं। शरीर की उपेक्षा से ही शरीर बिगड़ता है। व्यायाम हमारा ध्यान स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करता है और उसकी सुरक्षा तथा परिपुष्टि के लिए उमंग पैदा करता है। आलस्य का त्याग और श्रम में अभिरुचि उत्पन्न करने वाली मनोदशा बनती है। खेलकूदों के साथ जुड़ी हुई प्रतियोगिताएँ मन में स्पर्धा उत्पन्न करती हैं कि हमें साथियों के समान सशक्त होना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। शारीरिक सशक्तता के साथ मनोबल बढ़ने की बात सर्वविदित है। कमजोरी और बीमारी शरीर तक ही सीमित नहीं वरन्/वह मन को दुर्बल और रुग्ण बनाती है, जोकि देह की अस्वस्थता से भी अधिक अहितकर हैं। व्यायाम इन विपत्तियों और व्याधियों से बचाता है। फौजी दौड़ के ढंग के व्यायाम, अनुशासन, क्रम बद्धता, मिलकर चलना जैसे

सद्गुणों को विकसित करते हैं। शस्त्र संचालन को यदि व्यायाम के साथ जोड़ लिया जाए तो व्यक्ति साहसी, शूरवीर, धैर्यवान, अनीति का प्रतिरोध, बलिदान की तत्परता जैसी सद्प्रवृत्तियों को पनपाता है। आतंकवादी, दुष्ट, दुरात्माओं को डराने और नियंत्रण में रखने के लिए हमारी समर्थता और तेजस्विता को यह शस्त्र व्यायाम भली प्रकार प्रदर्शित कर सकता है और इस प्रदर्शन मात्र से दुष्ट दुरात्माओं के आक्रमणकारी हौंसले आधे तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

एक दुर्बल और रोगी लड़का अपने पिता से बोला-पिताजी! मैं एक दिन पहलवान बनूँगा। पिता ने व्यंग में उत्तर दिया-बेटा ! जरूर पहलवान ही नहीं दुनियाँ के सबसे बड़े पहलवान बनोगे। पासवर्ती लोग हँस पड़े, पर लड़का उपहास सहकर भी एक दिन सचमुच ही न केवल अच्छा पहलवान ही बना, वरन् कसरत की अनेक विद्याएँ, पी० टी० के अभ्यास बनाने के कारण सैंडो के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सर्वतोमुखी समर्थता का अभिवर्धन करने के लिए अपने देश में व्यायाम शिक्षा को, व्यायामशालाएँ स्थापित करने की प्रवृत्ति को, व्यायाम प्रतियोगिताओं को समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमें एक व्यायाम आंदोलन चलाना चाहिए जिससे न केवल शारीरिक परिपुष्टता अभिवर्धन एवं स्वास्थ्य की रक्षा की समग्र शिक्षा दी जाए वरन् यह भी सिखाया जाए कि ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर कैसा जादू भरा असर पड़ता है। चिंता, निराशा, भय, कायरता, लोभ, कृपणता, छल, दुष्टता आदि मनोविकारों के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से यदि जनसाधारण को भली-भाँति परिचित कराया जा सके तो लोग बीमारी से बचने के लिए सदाचरण की रीति-नीति अपना कर एक समय सुविकसित समाज की रचना में योगदान देंगे।

स्वास्थ्य संबंधी समुचित जानकारी न होने से स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध सभी को अल्पायु और रुग्णता का कष्ट सहना पड़ता है। स्वास्थ्य संरक्षण के सर्वतोमुखी शिक्षण के साथ जुड़ा हुआ व्यायाम आंदोलन चलाने के लिए लोकसेवी कार्यकर्ता यदि आगे आएँ और उसकी सुव्यवस्थित योजना बनाएँ तो निस्संदेह वे मानव जाति की महती सेवा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं।

प्रश्न

१. मनुष्य की अल्पायु एवं अस्वस्थता का मूल कारण क्या है ?
२. संपदाएँ एवं विभूतियाँ कैसे उपलब्ध होती हैं ?
३. श्रम की प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
४. हिंदू जाति के घटते जाने का मूल कारण क्या है ?
५. व्यायामशालाओं की आवश्यकता क्यों है ?
६. दिन भर लोहा पीटने वाले लुहार की अपेक्षा दो घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक ताकतवर क्यों होता है ?
७. खेल-कूद के लाभ बताओ ?
८. व्यायाम आंदोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए ?



अश्लीलता हमें पतित बना रही है

स्त्री पुरुषों के बीच का संबंध अति पवित्र और अति उच्च स्तर का है। माता और पुत्र, बहिन और भाई, बाप और बेटी के रूप में नर-नारी के संबंधों की चर्चा सदा बहुत्र ही पवित्रता और शालीनता के साथ की जाती है। पति-पत्नी के बीच भी जिस रिश्ते का निर्वाह होता है, वह संखा, मित्र, सहायक, विश्वासी, साझीदार, संपर्क और घनिष्ठतम सद्भावना संपन्न स्नेही का है। दांपत्य-जीवन की सारी अवधि इसी दृष्टिकोण के साथ वे काटते हैं।

वासना का, काम-क्रीड़ा का स्थान मानव जीवन में, गृहस्थ जीवन में नगण्य सा है। जो है उसे भी इतना गुह्य रखा जाता है कि किसी तीसरे को उसे देखने-सुनने का अवसर न मिले। जनजीवन की दृष्टि से इस अति नगण्य और गुह्य तथ्य को सदा सार्वजनिक चर्चा अथवा चिंतन में अधिक स्थान देना हेय माना जाता रहा है, क्योंकि यौन विषयक चर्चा एवं चिंतन से अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सार्वजनिक हानियाँ हैं। काम-चिंतन शरीर में अनावश्यक उत्तेजना पैदा करके वीर्य जैसी अमूल्य धातु के अपव्यय का द्वार खोलता है, इससे जीवन-शक्ति रूपी मूल्यवान पूँजी घटती है और शरीर दुर्बल, अशक्त एवं रुग्ण बनकर अल्पायु के संकट में फँसता है। स्वप्नदोष, प्रमेह, शीघ्रपतन, नपुंसकता आदि कितने ही रोग घेर लेते हैं। शरीर को जितना अधिक कामोत्तेजना से जलाया, उबाला, गलाया जाएगा, उतना ही वह क्षीण और अशक्त होता चला जाएगा। मानसिक दृष्टि से भी अनेक हानियाँ हैं। अश्लील चिंतन में इतना आकर्षण है कि मस्तिष्क उन्हीं बातों में रुचि लेने का अभ्यस्त बन जाता है और ऐसी अनैतिक अमर्यादित कल्पनाओं की घटा घुमड़ने लगती है जिन्हें शेखचिल्ली की कल्पना के समकक्ष रखा जा सके। जिनके मस्तिष्क में कामुकता के विचार घूमेंगे, उनके लिए शिक्षण, अध्ययन, भजन, चिंतन, मनन तथा महत्त्वपूर्ण विधियों पर एकाग्र होना कठिन हो जाएगा।

सामाजिक दृष्टि से कामुकता भरे अश्लील चिंतन नारी जाति के प्रति उस घृणित स्तर की कल्पना करने के लिए घसीट ले जाते हैं, जैसी

कि वह वस्तुतः है नहीं। नारी बहिन है, नारी माता है, नारी बेटी है और नारी सहधर्मिणी है। उसे रमणी, कामिनी, वासना एवं उपभोग की प्रतिमा के रूप में देखना, सोचना ऐसा ही है जैसे किसी मंदिर में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को उठाकर दुर्गंधित सड़ी कीचड़ में पटक देना। नारी पवित्रता की प्रतिमा है। नर के लिए उसके अगणित उच्चस्तरीय अनुदान हैं। चिंतन ही करना हो तो उसे दूध पिलाती हुई माँ के रूप में, गोद में खेलती बेटी के रूप में चित्रित किया जा सकता है।

एक सांप्रदायिक दंगे से पीड़ित दिल्ली की कुछ मुसलमान लड़कियाँ एक घर में घुस गईं, पर यह क्या यह तो एक सिख का घर था, कुलवंत सिंह नामक यह सिख पाकिस्तान में लुटकर आया था। लड़कियों को काटो तो खून नहीं। जब तक शरारती लोग भी आ पहुँचे। कुलवंत सिंह ने दरवाजा खोलकर उन लोगों को यह कह कर भगा दिया कि यहाँ कोई नहीं आया। उनके चले जाने पर कुलवंत ने डरी हुई लड़कियों को चाय पिलाई और टैक्सी करके उनके घर तक सुरक्षित पहुँचा दिया। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच गाँधी जी इस युवक से मिलने उसके घर गए।

आज कामुकतापूर्ण उपन्यासों की बाढ़ सी आ गई है। काम-कला का दिग्दर्शन करने वाली नंगी, गंदी और गुह्य क्रिया-कलापों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने वाली किताबें तथा तस्वीरें बाजार में भरी पड़ी हैं। देवी-देवताओं के युग्म कलैंडरों और तस्वीरों में इस पोज के साथ छपते हैं मानों कोई वेश्या और लंपट काम कौतुक करने के लिए उतारू हो रहे हों। अवतारों के महान प्रयोजनों को विस्मृत कर उन्हें वासना का प्रतीक बना दिया गया है।

दुकानों, घरों और कमरों में टैंगी हुई अर्द्धनग्न महिलाओं की तस्वीरें बताती हैं कि हम नारी को उसकी गरिमा से गिराकर निर्लज्ज वेश्या के स्तर पर खड़ा करने के लिए उतारू हैं। उसकी सारी महत्ताएँ समाप्त हो गईं, केवल कामुकता की एक विशेषता ही शेष है। चढ़ते यौवन को अर्द्धनग्न देखने के लिए नारी को हम महत्त्व देते हैं। शेष असंख्य विशेषताओं और गरिमाओं की ओर से आँखें बंद कर ली गई हैं। नारी की वृद्धावस्था, शैशव, वात्सल्य, कठोर श्रम एवं शालीनता का लगता है अब कोई महत्त्व नहीं रहा है अन्यथा उस स्थिति के भी चित्र बनते और वे भी

हमारे घरों-कमरों की शोभा बढ़ाते। नारी का नग्न, अश्लील और कामुक चित्रण हमारी रुग्ण मनोभूमि का चिन्ह है। सिनेमा के पोस्टरों से लेकर ग्रामोफोन के रिकार्डों तक, सभी ने मानो नारी की आबरू पर हमला करने की ही ठान ठानी है और वे उसे वासना के उपभोग की प्रतिमा मात्र अंकित करना चाहते हैं। बरसाती घास पात की तरह छपने और बिकने वाला साहित्य आजकल अश्लीलता और कामुकता की दुष्प्रवृत्ति को भड़काने के लिए प्रस्तुत होता है। लोगों की पशुता से अनुचित लाभ उठाने के लिए उसे विष के घूँट पिलाने वाले उपकरण जुटाने वाले दोनों हाथों से दौलत समेटने में लगे हुए हैं। लेखनी और वाणी का सारा प्रवाह इसी दिशा में लगा हुआ है, मानो वह जनसाधारण की पशु प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए ही सृजी गई हो। भगवती सरस्वती को जिस घृणित कार्य में आज के कलाकार, गायक, अभिनेता, चित्रकार, साहित्यकार एवं दुकानदार ने बलात् नियोजित कर दिया है, उसे कला के प्रति किया गया जघन्य अपराध ही कहना चाहिए।

इस भौंडे विचार-प्रवाह का प्रभाव नारी पर भी पड़ा है और वह नर की पशुता के अनुरूप झुकने के लिए अपने को तैयार करती जा रही है। चूँकि नर पशुओं द्वारा नारी की मांसलता और नग्नता को सराहा जाता है इसलिए नई पीढ़ी की नारी ज्ञात या अज्ञात रूप में अपने को उसी ढाँचे में ढालने लगी है। शृंगार और फैशन के नाम पर अब उसने ऐसा वेश विन्यास बनाना शुरू कर दिया है जो भौंडा और फूहड़ कहा जा सकता है। अर्धनग्नता और उभारों को सर्वसाधारण की आँखों में आकर्षक ढंग से लाने का विन्यास वेश्याओं को शोभा देता है, शालीन परिवारों की महिलाओं के लिए यह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं। जिससे दूसरों को अपनी ओर घूरने की उत्तेजना मिले, ऐसा शृंगार भारतीय ललनाओं के गौरव को गिराने वाला ही कहा जाएगा। हम अपनी भोली बच्चियों को सतर्क करें कि वे अनजान में ही देखा-देखी ऐसे शृंगार एवं विन्यास को न अपनाएँ जो पुरुष-वर्ग की पशुता को और अधिक उत्तेजित करने में सहायक बने। लज्जा और शालीनता ही नारी का भूषण हैं। यह तथ्य भारतीय नारी के रोम-रोम में समाया रहना चाहिए।

गाँधीजी से कुछ लोगों ने शिकायत की कि उनकी लड़कियाँ जब पढ़ने जाती हैं, तो लड़के अश्लील शब्द बकते हैं। गाँधीजी ने उनसे

कहा-अपनी लड़कियों से कहना कि वे कल से सिर मुँड़ाकर स्कूल जाएँ फिर बताना लड़के क्या करते हैं ? अभिभावकों ने अनुभव किया कि सारा दोष लड़कों का ही नहीं, पश्चिम सभ्यता का प्रभाव और उच्छृंखलता भड़काने वाले वेश-विन्यास का भी है, सो वे लड़कियों को सादगी से रहना सिखाने लगे।

अश्लीलता की पूतना हमारी आत्मा को विष के घूँट पिलाने आई है। इस पिशाचिनी से जैसे भी बने पिंड छुड़ाया जाना चाहिए, तभी हम शालीनता, सज्जनता एवं संस्कृति के सजग प्रहरी कहला सकेंगे। मद्य और माँस बेचने की तरह इस प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें बेचने से दुकानदार साफ इनकार कर दें, जो कि कामुकता भड़काकर जनमानस को अधःपतित बनाने की भूमिका बनाती हैं। कलाकार अपनी कला को कलंकित न करें। गायक वह न गाएँ, जिसमें मनुष्य की प्रवृत्तियाँ पशुता की ओर उन्मुख हों। वादक वह न बजाएँ जिससे वासना भड़के। अभिनेता वैसा अभिनय न करें जिससे अपरिपक्व बुद्धि की नई पीढ़ी कामुकता के दुष्परिणाम भुगते। साहित्यकारों के लिखने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। उसमें से अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाकर और कुछ भी लिखें।

सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक विचारशील ऐसे उत्पादन से घृणा करें। इस व्यवसाय से धन कमाने वालों की भर्त्सना करें और सर्वसाधारण को सचेत करें कि अश्लीलता की सर्वनाशी आग से खेलने का भोंड़ा मनोरंजन बंद करें अन्यथा यह बहुत मँहगा पड़ेगा। पुस्तकालयों में ऐसी उत्तेजित पुस्तकें बहिष्कृत करा दी जाएँ। घर-कमरों में टंगे ऐसे चित्र हटा दिए जाएँ, जिनकी बाप-बेटी साथ-साथ बैठकर समीक्षा न कर सकें। रेडियो और रिकार्डों में से उत्तेजक गानों को न सुनने की ठान ठानी जाए। सभी सार्वजनिक प्रदर्शनों के रूप में अश्लीलता की पूतना को एक आसुरी विभीषिका के रूप में निकाला जाए और दुष्ट होलिका राक्षसी की तरह उसे जलाया जाए। किसी जमाने में विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे, अब समय आ गया है कि अश्लीलता और कामुकता भड़काने वाले समस्त प्रसाधनों को कूड़े-करकट की तरह इकट्ठे करके उन्हें होली की तरह जलाएँ और उस दुष्प्रवृत्ति की हानि सर्वसाधारण को

समझाएँ। इन सबसे हम बचें, अपने बच्चों को बचाएँ और सर्वसाधारण को अश्लीलता की अनैतिकता से सतर्क करें, यही हमारे लिए उचित है।

प्रश्न

१. अनेक रूपों में, नर और नारी के बीच का संबंध हमारे भारतवर्ष में किस तरह का माना जाता रहा है ?
२. वासना की चर्चा क्या सामाजिक जीवन में करना उपयुक्त होगा ?
३. वासना की चर्चा सामाजिक जीवन में करने से हमें क्या हानियाँ हैं ?
४. मस्तिष्क में कामुकता का विचार भरने से हमें क्या हानियाँ हैं ?
५. आज नारी जैति का किस प्रकार अपमान किया जा रहा है ?
६. उपन्यास और चित्र-तस्वीरें आज किस तरह पेश की जा रहीं हैं ?
७. पवित्र नारी को निर्लज्ज वेश्या के रूप में पेश करने में कौन-कौन से उद्योग बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं ?
८. इस समय नारियों को क्या करना चाहिए, पर वे क्या कर रहीं हैं ?
९. अश्लीलता की बाढ़ से समाज को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए ?



आदर्श विवाह बिना फिजूलखर्ची

सफल विवाहों के लिए आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों की धन संपन्नता को संबंध का आधार बिल्कुल न रहने दिया जाए। विवाह अति सादगी के साथ बिना खर्च के हों। लड़के वाले यह आशा न करें कि लड़की दौलत लेकर आएगी और लड़की वालों को यह आशा न हो कि बड़प्पन का गर्व जेवरों से लिपटा हुआ है। बच्चों के उपयुक्त शारीरिक, मानसिक स्थिति के समान जोड़े तभी मिल सकते हैं, जब पैसे का व्यवधान बीच में से हटे। इसी प्रकार भारत जैसे गर्म देश की जलवायु तथा वंश परंपरा सामान्य रंग-रूप की है। यहाँ रंग, रूप में सिनेमा जैसे अभिनेता वर-वधू कहीं कहीं ही मिल सकते हैं। अस्तु सर्वसाधारण को अपनी बहिन-बेटियों जैसे सामान्य रंग रूप की वधुओं से ही संतोष करना होगा। सौवला रंग या काला रंग बुरा नहीं होता। चमड़ी का रंग या चेहरे का कट किसी श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। उस पसंदगी के पीछे केवल घृणित कामुकता का ओछापन ही झलकता है। मानसिक उत्कृष्टता ही गृहस्थ की सुख शांति की आधार शिला है और वह रूपवानों में ही सीमित हो, यह जरूरी नहीं। सच पूछा जाए तो उसका बाहुल्य कुरूपों में अधिक होता है। वे रंग रूप के अहंकार और आकर्षण से बचकर अपने चरित्र और मस्तिष्क को अपेक्षाकृत अधिक सही रख सकते हैं और साथी के प्रति अधिक वफादार हो सकते हैं।

निजामपुर के श्री राधिकाचरण ने अपने पिता और परिवार वालों की इच्छा पर उस समय पानी फेर दिया जब युवक ने स्पष्ट कह दिया कि वह किसी काली लड़की से ही शादी करेंगे। घर वाले दहेज के लालच में सौदा कर चुके थे, वह तोड़ना ही पड़ा। विवाह नगर के ही वकील कमलाकांत की काली लड़की शशिकला के साथ सानंद संपन्न हुआ।

हमें यदि अपने बच्चों को सुखी गृहस्थ बनाना हो तो उनके बौद्धिक विकास, चरित्र एवं स्वभाव को प्रमुखता देनी होगी और इसके लिए दो सबसे बड़ी बाधाओं-धन और रूप को प्रधानता देनी बंद करनी होगी। गरीब घरों में आमतौर से परिश्रमी, शिष्ट, सहिष्णु और सेवा भावी

स्वभाव की कन्याएँ पाई जाती हैं। वे उन्हीं को मिल सकती हैं, जो धन के लालची न हों। इसी प्रकार जिसे रूप नहीं मिला है, वह अपनी विशेषताएँ गुणों में बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यह अति स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सुखी और संतुष्ट गृहस्थ बसाना हो तो आज के दोनों ही दृष्टिकोण बदलने होंगे।

विवाहोत्सव का स्वरूप धर्मानुष्ठान जैसा अति सादगी, पवित्रता और सद्भावना भरा होना चाहिए। अहंकारी, उद्धत, कृतघ्न और लुटेरों जैसा नहीं। कन्या का पिता प्रसन्न है कि उसकी पुत्री को अच्छा साथी एवं सज्जन परिवार मिला। उसकी कृतज्ञता और नम्रता स्वाभाविक है। लड़के वालों को इससे भी चौगुना-सौगुना अधिक कृतज्ञ एवं नम्र होना चाहिए। मनुष्य से बढ़कर मूल्यवान वस्तु संसार में और कुछ नहीं। अपनी आत्मा के अंश को, भाव भरी कन्या को जो दे रहा है, उसका अनुदान राजा बलि से भी बढ़कर है। बलि के दरवाजे कुछ लेने भगवान गए थे, तो उन्हें बावन अंगुल का छोटा-रूप, नम्र कलेवर, बनाकर जाना पड़ा था। यह एक ही अनुदान अहसान इतना बड़ा है कि इसके लिए वर पक्ष वाले हर व्यक्ति को, वर को, उसके माता-पिता को कृतज्ञता के भार से नतमस्तक हो जाना चाहिए। उससे जैसा भी आतिथ्य बने, भूरि-भूरि प्रशंसा के साथ स्वीकार करना चाहिए और जो दे रहा हो उसमें कमी करने के लिए बार-बार अनुरोध भरा आग्रह करते रहना चाहिए। बारात की संख्या एवं अपने लोगों की आवभगत का अथवा उपहार दहेज देने का ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए, जिसका उस परिवार की आर्थिक स्थिति पर तनिक भी दबाव पड़ता हो। जो कन्या जैसा संसार का महत्तम अनुदान दे रहा है, उस घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुँचाना अथवा दबाव डालना परले सिर की हृदयहीनता तथा कृतघ्नता है। हममें से किसी को भी इस नीचे स्तर पर नहीं उतरना चाहिए।

आमतौर से लड़के वालों की मनोभूमि लुटेरों जैसी और कन्या पक्ष वाले की पुलिस में पकड़े हुए दीनदुर्बल अपराधी जैसी होती है। एक का अहंकार आसमान को छू रहा है और दूसरा अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर दीनता पूर्वक गिड़गिड़ा रहा होता है। यह स्थिति उत्पन्न करना हृदयहीन और उद्धत लोगों को ही शोभा दे सकता है। जहाँ सहृदयता, मनुष्यता और कृतज्ञता के कुछ भी अंश होंगे, वहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल

उलटी दिखाई देंगी। तब सास को जामाता के पैर नहीं छूने पड़ेंगे वरन् जामाता अपनी माता से भी अधिक पूज्य सास के चरण स्पर्श करेगा। तब वह मोटर साइकिल दहेज में लेने के लिए अड़ेगा नहीं, वरन् आग्रह पूर्वक यही कहता रहेगा, हमें वधू प्राप्त कर लेने के बाद केवल आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन भर की आवश्यकता शेष है, जिसके बलबूते पर हम अपने पुरुषार्थ और सद्गुणों से सुंदर गृहस्थी बसा सकें।

सहारनपुर के एक इंजीनियर के पिता ने उसकी शादी में दस हजार का दहेज लिया। लड़की वालों को आखिर शादी तो करनी ही थी, अपना एक मात्र घर बेचकर दहेज चुका दिया गया। लड़का समझदार था, विवाह हो गया, तो सारा दहेज पिता को देकर बोला-पिताजी ! संभाल लीजिए सारे रुपए ठीक मिल गए न। पिता ने कहा-हाँ ! मिल गए, अब चलो घर तो चलें ? लड़के ने कहा-अब घर किस वास्ते जाएँ ? दस हजार में बिक गए, अब यहीं रहेंगे। लड़की और उसके पिता की सेवा करेंगे, आपको तो मेरा मूल्य मिल गया। पिता सिर पटककर लौट गया, लड़का टस से मस नहीं हुआ। विचारशील लोगों ने लड़के की प्रशंसा की और कहा-हिंदू धर्म का कोढ़ ऐसे ही दूर होगा।

बड़ी संख्या में बारात बेटी वाले के दरवाजे पर ले पहुँचना व्यर्थ है। अपने मित्रों का प्रीति भोज करना हो तो विवाह के बाद वर कन्या के हाथों भोजन परोसवा कर अपने घर दावत करनी चाहिए। मँहगे दाम के बाजे बजवाने, सजधज की बारात निकालने और आतिशबाजी छूटने की फिजूलखर्ची हम मध्यम श्रेणी के लोगों को शोभा नहीं देती, जिनके लिए एक-एक पैसे का बड़ा मूल्य है। लड़की पर चढ़ाने के लिए इतने मँहगे कपड़े किस काम के जिन्हें पहनकर वह बंदर जैसी अजनबी और बिल्कुल कृत्रिम लगे ? घर में जैसे पहने जाते हैं, उससे ड्यौढ़े दूने दाम तक के कपड़े वर-वधू को दिए जा सकते हैं, पर नाटकों में नाचने वाले नटों जैसी पोशाकों पर पैसा लुटा देना किसलिए ? सभी जानते हैं कि जेवरों में पूँजी रुकती है। आधा पैसा बनवाई, मिलावट और टॉके-बट्टे में चला जाता है। रोज टूटते हैं। ईर्ष्या पैदा करते हैं और चोरी उठाईगीरी का डर रहता है। अब विचारशील लोगों में जेवर जंगली युग के अवशेष कहे जाते हैं। उनका लटकाना, मटकाना, असभ्यता एवं भौंड़ेपन की निशानी मानी जाती है। अच्छा यही है कि अँगूठी, मंगलसूत्र जैसे प्रतीक आभूषणों

को छोड़कर इस जंजाल में पैसा न लुटाया जाए। हर पैसे को उपयोगिता की कसौटी पर कसकर ही खर्च किया जाना चाहिए। विवाह भी इसी शाश्वत नियम के अपवाद नहीं हो सकते। उस छोटे से उत्सव में भी मितव्ययिता का ध्यान रखा जाए। हाँ, भावनात्मक-पवित्रता एवं स्नेह-सौजन्य से भरा दो परिवारों के मिलन का ऐसा हर्षोल्लास जरूर मनाया जाए, जिसमें संगीत, संभाषण, परस्पर परिचय, मनोरंजन, अभिनंदन, आशीर्वाद, मंडप पंडाल, यज्ञ संस्कार आदि की सांस्कृतिक मधुरिमा टपकती हो। कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति ऐसी सूझ-बूझ के अनुरूप शोभा व्यवस्था स्वल्प व्यय से भी बना सकते हैं। विवाह का उद्देश्य महान है इसलिए उसका स्तर एवं वातावरण भी महानता से, उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता से भरा-पूरा होना चाहिए। ऐसे ही शुभारंभ के साथ आरंभ किया हुआ यह यज्ञ दो परिवारों में, वर-वधू में, गृहस्थ जीवन में, संतान में सद्भावना भरे रह सकता है। विवाहों की रूपरेखा हमें इसी स्तर की बनानी है।

समेरगढ़ के श्रीरतनलाल अग्रवाल ने निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व ही लड़के की शादी के निमंत्रण भेजकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। जब लोगों को मालूम हुआ कि मुहूर्त प्रथा इसलिए तोड़ी गई कि उस दिन बाजे-पालकी के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंधाधुंध शादियाँ होती हैं, तो लोगों ने उनकी बड़ी सराहना की।

यह अतिरिक्त धन आखिर आए कहाँ से ? ईमानदारी से आज की परिस्थितियों में कोई गुजारे भर को कमा सकता है। जमा करना अति कठिन है। विवाहों में इतना प्रचुर धन फूँकना जब आवश्यक ही हो गया तो बेईमानी का रास्ता अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। यदि कई बच्चे हैं और उनका विवाह भी करना है और हिंदू भी हैं तो फिर दिन-रात बेईमानी करते हुए पैसे का जुगाड़ बनाने के अतिरिक्त किसी के सामने और कोई उपाय नहीं रहता। सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत, मजदूरों के लिए चोरी, व्यापारी के लिए मिलावट करना या कम तोलना, लोकसेवकों के लिए चालबाजियाँ, चिकित्सकों के लिए रोगी को डराकर पैसे ऐंठना आदि अनीतिपूर्ण मार्ग ही शेष रह जाते हैं। जो चतुरतापूर्वक छिपी रहने वाली चालाकी नहीं कर सकते, उन्हें जोखिम भरे और फूहड़ कहे जाने वाले चोरी-डकैती, लूट, कत्ल, ठगी, बेईमानी, विश्वासघात,

शोषण, अपहरण के ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं, जो बदनामी और राज-दंड भी साथ लिए रहते हैं।

शादियों की खर्चीली प्रथा हमें कर्जदार, मुफलिस, बेईमान और हीन स्थिति में दुःख-दारिद्र्य से भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। आमदनी बढ़ाने के कुछ रास्ते निकलते भी हैं तो उसी हिसाब से उन शादियों का और उसके बाद वर्षों तक चलने वाले अलन-चलनों का खर्च इतना बढ़ा रहता है कि किसी को बढ़ी हुई आमदनी का लाभ नहीं मिल सकता। यदि इस अनावश्यक वर्बादी से हम बच सके होते तो हर घर में थोड़ा पैसा जमा होता और उससे कुछ प्रगति के नए कार्य बनते और धीरे-धीरे वह बढ़ोत्तरी आर्थिक समृद्धि के रूप में दीखती। अमेरिका, जापान आदि देशों के लोग अपनी बचत को ऐसे कामों में लगाते हैं, जिनसे उनकी समृद्धि बढ़े। धीरे-धीरे वे धनी होते चलते हैं। हमारे सामने शादियों के खर्च की मजबूरी न रही होती तो अपने परिवारों में भी खुशहाली होती और हर किसी के चेहरे आशा-उत्साह से चमक रहे होते। हर कोई अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण ऊँचे स्तर का सुखी जीवन जीने की दिशा में बढ़ रहा होता। तब सर्वसाधारण को बेईमान बनने के लिए मजबूर न होना पड़ता।

विवेकशीलता का तकाजा है कि हम इस बात पर पुनर्विचार करें कि अपने समाज में प्रचलित विवाहों की खर्चीली प्रथा क्या उचित है ? क्या आवश्यक है ? क्या झूठी शेखीखोरी के पीछे कुछ वास्तविकता है ? यदि नहीं तो सर्वसाधारण के लिए प्राणघातक बनी हुई, चिंता से हर गृहस्थ का आधा खून सुखा देने वाली और आधी जिंदगी कम कर देने वाली इस कुप्रथा का अंत कर देने की बात सोचनी चाहिए।

यदि यह सही है कि विवाह-शादियों का वर्तमान खर्चीला स्वरूप अनुपयुक्त है तो हर विवेकशील और देशभक्त का कर्तव्य है कि उस अवांछनीयता को हटाने के लिए कुछ साहस प्रदर्शित करे, जिसके कारण अपने समाज का नैतिक और आर्थिक स्तर दिन-दिन चकनाचूर होता चला जा रहा है।

आरंभ हमें अपने घर से करना चाहिए। अपने बच्चों की शादियाँ बिना खर्च के करेंगे। न तो दहेज लेंगे और न देंगे के सिद्धांत पर दोनों पक्षों का असमंजस दूर हो सकता है। जब मिटने होंगे तो दहेज और जेवर एक

साथ मिटेंगे। एक पक्षीय सुधार संभव नहीं। समाज के विचारशील व्यक्ति औचित्य को कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर हों तो इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए पंचायती निर्णय हो सकते हैं।

जिनके मुख में जीवंत वाणी हो, वह इस अनाचार की पूरी-पूरी भर्त्सना करें। जिनके पास लेखनी हो, वह इस दुष्टता से उत्पन्न होने वाले उत्पीड़न को प्रकाश में लाएँ। जिनके पास मस्तिष्क हों, वह यह योजना बनाएँ कि किस प्रकार इस पैशाचिकता से अपना समाज मुक्ति पाए। पंच और चौधरी यदि सचमुच निष्क्रिय नहीं हो गए हों तो अपने प्रभाव को इस बात में लगावें कि हर दृष्टि से हेय और निंदनीय इस कुप्रथा को उनके क्षेत्र में से कितनी जल्दी विदाई मिल जाए। जिसके पास आत्मा हो उस पर अभिभावक को अपनी कन्या की तरह दूसरे की कन्या पर भी रहम करनी चाहिए और अपनी बर्बादी की तरह संबंधी की बर्बादी का भी दुःख-दर्द अनुभव करना चाहिए। जहाँ कहीं भी सज्जनता, करुणा, विवेकशीलता, सहृदयता और न्याय जिंदा हो, उसे दुहाई देकर पुकारा जाना चाहिए कि वह यदि मर नहीं गई हो तो जीवित होकर इस युग में इस नृशंस असुर विवाहोन्माद से लड़ पड़ने के लिए शौर्य और साहस का परिचय दे। नए रक्त, नए विवेक, नए जोश और नए यौवन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है कि अनाचार के साथ समझौता करने से स्पष्ट इन्कार कर दें। अभिभावक लाख थकते झुकते रहें, उन्हें यही कहना चाहिए कि हम लड़की देने वाले के प्रति कोमल भावनाएँ रखते हैं। हम उस उदार परिवार का रक्त पीने की दुष्टता न करेंगे। भले ही हमें अविवाहित रहना पड़े, पर दहेज, धूम-धाम, लंबी बरात तथा दूसरे कमरतोड़ खर्चों से जुड़े हुए विवाह न करेंगे। प्रहलाद को पिता क्री, भरत को माता की, विभीषण को भाई की अवज्ञा करनी पड़ी थी। अनीति के विरुद्ध भगवान की भी अवज्ञा की जा सकती है और उसमें पाप या अनुचित होने की रतीभर भी गुंजायश नहीं है। समय ने अविवाहित युवक और युवतियों को भी पुकारा है कि यदि उनके अभिभावक लोभ और व्यामोह की कीचड़ में बुरी तरह फँस गए हैं तो साहसपूर्वक आगे बढ़कर उन्हें निकालें और कलंक की कालिमा से हम सभी का मुँह उज्वल करें। खर्चीले विवाहों का अंत हर कीमत पर होना चाहिए और विवाहोन्माद विरोधी आंदोलन को हर दिशा में सहयोग एवं समर्थन मिलना चाहिए।

पूरे देश में विवाहों पर होने वाले खर्च का हिसाब लगाया जाए तो यह पैसा राष्ट्रीय दृष्टि से इतना अधिक है कि इसे बचाकर देश का पूरा वार्षिक बजट अथवा बिना किसी कठिनाई के पाँच वर्षीय योजनाओं का खर्च चलाया जा सकता है। व्यक्तिगत दृष्टि से यदि यह पैसा घर-परिवारों के स्वास्थ्य, निवास, चिकित्सा, व्यवसाय आदि आवश्यक कार्यों में लगाया जाए तो उससे अपने देशवासियों का स्तर हर क्षेत्र में ऊँचा उठ सकता है और वे प्रगति के आवश्यक साधन उपलब्ध होने पर समृद्ध देशों की पंक्ति में सहज ही खड़े हो सकते हैं।

इस संदर्भ में यदि एक बात और भी बन पड़े तो उत्तम रहेगा कि उपजातियों का दायरा बढ़ा लिया जाए और बड़ी जातियों को ही पर्याप्त माना जाए। ब्राह्मण-ब्राह्मण मात्र में, राजपूत-राजपूत मात्र में, वैश्य-वैश्य मात्र, कायस्थ-कायस्थ मात्र में, विवाह करने लगे तो इसमें शास्त्रीय परंपरा एवं संस्कृति का तनिक भी उल्लंघन नहीं होता। सनातन तो वर्ण मात्र हैं। उपजातियाँ तो यातायात की कठिनाइयों के दिनों में क्षेत्रीय लोगों का एक व्यापक वर्ग बन जाने से चल पड़ी हैं। अब उस क्षेत्रीयता और संकीर्णता को बिना किसी संकोच के प्रसन्नता पूर्वक व्यापक क्षेत्र में परिणत किया जा सकता है। इसमें अच्छे जोड़े तलाश करने में बहुत सुविधा मिलेगी और दान-दहेज का चक्रव्यूह भी सहज टूट जाएगा।

धुरियावाँ (उ०प्र०) के सेठ मुकुंदीलाल तत्परतापूर्वक लड़की की तलाश कर रहे थे। लोगों ने समझा वह अपने लड़के के लिए संबंध खोज रहे हैं, जब संबंध तय हो गया और वे अपने लिए कपड़े आदि बनवाने लगे, तब पता चला कि उन्हें बुढ़ापे में शादी का शौक चर्राया है। गाँव में युवकों ने मिलकर उनके पुत्र श्रीकृष्ण गुप्ता को राजी कर लिया। पिता घर में तैयारी कर रहा था, तब पुत्र की भाँवरें पड़ रही थीं। बुड़ंदा मन मसोसकर रह गया।

युग-निर्माण योजना ने आदर्श-विवाह आंदोलन को बड़े सुव्यवस्थित और व्यापक परिमाण में आरंभ किया है और हर विचारशील भावना संपन्न व्यक्ति का आह्वान किया है कि वह इसमें भाग लेने के लिए साहसपूर्वक आगे आएँ और अपना सहयोग प्रदान करें।

१. विवाह क्या है ? आजकल विवाह संबंध किन आधारों पर तय किए जाते हैं ?
२. विवाह संबंध का सच्चा आधार क्या होना चाहिए ?
३. गृहस्थ के सुख-शांति की आधारशिला क्या है ?
४. विवाहोत्सव कैसा होना चाहिए ? विवाहोत्सव में होने वाले अपव्यय पर प्रकाश डालिए ?
५. विवाहों की रूपरेखा किस तरह की बनानी चाहिए ?
६. आभूषण क्यों आवश्यक हैं ?
७. विवाह में लड़के व लड़की वालों की मनोभूमि कैसी होती है ।
८. कृतज्ञ किसे होना चाहिए व क्यों ?
९. आज के युवकों का क्या कर्तव्य है ?
१०. हिन्दू समाज के संगठित न होने का प्रमुख कारण क्या है ?
११. विवाहोत्सव की परंपरा प्राचीन काल में कैसी थी ?
१२. आजकल विवाहोत्सव को कमर तोड़ भार क्यों कहा जाता है ?
१३. हमारे देशवासियों की औसत आय क्या है ?
१४. विवाहोन्माद से दोनों पक्षों को कैसे हानि होती है ?
१५. विवाह के भार का सामना करने के लिए समाज के विभिन्न अंग किस प्रकार की बेईमानी करते हैं ?
१६. यदि विवाह में कम खर्च किया जाए तो समाज को क्या लाभ होगा ?
१७. बढ़ी हुई आमदनी का लाभ क्यों नहीं मिल पाता है ?
१८. विवेकशीलता का उकाजा क्या है ?
१९. विवाह प्रथा में सुधार का प्रारंभ कैसे किया जाए ? युग की माँग क्या है ?
२०. विवाहोत्सव की योजना के सही आधार क्या हैं ?

बाल विवाह एक कुप्रथा

अपने देश में बाल विवाहों का प्रचलन बहुत है। पिछड़े वर्गों में, छोटे देहातों में तो इतना बड़ा शौक-चाव रहता है कि छोटे बच्चों का विवाह करते हुए एक हर्षोत्सव को देखने का अवसर जितनी जल्दी मिल जाए, उतना ही अच्छा है। कुछ दिन पहले तक तो गर्भस्थ बच्चों की अगाऊ शादियाँ हो जाती थीं और दूध पीते बच्चों का गोदी में लेकर उनके अभिभावक विवाह कर लेते थे। अब थोड़ा सुधार हुआ तो १० और १५ वर्ष के बीच देहाती क्षेत्र में इतने अधिक विवाह होते हैं, जिन्हें देखकर यही लगता है कि हमारा पिछड़ापन अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। शारदा एक्ट और दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून यों तो बने पड़े हैं, पर वे राजकीय आधार पर मुकद्दमे चलाकर दंडनीय न होने के कारण प्रभावहीन बने हुए हैं। लाखों बाल विवाह हर साल अपने देश में होते हैं और उनसे इन बालकों की शारीरिक, मानसिक क्षति तो होती ही है, उसके साथ ही दुष्परिणाम समस्त समाज को भोगना पड़ता है।

भरतपुर की घटना है, एक विवाह हो रहा था, लड़की बहुत छोटी थी। जब पाणिग्रहण के समय पुरोहित ने लड़के को कहा- लड़की का हाथ पकड़ो। वर महोदय ने जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की ने तमाचा मारा और बोली-अब की बार अगर हाथ पकड़ा तो पटक कर चढ़ बैटूँगी। अबोध बालिका के इस व्यवहार पर कुछ लोग हँस पड़े, कुछ भीतर से बड़े दुःखी हुए कि यह विवाह है या भारतीय समाज की छीछलेदारी।

समस्त शरीर के साथ ही जननेन्द्रियों के कोमल कल पुर्जों की परिपक्वता पुष्ट होती है। असमय ही उन्हें छेड़ना और सताना शुरू कर दिया जाए तो उसका परिणाम यौन रोगों के रूप में सामने आता है। बाल विवाह जननेन्द्रियों संबंधी अनेक रोगों को आमंत्रण देना है। अपने देश में यौन रोगों की चर्चा एक लज्जा का विषय माना जाता है। इसलिए अधिकांश व्यक्ति उन कष्टों से ग्रसित होने पर भी छिपाए रहते हैं। कहते तब हैं जब

पीड़ा असह्य हो जाती है। तलाश किया जाए तो बाल विवाह के फलस्वरूप प्रमेह, स्वप्न दोष, बहुमूत्र, पेशाब की जलन, नपुंसकता, शीघ्र पतन, बाँझपन, प्रदर, मासिक धर्म की गड़बड़ी एवं पीड़ा जैसे असंख्य यौन रोगों से ग्रसित लाखों नर-नारियाँ मिल सकते हैं। यह रोग शरीरों को खोखला करते रहते हैं और उनमें तरह-तरह की छोटी-बड़ी बीमारियों को पैदा करते रहते हैं।

ऐसे दम्पति जिन्होंने छोटी आयु से ही अपने शरीरों को निचोड़ना शुरू कर दिया, कभी परिपुष्ट, सुंदर और निरोग संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, कच्चे बीज यदि बोए जाएँ तो अच्छी फसल उगने की आशा कौन करेगा ? बाल विवाह के कुचक्र ने जिन्हें चूसे हुए आम की तरह निचोड़ डाला है, उनकी संतान कमजोर, बीमार, अल्प-आयु, मंद-बुद्धि तथा अधपगली जैसी ही होंगी। वे बच्चे किसी तरह जी भी लिए तो उनसे किसी महत्त्वपूर्ण प्रयोजन या पुरुषार्थ की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे दुर्बलकाय और मानसिक दृष्टि से पिछड़ी हुई सन्तानें धरती माता के ऊपर भार बढ़ाना ही है। पीढ़ियाँ एक के बाद एक क्रमशः दुर्बल होती चली जाएँगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं बौद्धिकता का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जाएगा। बाल विवाह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। राष्ट्रीय समर्थता के लिए यह एक सघन संकट है। हमें अपनी नस्ल खराब करने की जोखिम नहीं उठाना है तो प्रचलित बाल विवाह प्रथा की उपेक्षा करनी चाहिए। अपरिपक्व शरीर से अल्प आयु की लड़कियाँ यदि प्रजनन करती हैं तो उनका अपना जीवन भी संकट में रहता है। अस्पतालों की रिपोर्ट बताती है कि बीस वर्ष से कम उम्र की जितनी लड़कियाँ प्रसव पीड़ा में मरती हैं, उसमें चौथाई भी बड़ी आयु की स्त्रियाँ उस संकट में प्राण नहीं गँवाती। लड़कियों की जान को जोखिम में डाल कर विवाह का हर्षोत्सव मनाने वाले अभिभावक किस प्रकार समझदार कहे जाएँ ? और कैसे माना जाए कि वे अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हैं ? बाल विवाह के शिकार लड़के प्रसव पीड़ा में तो नहीं मरते, पर उनकी भी कम दुर्दशा नहीं होती। रुग्ण शरीर, रुग्ण पत्नी, रुग्ण संतान को लेकर वे जिस तरह रोते कलपते हैं, उसे देखते हुए बाल विवाह का खेल एक कौतुक मात्र नहीं रह जाता, वरन् एक भयावह अभिशाप के रूप में उन्हें आजीवन उस दुर्भाग्य के लिए रोना पड़ता है।

भारतीय समाज में बाल-विवाह जैसी हानिकारक परंपरा देखकर श्रीहरि विलास शारदा का मन करुणा से भर उठा। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध क्रांति खड़ी कर दी। रूढ़िवादी पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया, पर वे अंततः 'शारदा एक्ट' पास कराने में सफल हुए। इस तरह बाल विवाह पर कानूनी रोक लग सकी।

बाल-विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विशेषतः लड़कियों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। ससुराल में बहू को कुछ दूसरे किस्म से रहना पड़ता है। उठती उमर की आकांक्षाओं को कुछ अधिक हँसी-खुशी और स्वच्छंदता की जरूरत पड़ती है। माँ-बाप के घर ही यह सहज सुलभ स्थिति संभव है। इसी वातावरण में मनोविकास के लिए खुली हुई और उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं। यदि उठती उमर की मनोवांछाएँ बंदीगृह जैसी ससुराल में दबी-भिची बना दी जाएँ तो उसमें भीतर ही भीतर एक घुटन जैसी पैदा होती है। छोटी आयु की लड़कियाँ इस विवशता में भीतर ही भीतर बुरी तरह फड़फड़ाती हैं, पर कुछ कर नहीं सकतीं। उनकी यह विवशता मानसिक रोगों के रूप में फूट पड़ती है। नई उम्र की लड़कियों को मूर्छा, दौरा, मृगी, भूत-प्रेत, भयंकर स्वप्न, दिल की धड़कन, डर आदि कितनी ही ऐसी व्यथाएँ फूट पड़ती हैं, जिनका एकमात्र कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं शारीरिक घुटन भी होता है। बड़ी आयु में लड़कियाँ दाम्पत्य जीवन में रस लेने लगती हैं और वे ससुराल के दबे-भिचे वातावरण को भी संतुलित कर लेती हैं, पर छोटी आयु की अविकसित मस्तिष्क की भावुक लड़कियाँ उन परिस्थितियों में अपने आपको ढाल न सकने के कारण उद्विग्न विक्षिप्त-सी रहने लगती हैं और अपना शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य खो बैठती हैं। भारतीय नारी की मानसिक दुर्दशा का एक बड़ा कारण असमय ही एक भार पड़ जाना है। बड़ी उम्र में विवाह होने पर मानसिक दृष्टि से समर्थ लड़कियाँ ही इस भार से बच सकती हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रह सकती हैं।

यह सोचना उचित नहीं है कि जल्दी विवाह कर देने पर लड़कियाँ शीलवान बनी रहती हैं और बड़ी आयु पर विवाह होने से उनमें चारित्रिक दोष आने का खतरा रहता है। खतरा आयु से नहीं वातावरण से संबंधित हैं। छोटे बच्चे भी कुमार्गगामी हो सकते हैं। दूषित वातावरण और गंदी परिस्थितियों में रहना पड़े तो गृहस्थ, वैधव्य और वृद्धावस्था तक में चरित्र

हीनता का खतरा बना ही रहेगा। अविवाहित दुराचारी हो जाते हैं और विवाहित सदाचारी बने रहते हैं, यह सोचना भ्रमपूर्ण है। बाह्य प्रतिबंधों से नहीं, मानसिक प्रतिबंध ही किसी को सदाचारी बनाए रह सकते हैं। सो हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए, उन्हें मनस्वी और चरित्रवान बनने के उपयुक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण देना चाहिए, अन्यथा विवाह होने पर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वे पतनोन्मुख होने से बच ही जाएँगे।

प्रश्न

१. बाल विवाह के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हम अभी तक पिछड़े हुए हैं ?
२. शारदा एक्ट तथा दूसरे बाल विवाह विरोधी कानून क्यों प्रभावहीन हैं ?
३. बाल विवाह में मानसिक एवं शारीरिक हानियाँ क्या हैं ?
४. बाल विवाह से उत्पन्न संतान किस तरह की होती है ?
५. बाल विवाह लड़के के लिए किस प्रकार घातक सिद्ध हो सकता है ?
६. बाल विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लड़कियों पर किस प्रकार बुरा पड़ता है ?
७. बड़ी आयु में लड़कियाँ दाम्पत्य जीवन के अनुरूप क्यों हो जाती हैं ?
८. क्या छोटी आयु में विवाह कर देने से लड़कियाँ शीलवान बनी रह सकती हैं ?
९. उस कारण को समझाइए जिसके कारण लड़कियों का विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया जाता था ?



उच्च शिक्षित कन्या की विवाह समस्या

जीवन विकास की आवश्यक जानकारी, गृहस्थ संचालन की क्षमता और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए जिस बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता है, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से आवश्यक है। समय की पुकार है कि इस दिशा में लड़कों से भी अधिक अवसर लड़कियों को मिलना चाहिए। इसका एक कारण तो यह है कि अगला समय, नया युग नारी के नेतृत्व का आ रहा है। पुरुष ने अपनी उद्वेगता से समाज में दुष्टता को ही बढ़ाया है। नारी की करुणा और कोमलता को जब नेतृत्व का अवसर मिलेगा, तब सर्वत्र ममता और मानवता की धाराएँ बहेगी और समस्याओं का हल जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर न होकर ममता और करुणा के आधार पर होगा। नारी में वे विशेषताएँ हैं, जिनके आधार पर वह हर क्षेत्र में कुशल नेतृत्व कर सके, उसे अपना उचित योगदान दे सकने की क्षमता से युक्त बनाने के लिए शिक्षा का अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिए।

दूसरा कारण यह है कि भौतिकवादी लोलुपता एवं कामुकता अब दांपत्य जीवन के आधारभूत आदर्शों में आग लगाने पर तुल गई है। पत्नीव्रत धर्म एक मखौल बनता जा रहा है। इस बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्ति के दिनों में हर सयानी लड़की का भविष्य खतरे में है और उसे इस योग्य बनाना चाहिए कि बीच नदी में धकेल दिए जाने पर भी वह तैरकर पार हो सके।

तीसरा कारण यह है कि आज की मँहगाई में एक सुखी और सुविकसित गृहस्थ सँजोने के लिए केवल पुरुष की कमाई ही पर्याप्त नहीं, पत्नी को भी उपार्जन में योगदान देना आवश्यक हो गया है और यह कार्य केवल शिक्षित नारी ही कर सकती है। ऐसे असंख्य कारणों को देखते हुए हर अभिभावक का कर्तव्य है कि अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए लड़कों से भी अधिक सुविधा उन्हें प्रदान करें।

इस तथ्य को अनेक अभिभावक स्वीकार करते हैं और अपनी बच्चियों को पढ़ाते भी हैं, पर उस संदर्भ में उन्हें एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने देश में रिवाज है कि “कन्या की अपेक्षा वर अधिक शिक्षा वाला और अधिक आयु वाला होना चाहिए।” इस मान्यता के अनुसार लड़की जितनी अधिक पढ़ती जाती है, उसी अनुपात से अधिक शिक्षित लड़के की जरूरत पड़ती है। पढ़े-लिखे लड़कों का बाजार उनकी शिक्षा के हिसाब से मँहगा होता जाता है और फिर क्रमशः कन्या के पिता को उतनी कीमत चुका सकना कठिन पड़ता है। दूसरी दिक्कत यह पड़ती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर लड़का ढूँढ़ते-ढूँढ़ते देर हो जाती है और बड़ी उम्र की लड़कियों को उनसे अधिक आयु के लड़के मिलने कठिन हो जाते हैं। कुछ समय तक पहले अपने देश में बाल-विवाह का रिवाज था, अब कुछ सुधार है तो भी आमतौर से बीस-पच्चीस वर्ष की आयु में लड़कों के विवाह हो जाते हैं। इससे अधिक आयु के कुँआरे लड़के जहाँ-तहाँ ही देखे जाते हैं। बड़ी आयु में मिलते हैं तो ३-४ बच्चों के बाप विधुर होते हैं। इन दो कठिनाइयों के कारण सुशिक्षित कन्याओं के विवाह की समस्या अति जटिल होती जाती है और ऐसे उदाहरण तेजी से बढ़ते जाते हैं, जिससे उपर्युक्त दो उलझनों का हल न निकलने के कारण हजारों सुशिक्षित कन्याओं को कुँआरी रहने के लिए विवश होना पड़ा और वे उच्च शिक्षा को अभिशाप अनुभव करने लगीं।

इस कठिनाई के डर से या तो लड़कियों को कम पढ़ा रखकर छोटी आयु में विवाह कर देना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा हल निकालना पड़ेगा। विवेक की दृष्टि से कन्याओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलना नितांत आवश्यक है। किसी भी कारण उस अवसर को खोया नहीं जाना चाहिए। हमें उस दृष्टिकोण को बदलना चाहिए ताकि वे सुयोग्य सुशिक्षित कन्याएँ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त इस मूढ़ मान्यता को भी बदला जाना चाहिए कि कन्या से वर अधिक आयु का और अधिक शिक्षित होना चाहिए। इसमें कुछ तुक नहीं। सच बात तो यह है कि वधू की वयस्कता और परिपक्वता पर गृह व्यवस्था और सुयोग्य संतान का होना निर्भर है। वर की आयु इससे कुछ छोटी हो तो भी इससे कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। सामंतवादी युग में

औरत को मारने-पीटने और पैरों तले दबाए रखने के लिए मर्द को बड़ा होना जरूरी था। अब वैसी कोई आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रकार क्या शिक्षित वर से इतनी हानि हो सकती है कि वह कुछ कम कमाए। इसके अतिरिक्त छोटी आयु, कम शिक्षा के वर से दांपत्य जीवन पर किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। अधिक पढ़ा, अधिक बुद्धिमान, अधिक समर्थ और अधिक कमाऊ वर जिस प्रकार से पत्नी के लिए लाभदायक है, उसी प्रकार अधिक वयस्क, अधिक शिक्षित और अधिक सुयोग्य और अधिक कमाऊ पत्नी का सीधा लाभ पति को मिलना चाहिए।

ताजकुंडिया की एम०ए० पास कन्या ने कक्षा १० पास अध्यापक से विवाह कर लिया। अपने समकक्ष या अधिक पढ़े लड़के मिलते तो बहुत थे, पर शिक्षित होने पर दहेज और विवाह की कुरीतियों से मुक्त न थे। तभी युवती ने यह निर्णय लेकर एक मिसाल कायम की। कम पढ़े युवक खराब नहीं होते। कमला नामक इस लड़की ने स्वयं भी अध्यापन किया और अपने पति को अपने समकक्ष पढ़ा भी लिया।

कन्या को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ-साथ यह मनोभूमि भी हमें तैयार करनी चाहिए कि लड़की से कम उम्र और कम शिक्षा वाला लड़का ढूँढ़ने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लड़कों को यह बात सोचनी चाहिए कि अपने से बड़ी आयु और बड़ी शिक्षा वाली लड़की प्राप्त करना उसके गौरव, सौभाग्य एवं उज्वल भविष्य का चिह्न है। इसमें उन्हें अपनी हेटी नहीं प्रतिष्ठा अनुभव करनी चाहिए। लड़की कुछ अधिक कमा सके और लड़का कुछ कम कमाए तो दांपत्य जीवन की एकता को देखते हुए इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। दहेज में कोई रकम पाने की अपेक्षा सुशिक्षित, कमा सकने योग्य लड़की वह जायदाद है जो हर महीने ब्याज-भाड़े की तरह आमदनी दे सकती है। यह सोचा जाना चाहिए कि दहेज में जो राशि मिलती वह बैंक में जमा है और उसकी ब्याज हर महीने मिलती रहती है।

कन्या की उच्च शिक्षा बढ़नी चाहिए। साथ ही उसके विवाह में उत्पन्न अवरोधों के ऐसे हल ढूँढ़े जाने चाहिए। इस प्रकार के दृष्टिकोण बरते जाने चाहिए जैसे कि ऊपर की पंक्तियों में सुझाए गए हैं।

प्रश्न

१. मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य नारी का स्तर ऊँचा उठाए जाने पर निर्भर है ? सिद्ध कीजिए।
२. आजकल लड़कियों को शिक्षा दिलाना क्यों आवश्यक है ?
३. आज का युवक अपनी पत्नी को किस प्रकार धोखा दे सकता है ? इसका कारण क्या है ?
४. महँगाई के इस जमाने में नारी का क्या कर्तव्य हो जाता है ?
५. उच्च शिक्षित कन्या को शादी के बाद किस तरह का जीवन व्यतीत करना पड़ता है ?
६. नारी के नेतृत्व से समाज का क्या कल्याण होगा ?
७. शिक्षित नारी के विवाह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किन-किन धारणाओं को बदलना चाहिए ?
८. शिक्षित लड़की खुद ही दहेज किस प्रकार से है ?



विधुर और विधवाओं के समान अधिकार

नर और नारी ईश्वर की दो आँखें, दो भुजाएँ, दो संतान हैं। दोनों ही उसे समान रूप से प्रिय हैं। दोनों के लिए उसके मन में समान रूप से स्नेह और न्याय है। कोई सहृदय पिता अपने बालकों के दुलार वात्सल्य में कमी कर भी नहीं सकता। ईश्वर ने नर और नारी की आकृति में थोड़ा अंतर और प्रजनन-प्रणाली में थोड़ा हेर-फेर सृष्टि का आकर्षण और सौंदर्य बनाए रखने की दृष्टि से भले ही किया हो, उनके अधिकार और स्तर में तनिक भी न्यूनाधिकता नहीं रखी है।

विवाह नर-नारी का पवित्र गठबंधन है। उसमें जो लाभ हैं, उन्हें दोनों समान रूप से उठाएँ और जो उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य हैं, उन्हें समान रूप से पालें, यह नितांत आवश्यक है। ईश्वर की यही इच्छा और न्याय की यही माँग है। पतिव्रत धर्म नारी के लिए आवश्यक है। नर के लिए पत्नीव्रत पालन करने की कड़ाई तथा जिम्मेदारी उससे कम नहीं, वरन् अधिक है। दोनों को विवाह बंधन में बँधने के बाद परस्पर वफादार और ईमानदार रहना ही चाहिए।

वैधव्य और वैध्वर्य को किस तरह निबाहा जाए, इसके लिए भी न्यायोचित परंपरा एक ही हो सकती है। यदि विधुर होने के बाद पुरुष को दूसरा विवाह करने की छूट है तो ठीक उसी तर्क और उसी न्याय के आधार पर नारियों को भी वैसी ही सुविधा मिलनी चाहिए। यदि साथी के बिछुड़ जाने पर अविवाहित रहना उचित है तो उस बंधन का समान रूप से नर और नारी दोनों को पालन करना चाहिए। यदि वैसा कार्य कठिन लगता है तो जो सुविधा नर चाहे, उसी का समर्थन आगे बढ़कर नारी के लिए भी प्रदान करे। एक पक्षीय सुविधा, एक पक्षीय बंधन, यह तो सरासर अन्याय है।

अपने देश में नारी विधवा होने के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती, ऐसा सवर्ण कहलाने वाली ऊँची जातियों में रिवाज है। इन वर्गों को विचार करना चाहिए कि यदि उचित हो तो यही बंधन और भी कठोरता के साथ पुरुषों पर लागू कर दें। यदि उसमें नर को असुविधा लगे

और उसे दूसरे विवाह की छूट देना उचित प्रतीत हो तो प्रत्येक न्यायशील व्यक्ति को वैसी ही छूट सुविधा, समर्थन एवं प्रोत्साहन नारियों को देने के लिए भी आगे आना चाहिए। न्याय की तुला बेइंसाफी तथा पक्षपात का रुख न नर के साथ अपनाए, न नारी के साथ। इस पर हर धर्म और ईमान की महत्ता समझाने वाले व्यक्ति को पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए।

एक पंडित जी बोले-विधवा विवाह अशास्त्रीय है। एक प्रगतिशील युवक ने पूछा-महाराज ! यह तो बताओ राम कौन थे ? पंडित जी बोले-इतना भी नहीं जानते, वे तो अवतारी पुरुष भगवान थे। युवक बोला-सुना है, उन्होंने तारा की शादी सुग्रीव और मंदोदरी की विभीषण से करा दी थी। क्या यह विधवा विवाह नहीं थे ? पंडित जी को कुछ बोलते नहीं बन रहा था।

आज की परिस्थिति में साधारणतया यही सुविधाजनक प्रतीत होता है कि जिनको बिगड़ी गृहस्थी को फिर से जमाने की आवश्यकता अनुभव होती है, उन्हें वैसा करने की छूट दी जाए। विधुर भी पुनर्विवाह कर सकें और विधवा भी। यहाँ एक बात यह ही ध्यान रखने की है कि विधुर लोग कुमारी कन्याओं से विवाह कर लेते हैं, इससे हानियाँ होती हैं। एक तो असमान वय के नर-नारियों का दांपत्य जीवन सुखी नहीं होता, आयु में अंतर रहने से ये लड़कियाँ जल्दी ही विधवा हो जाती हैं और उनके बच्चे अनाथ भटकते हैं। इसके अतिरिक्त विधवाओं को कुँवारे लड़के स्वीकार नहीं करते, अतएव उन्हें पुनर्विवाह की सुविधा नहीं मिल पाती। अतः विधुर नफे में और विधवाएँ घाटे में रहती हैं। इस असमानता के दूर करने के लिए यही एक मात्र उपाय है कि विधुर विधवाओं से विवाह करें और विधवाएँ विधुरों से। यदि बच्चे वाला विधुर विवाह करना चाहता है तो उसे बच्चे वाली विधवा से ही विवाह करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार अपने बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए उसे पत्नी की जरूरत पूरी करनी पड़ी, इसी प्रकार किसी विधवा को भी अपने बच्चे का पालन करने के लिए नए पति की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से दो परिवारों के अनाथ जैसे बालकों को नए माता-पिता का स्नेह प्राप्त होगा और जनमानस पर भी यह छाप पड़ेगी कि सौतिया डाह तथा विमाता का वैमनस्य, स्वाभाविक नहीं संकीर्णता की देन है, उदार अभिभावक

अपने और पराए बच्चे को समान रूप से वात्सल्य और सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

परसदेहपुर (फतहपुर) के श्री कन्हैयालाल नामक एम० ए० पास युवक को दहेज में लंबी धनराशि मिल रही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि क्वारी लड़की से तो सभी शादी कर लेते हैं, मैं किसी असहाय लड़की से क्यों न शादी करूँ ? उन्होंने गाँव की ही एक विधवा से जाति-पाँति के बंधन तोड़कर शादी कर ली। शिक्षित व्यक्तियों ने उनके इस साहस की बड़ी प्रशंसा की।

प्रश्न

१. सिद्ध करो कि नर-नारी भगवान् की दो भुजाएँ हैं ?
२. क्या नारी कर्त्तव्य और अधिकार में पुरुषों के समान नहीं ?
३. पति-पत्नी के प्रति वफादार कैसे रह सकता है ?
४. नारी को हीन मानने से क्या दुष्परिणाम हुए ?
५. विधवा को समान न्याय किस प्रकार मिल सकता है ?
६. विधवा विवाह के लिए क्या आवश्यक है ?
७. विधवाओं के साथ क्या उदारता बरती जानी चाहिए ?



विवेकपूर्ण मृतक भोज

मनुष्य के मरने के बाद उसके परिवारी प्रियजनों को वियोगजन्य दुःख और संचित संबंध के यकायक सदा के लिए टूट जाने से एक भावनात्मक उफान आता है। उस समय वे लोग स्वर्गीय आत्मा के लिए कुछ करने के मूढ़ में होते हैं। कुछ करते भी हैं। संसार भर में मृत आत्मा के कल्याण एवं सुख-सुविधा के लिए पूजा, प्रार्थना, श्राद्ध, पिंड से लेकर दान, पुण्य तक कुछ न कुछ किया जाता है। भारतवर्ष में भी ऐसा ही प्रचलन है।

भारतीय आदर्श यह रहा है कि हर व्यक्ति अपनी उपार्जित श्रमसिक्त आजीविका को ही उचित मानता रहा है। दूसरों के अनुदान पर निर्भर रहना, बिना परिश्रम की कमाई खाना यहाँ सदा से गर्हित माना गया है, क्योंकि किसी का संचित धन बिना परिश्रम किए किसी और को मिले और वह उस हराम की कमाई से बैठे-बैठे गुलछर्रे उड़ाए, तो समाज में एक बुरी परंपरा का जन्म होता है। बिना श्रम उपार्जित धन में अनेक दोष दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और देखा-देखी दूसरे भी वैसी ही हरामखोरी की सुविधाएँ पाने के लिए मुफ्त का काम तलाश करते हैं और अपराधों की दुष्प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। इस तथ्य को भारतीय दर्शन ने भली प्रकार समझाया और चरित्र में सम्मिलित रखा है।

बच्चे जब तक अशक्त एवं अविकसित रहें तब तक अभिभावकों से उन्हें पोषण पाने का अधिकार है, पर जब वे समर्थ हो जाते हैं तो उन्हें स्व-उपार्जित आजीविका पर निर्भर रहना चाहिए। यदि बच्चे स्वावलंबी हो गए हैं तो उन्हें मृत पूर्वज की कमाई समाज को ही लौटा देनी चाहिए।

प्राचीन प्रथा यह थी कि दिवंगत व्यक्ति के आश्रित अवयस्क अथवा उपार्जन में असमर्थ उत्तराधिकारी पालन, शिक्षा, विवाह एवं विकास के लिए जितना धन अति आवश्यक हो उतना रखकर शेष लोक मंगल के लिए स्वर्गीय आत्मा की शांति और सद्गति के लिए दान कर देते थे। जिनके परिवारी समर्थ एवं स्वावलंबी हैं, वे मृतक का सारा पैसा समाज के लिए खर्च करते थे। साधारण स्थिति में किसी मृतक के छोड़े हुए धन

का उपयोग उसके उत्तराधिकारियों के लिए अग्राह्य एवं अनुचित ही माना जाता था। अतएव वह स्वयं ही अथवा समाज के लोग इकट्ठे होकर उस धन को लोक मंगल के लिए खर्च करने की योजना एवं प्रक्रिया बनाते थे। मृतक के प्रति बरती हुई इसी श्रद्धा सद्भावना का नाम श्राद्ध था। पुण्य फल से ही आत्मा की सद्गति होती है। जो दान-लोभ-मोह अथवा परिस्थितिवश मृतक न कर सका, उसकी पूर्ति उत्तराधिकारी कर देते थे। अनीति से उपार्जन का प्रायश्चित भी हो जाता था और पुण्य फल से शांति सद्गति भी मिलती थी। इस दृष्टि से उस जमाने की यह श्राद्ध परंपरा उचित ही थी। तथ्य सदा शाश्वत और सनातन होते हैं। वे आज भी उतने ही उपयोगी एवं उचित ही हैं। उत्तराधिकार में प्रचुर धन पाना अब भी औचित्य की दृष्टि से अनुपयुक्त है। इसलिए सरकार 'मृत्यु टैक्स' आदि लगा कर उसे वापिस समाज के लिए माँग भी रही है। कई उदार व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर स्मृति के रूप में कुछ लोकोपयोगी कार्य भी करते देखे जाते हैं। यह स्वस्थ परंपरा अति उचित, न्यायानुकूल एवं प्रशंसनीय है।

पूर्व काल में मृतक भोज का आधार यही था। पीछे अंधकार और अज्ञान का जमाना आया, जीभ के लोभी लोगों ने लोकमंगल की बात भुला दी और बढ़िया दावतें उड़ाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया। मृतक की बची संपत्ति खूब मिठाई और मालपुओं के रूप में उड़ा डालने का क्रम चल पड़ा। बाप ने कुछ छोड़ा हो या न छोड़ा हो, घर की स्थिति कैसी ही दयनीय क्यों न हो मृतक भोज के नाम पर यार-दोस्तों और परिचित-अपरिचितों को एक लंबी-चौड़ी दावत देनी पड़ती है। लोकमंगल के कार्यों में लगने वाला धन चतुर पंडित ठग लेता है। वही चीजें मृतक को दिला देने का झाँसा देकर अन्न, वस्त्र, पात्र, पलंग, गाय, मकान, आभूषण आदि झटक ले जाते हैं। यदि किसी परमार्थ कार्य में लगा कर वह पैसा पुण्य बन गया होता तो संभव है उससे स्वर्गीय आत्मा का कुछ हित भी होता, पर किसी वंश विशेष में उत्पन्न हुआ व्यक्ति स्वयं खाकर मृतक को उसका लाभ पहुँचा देने में किसी प्रकार समर्थ नहीं हो सकता। शैय्यादान, गोदान आदि मृतक के नाम पर जो लोग लेते हैं, वे उन वस्तुओं को अथवा अनुदान से प्राप्त धन को परमार्थ कार्य में तो लगाते नहीं, फिर मृतक को उसका लाभ मिलेगा कैसे ? "ब्राह्मण

वंश का व्यक्ति जो भले ही परमार्थपरायण न हो, दान पाकर पुण्य फल उत्पन्न कर सकता है।” यह मान्यता सर्वथा भ्रमपूर्ण है। आज ब्रह्मभोजों का आडंबर इसी भ्रम पर टिका हुआ है। इसमें दाता के धन की बर्बादी है और ब्राह्मण वंश के लोगों का दूसरों की कमाई खाकर भिक्षुक जैसी पतित मनोभूमि में उतरना उनको भी हर दृष्टि से हानिकारक है। बेचारों पर व्यर्थ ऋणभोज बढ़ता है, जो आगे चलकर उन्हें ही चुकाना भी पड़ेगा।

कुँवरपुर (बदायूँ) के माहेश्वरी परिवार ने मृतक भोज को अनैतिक कहकर उसे तोड़ा तो सारे गाँव ने विरोध किया और कहा कि इससे मृतात्मा दुःखी होगी। इस पर उन्होंने मृतक भोज में खर्च होने वाली धनराशि से पक्का श्मशान घाट बनवा दिया। इस पर गाँव वाले बड़े खुश हुए। माहेश्वरी परिवार के एक सदस्य ने कहा, मृतक भोज में मृतात्मा की खुशी-नाखुशी तो क्या होगी, हाँ खाने वालों की खुशी-नाखुशी अवश्य जुड़ी हुई है।

आज की परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। अब प्राचीन काल जैसी स्थिति नहीं रही। उपार्जन के साधन सीमित हैं। मँहगाई बढ़ गई है। पहले कृषि, शिल्प आदि घरेलू कार्य में सारा घर लगा रहता था और आवश्यकता भर के लिए पर्याप्त कमा लेता था। अब घर के प्रमुख व्यक्ति ही कमाते हैं और घर के अन्य सदस्य बैठ कर खाते हैं। फैशन तथा स्टैंडर्ड बनाने के फालतू खर्च भी एक आवश्यकता ही बन गए हैं तथा मँहगी चिकित्सा, शिक्षा, कमर-तोड़ भार डालती है। ऐसी दशा में औसत परिवारों को बड़ी तंगी के साथ गुजारा करना पड़ता है। उनमें इतनी गुंजायश नहीं रहती कि घर में फालतू पैसा ढूँढ़ निकाला जाए और उसे अनावश्यक समझकर मृतक भोज जैसी रूढ़ि के नाम पर खर्च कर डाला जाए।

प्राचीन काल में ब्राह्मण, साधु जैसे लोकमंगल में संलग्न वर्गों की भोजन, वस्त्र एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर देना उचित था, पर जब आज उस प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे ही नहीं तो ब्रह्मभोज की बात भी कहाँ रही ? सर्व साधारण के लिए मित्र, परिजनों के लिए तो आज जैसी मृतक भोज की दावत हर दृष्टि से अवांछनीय और अग्राह्य है। जिसके घर में पंद्रह दिन भी मृत्यु हुए नहीं बीते हैं, जिस घर में लोग शोक संतप्त हैं,

एक उपयोगी व्यक्ति के चले जाने से जिस घर को आर्थिक एवं व्यवस्था संबंधी आघात लगा है, उसी आँगन में दावत खाने पहुँचना किसी स्वाभिमानी व्यक्ति के गौरव के सर्वथा विपरीत है। कोई कठोर, निष्ठुर और निर्लज्ज मनुष्य ही ऐसी दावत गले उतार सकता है। सामान्य सज्जनता और विचारशीलता जिसके भीतर विद्यमान है, वह ऐसी दावतें करने की न तो किसी को सलाह दे सकता है और न उसमें सम्मिलित होना ही स्वीकार कर सकता है।

आज रूढ़िवादिता से ग्रसित सर्वसाधारण के सामने मृतक भोज एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घर में न होने पर कर्ज लाकर भी इसे करना पड़ता है और बहुत बार देखा गया है कि उस कर्ज और ब्याज के कुचक्र से ही घर की पूँजी, सुविधा तथा इज्जत नीलाम हो जाती है। इस व्यय भार से दब जाने पर परिवार के बच्चों की शिक्षा, बीमारों की चिकित्सा, वयस्कों के विवाह आदि आवश्यक कार्यों में भी भारी अड़चन उत्पन्न हो जाती है और इस कुप्रथा का बहुत बुरा परिणाम दुःखपूर्वक बहुत दिनों तक भोगना पड़ता है। घर का एक व्यक्ति गया, उसकी चिकित्सा, अंत्येष्टि आदि में पैसा लगा और अंत में मृतक भोज का भारी दवाब सिर पर आ गया। यह परिस्थितियाँ किसी चैन से गुजर करने वाले परिवार को भी विपत्ति में फँसा देने के लिए पर्याप्त हैं।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर कभी किसी गाँव में जाते तो लोगों को भारतीय समाज में फैली बुराइयाँ छोड़ने को भी समझाते। एक गाँव में वे मृतक भोज के बहिष्कार की बात समझा रहे थे, तो एक आदमी बोला—मृतक भोज न करेंगे तो मृतात्मा की सद्गति कैसे होगी ? ईश्वरचंद्र विद्यासागर बोले—पहले कितने ही लोगों के पास अन्न नहीं होता था तो खिलाया जाना पुण्य माना जाता था। आज लोग अशिक्षित हैं, तो अशिक्षा दूर करना ही पुण्य है। उस गाँव के लोगों ने मृतक भोज न करने का निश्चय कर गाँव में एक पाठशाला खोल दी, जो कुछ ही दिन में एक बड़ी शिक्षा संस्थान बन गई।

विचारशीलता का तकाजा है कि हम अनावश्यक और अवांछनीय रूढ़ियों को उखाड़ फेंकें और इसके लिए अंध परंपराओं के अनुयायी अविवेकी लोग विरोध या निंदा करें तो उसे उपेक्षा में उड़ा दें। उचित बात बच्चे की भी मानना चाहिए और अदूरदर्शितापूर्ण सलाह चाहे बूढ़ा

संबंधी अथवा पंच कहलाने वाले व्यक्ति की ही क्यों न हो, हमको उसे मानने से साहसपूर्ण दृढ़ता से और नम्रतापूर्वक इन्कार कर देना चाहिए। इन सत्यानाशी कुप्रथाओं का अंत साहसी लोगों की दृढ़ता और अग्रगामिता से ही होगा।

यदि किसी के पास मृतक का छोड़ा हुआ ऐसा धन है, जिसके बिना भी परिवार का काम चल सकता है तो उस पैसे के प्रति उत्तराधिकारियों को लोभ-मोह न बढ़ाकर, उसे लोकमंगल के विद्यालय, पुस्तकालय स्थापना जैसे उपयोगी कार्यों में लगा देना चाहिए अथवा थोड़ा बहुत जितनी श्रद्धा हो, इन निमित्तों में दे देना चाहिए। मृतक श्राद्ध की परंपरा पर हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

प्रश्न

१. मृतक भोज के कारण एवं प्रयोजन पर प्रकाश डालिए ?
२. भारतीय आदर्श क्या रहा है ?
३. हरामखोरी से क्या हानि हैं ?
४. आत्मा की सद्गति कैसे होती है ?
५. मृत्यु टैक्स क्यों लगाया जाता है ?
६. हिन्दू समाज की सर्वाधिक भ्रमपूर्ण मान्यता क्या है ?
७. बदली हुई परिस्थितियों में मृतक भोज अनावश्यक क्यों हो गया है ?
८. मृतक भोज खाना स्वाभिमानी व्यक्ति के गौरव के सर्वथा विपरीत क्यों है ?
९. सत्यानाशी कुप्रथाओं का अंत कैसे होगा ?
१०. मृतक की संपत्ति का सर्वोत्तम सदुपयोग किन-किन कामों में करना चाहिए ?



भिक्षावृत्ति की समाप्ति

मनुष्यता का यह सबसे बड़ा अपमान है कि समर्थ होते हुए भी व्यक्ति दूसरों के आगे अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए हाथ पसारे। स्वाभिमान, आत्मसम्मान को कष्ट और अभाव सहकर भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कोई दुर्घटना अथवा आकस्मिक विपत्ति के समय आपत्ति धर्म की बात दूसरी है, पर सामान्यतया यही नीति है कि मनुष्य अपने हाथ-पैर से काम करके गुजारा करे। दूसरों के आगे हाथ न पसारे और अपने आत्मसम्मान को न गिराए।

अपने देश में अब भिखमंगेपन ने एक सुव्यवस्थित व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। पिछली सरकारी जनगणना के अनुसार अपने यहाँ ८६ लाख व्यक्ति भिक्षा-व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हैं। इसमें असमर्थ एवं अपंगों की संख्या एक लाख से भी कम है, शेष सभी इस योग्य हैं कि अपनी आजीविका अपने श्रम द्वारा उपार्जित कर सकें, पर वे करते नहीं।

भिक्षा व्यवसाय पर निर्भर लोगों में ८० लाख व्यक्ति साधु-ब्राह्मणों का वेश बनाकर विचरण करते हैं और ६ लाख अपने को दरिद्र-असमर्थ बतलाते हैं। दोनों ही वर्गों में अधिकांश की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें भीख माँगने पर उतारू होने के अतिरिक्त कोई मार्ग न हो। भजन के लिए यह आवश्यक नहीं कि भिक्षाजीवी बनकर ही उसे किया जाए। अपनी आजीविका से निर्वाह करते हुए भी भजन का उद्देश्य पूरा हो सकता है अन्यथा ऋण भार में वह भजन भी चला जाएगा। यह बात मोटी बुद्धि से भी समझी जा सकती है। ८६ लाख तो वे भिखारी हैं, जिन्होंने अपनी एकमात्र आजीविका भिक्षा घोषित की है। ऐसे लोग जो व्यवसाय तो दूसरे करते हैं, पर समय-समय पर भिक्षा का लाभ भी लेते रहते हैं, ऐसे 'अर्ध भिक्षुक' भी लगभग इतने ही होंगे। इन डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों का भार १०० करोड़ हिन्दू जनता को वहन करना पड़ता है। हर १०० व्यक्ति में से डेढ़ व्यक्ति भिक्षु हो, यह बहुत ही

बुरी बात है। इससे अपने समाज के गए-गुजरे आत्मसम्मान का घृणित चित्र उपस्थित होता है।

हजरत इब्राहीम के पास एक भिखारी आया और भीख माँगने लगा। इब्राहीम ने कहा-तुम्हारे पास जो सामान हो लाओ, भिखारी सब सामान लाया, कंबल छोड़कर इब्राहीम ने सब सामान नीलाम कर दिया और एक कुल्हाड़ी खरीदकर उसे देकर कहा-बेटा ! समझदारी की बात यह है कि भगवान ने दो-दो भुजाएँ सबको दी हैं। इसलिए अपना पेट अपने परिश्रम से भरो, भिखारी चला गया और मेहनत करने लगा। १५ दिन बाद वापस आकर उसने दिखाया अब उसके पास २ दिरम बचत के थे।

प्राचीन काल में साधु-ब्राह्मण भिक्षा माँगा करते थे। इसलिए कि वे अपना सारा समय लोकमंगल के लिए समर्पित कर सकें, आत्मशुद्धि और आत्मसमर्थता के लिए वे थोड़ा समय लोकमंगल में देते थे। निज की न उनकी कोई संपत्ति होती थी, न आकाँक्षा। भजन और स्वाध्याय भी वे इसलिए करते थे कि इन माध्यमों से विनिर्मित उनका प्रखर व्यक्तित्व लोकमंगल के लिए अधिक उपयोगी एवं समर्थ सिद्ध हो सके। भिक्षा इसलिए माँगते थे कि आजीविका उपार्जन में उनका बहुमूल्य समय नष्ट न होकर वह समाज के काम आए। ऐसे लोकसेवी कम संख्या में होते थे, उनके पुनीत कर्तव्य को देखकर लोग भिक्षा देते हुए भी अपने को धन्य मानते थे। उन दिनों उन हजारों-लाखों लोकसेवी साधु ब्राह्मणों के सत्प्रयत्नों से अपना समाज-हर दृष्टि से सुविकसित और समुन्नत बनता था। तब साधु ब्राह्मणों की संख्या वृद्धि, राष्ट्रीय सौभाग्य की वृद्धि गिनी जाती थी। आज परिस्थितियाँ बिलकुल उल्टी हो गई हैं। प्राचीन काल जैसे साधु-ब्राह्मण अब इतने कम हैं कि उन्हें उँगलियों पर गिना जा सके। अधिकांश तो परिश्रम से बचने के लिए यह धंधा अपनाए हुए हैं।

महाराज रविशंकर सवा मन गुड़ बाँट रहे थे। एक लड़की उधर से निकली तो रविशंकर जी उसे भी गुड़ देने लगे। लड़की ने इन्कार करते हुए कहा-मेरी माँ ने बताया है कि आदमी को अपने परिश्रम की कमाई खानी चाहिए। रविशंकर के मन में ऐसी माता के दर्शनों की इच्छा हुई। वे लड़की के साथ उसके घर गए, तो पता चला कि उसने अपनी सारी संपत्ति बालिका-विद्यालय को दान दे दी है और स्वयं परिश्रम करके आजीविका चलाती है।

अस्सी लाख साधु यदि रचनात्मक कार्यों में लग सके होते तो आज परिस्थितियाँ कुछ और ही रही होती। भारत में सात लाख गाँव हैं। अस्सी लाख व्यक्ति यदि उनका कार्याकल्प करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार आदि समस्याओं को हल करने के लिए जुड़ पड़ें तो हर गाँव के पीछे ११-१२ साधु आते हैं और वे अपने प्रयत्न से वहाँ स्वर्गीय वातावरण पैदा कर सकते हैं। साक्षरता की आवश्यकता एक-दो वर्षों में पूरी हो सकती है। गृह-उद्योग पनप सकते हैं। व्यायामशालाएँ, पाठशालाएँ, पुस्तकालय, रक्षा-दल, सार्वजनिक स्वच्छता, सामाजिक कुरीतियाँ, व्यसन, आलस्य आदि दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण आदि कार्यक्रमों से क्षेत्रों में आशाजनक परिवर्तन देखा जा सकता है। इतने लोकसेवियों द्वारा देश की परिस्थितियाँ कुछ से कुछ बनाई जा सकती हैं। अपने ८० लाख संत सारे संसार में भारतीय धर्म और संस्कृति की ध्वजा फहरा सकते हैं, पर दुर्भाग्य को क्या कहा जाए, जिसने साधु वेशधारी तो हमारे सामने खड़े कर दिए, किंतु प्राचीन काल जैसा दृष्टिकोण और कर्तृत्व उनमें ढूँढ़े नहीं दीखता।

ऐसी दशा में क्या यह उचित है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस प्रकार जनता पर भार बनी बैठी रहे और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के प्रपंच तथा मूढ़ विश्वास फैलाती हुई लोकमानस को विकृत करती रहे। इसी प्रकार उन भिखारियों का प्रश्न है, जो काम करने में सर्वथा असमर्थ न होते हुए भी भिक्षा पर उतर आए हैं। यदि मनुष्य चाहे तो थोड़ी-बहुत शारीरिक असमर्थता के बीच भी कुछ न कुछ श्रम और उपार्जन कर सकता है। इच्छा हो तो काम भी मिल सकता है और राह भी। अनिच्छा हो तो असमर्थता, अपंगता और दरिद्रता का ढोंग बनाने में अब वे प्रवीण हो गए हैं। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिले हैं कि यह निष्ठुर लोग अपने बालकों के हाथ-पैर तोड़कर, आँखें फोड़कर उन्हें अपंग बना देते हैं ताकि उनके बहाने अधिक आजीविका उपार्जन हो सके।

राष्ट्र की आर्थिक और नैतिक कमर तोड़ देने वाले इस भिक्षा-व्यवसाय का अंत करने के लिए हर विचारशील व्यक्ति को सजग होना चाहिए। कुपात्रों को दान देना, इस दुष्प्रवृत्ति को फलने-फूलने का अवसर देना है। हर उदार मनुष्य को विवेक से भी काम लेना चाहिए और देते

समय यह भली-भाँति परख लेना चाहिए कि उसका पैसा किस प्रयोजन में लगेगा। ढोंग या परंपरा से प्रभावित होकर दान देने की मानसिक दुर्बलता से जब तक जूझा न जाएगा, भिक्षा व्यवसाय की विष-बेल बढ़ती ही चली जाएगी।

जो सर्वथा अपंग, असहाय हैं, उनके निर्वाह का प्रबंध संस्थाओं अथवा सरकार को करना चाहिए। जो लोकसेवा में संलग्न साधु-ब्राह्मण हैं, उनके निर्वाह का प्रबंध धर्म-संस्थाओं को करना चाहिए। प्राचीनकाल में यातायात, डाक, बैंक आदि का प्रबंध न होने से सर्वत्र मिल सकने वाली भिक्षा उपयोगी रही होगी। अब सुयोग्य लोकसेवी साधुओं के निर्वाह का क्रम ईसाई मिशनों के पादरियों की तरह बड़ी आसानी से हो सकता है। उपरोक्त दोनों ही वर्गों के अधिकारी व्यक्तियों को छोड़कर शेष उन सभी भिक्षुओं को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, जो न तो लोकसेवी हैं और न अपंग। प्राचीन काल में साधु पुजते थे, इसलिए इन्हें गुणी न होते हुए भी वेशधारण मात्र से पूजा जाए, यह कोई तर्क नहीं। प्राचीन काल के ब्राह्मण अपने मेहान व्यक्तित्व और कर्तृत्व के कारण श्रद्धास्पद थे। वे गुण न रहने पर भी उनके वंशज वही सम्मान पाएँ, इसका कोई कारण नहीं। सेवा कर्तव्य है, भिक्षा अधिकार। यदि सेवा नहीं, तो भिक्षा भी नहीं। यह तथ्य सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए, तो यह एक करोड़ लोगों की भिक्षुक एवं अर्ध-भिक्षुक जनसंख्या कुछ उपार्जन में लग सकती है। गरीब जनता पर पड़ने वाला एक भार बच सकता है। उपार्जन और श्रम से इन लोगों का आत्मगौरव और कर्तृत्व निखर सकता है, वे अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

संत इमर्सन के सामने एक आदमी ने हाथ फैलाकर भीख माँगी तो उन्होंने कपड़े से अपना चेहरा ढँक लिया। किसी ने पूछा, आपको लाज क्यों आ रही है ? उन्होंने कहा-भीख माँगकर इसने मनुष्य शरीर को लजाया। दुर्भाग्य कि मैं भी उसी चोले में हूँ।

भिक्षा अनैतिक है। भिक्षा व्यवसायी की मनोभूमि दिन-दिन पतित होती जाती है। उसका शौर्य, साहस, पौरुष, गौरव सब कुछ नष्ट हो जाता है और दीनता मस्तिष्क पर बुरी तरह छाई रहती है। अपराधी की तरह उसका सिर नीचा रहता है। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसे हजार ढोंग रचने पड़ते हैं और लाख तरह की मूढ़ताएँ

फैलानी पड़ती हैं। यह कार्य जनमानस को विकृत बनाने की दृष्टि से और भी अधिक भयावह है।

हर विचारशील का कर्तव्य है कि भिक्षा व्यवसाय को निरुत्साहित करे। कुपात्रों को वाणी मात्र से भी उपदेश न दें। जिन पर प्रभाव पड़ सके, उन्हें भिक्षा छोड़ने और श्रम करने के लिए कहें। इतनी बड़ी जनसंख्या को इस अवाँछनीय व्यवसाय से विरत करने के लिए हमें गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और उसके लिए कुछ ठोस प्रयत्न करना चाहिए।

प्रश्न

1. समर्थ होते हुए भी किसी के आगे हाथ पसारने में क्या-क्या हानियाँ होती हैं ?
2. भारत में भिक्षा व्यवसायों की संख्या बतलाते हुए, इनके भिक्षा माँगने की शैली को बतलाइए ?
3. प्राचीनकाल के साधुओं की स्थिति स्पष्ट कीजिए ?
4. सारे साधु यदि जीविका उपार्जन के लिए भिक्षावृत्ति के साथ-साथ ही रचनात्मक कार्यक्रमों में जुट जाएँ, तो वे देश का भला किस प्रकार कर सकते हैं ?
5. भिखारियों से देश और समाज को कैसे हानि है, सिद्ध कीजिए ?
6. विचारशील व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा ?
7. हमारी सरकार तथा धर्म संस्थाएँ भिक्षा उन्मूलन में किस प्रकार सहयोग दे सकती हैं ?
8. यदि भिक्षा व्यवसाय खत्म कर दिया जाए तो समाज कैसे इनके बोझ से छूटेगा ?

ढलती आयु का उपयोग

भारतीय परंपरा के अनुरूप मानव-जीवन चार भागों में विभक्त है। इस विभाजन को चार आश्रम कहते हैं। मनुष्य की यदि सौ वर्ष पूर्ण आयु मानी जाए तो इसमें से २५ वर्ष ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन और शरीर पुष्टि के लिए, २५ वर्ष पारिवारिक उत्तरदायित्वों को निबाहने के लिए, २५ वर्ष परिवार को स्वावलंबी, सुसंस्कृत बनाने की देखभाल रखते हुए आत्मविकास एवं लोकमंगल की संयुक्त साधना के लिए तथा अंतिम २५ वर्ष घर-परिवार की मोह, ममता से छुटकारा पाकर परिभ्रमण करते हुए विश्व-मानव के लिए, परमात्मा के लिए अपना पूर्णतया समर्पण करने के लिए हैं। इन चार अवधि विभाजन को चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास कहते हैं। यह ऐसा संतुलित विभाजन है कि जब तक उसे क्रियान्वित किया जाता रहा, यह देश संसारवासियों की दृष्टि में स्वर्ग और इस देश का नागरिक देवता की तरह आदर्श एवं अभिनंदनीय माना जाता रहा। जीवन का यह विभाजन-क्रम प्राचीनकाल की तरह आज भी आवश्यक एवं उपयोगी है।

यह सभी जानते हैं जीवन का आरंभिक चौथाई भाग शारीरिक और मानसिक विकास के लिए है। संयम, व्यायाम, विद्याध्ययन, अनुशासन आदि सत्प्रवृत्तियों में निरत रहकर ब्रह्मचारी वर्ग भावी जीवन की आधारशिला सुदृढ़ करता है। जिसने यह मूल्यवान समय उच्छृंखलता में गँवा दिया, वह शेष सारा जीवन रोते-कलपते ही गुजारेगा। युवावस्था, उपार्जन, उत्पादन, अभिवर्द्धन एवं स्थिरता उत्पन्न करने के लिए है। जो विवाह करना आवश्यक समझते हों और उसके लिए अपने को सुयोग्य, समर्थ मानते हों, वे ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा माता-पिता, भाई-बहिन तथा समाज के अन्य दुर्बल परिस्थिति वालों की सहायता करने में उस आयु को नियोजित किया जा सकता है। विवाह उचित तो है, पर अनिवार्य नहीं। गृहस्थ जीवन का अर्थ विवाह नहीं, वरन् पारिवारिक सुव्यवस्था के लिए अपना कर्तव्य एवं अनुदान प्रस्तुत करना है। ब्रह्मचर्य-अवधि में जो शक्तियाँ प्राप्त की थीं, उनका उपयोग अपनी तथा दूसरे की परिवार संस्था

के विकास में किस तरह किया जा सकता है, यही गृहस्थ जीवन की साधना है।

व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि में यह आधा जीवन अपने व्यक्तित्व और परिवार के लिए नियोजित है। यों उसमें भी जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर बहुत कुछ करते रहा जा सकता है। इसके उपरांत वानप्रस्थ की स्थिति आती है। उसमें समर्थ और वयस्क बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहिए। बूढ़े लोग अपना ही आधिपत्य-नियंत्रण घर-परिवार पर बनाए रहे तो बच्चे अनुभवहीन और अनुत्तरदाई बने रहेंगे और बूढ़ों के न रहने पर भारी कठिनाई अनुभव करेंगे। नवयुवकों में जोश तो बहुत होता है, पर अनुभव के अभाव में वे अक्सर भूलें करते रहते हैं। इसलिए परामर्श, मार्गदर्शन एवं देखभाल की आवश्यकता बड़े लोग पूरी करते रहें, बाकी काम उन्हें करने और संभालने दें। बड़े बच्चे अपने छोटे भाई-बहनों को संभालें। इस प्रकार व्यवस्था बना देने पर जो समय और मानसिक शक्ति बचे, उसे अपनी आध्यात्मिक समर्थता बढ़ाने के लिए, साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा में लगाना चाहिए। यही पूर्णता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी है। ब्रह्मचर्य-अवधि में लौकिक जीवन की प्रगति एवं स्थिरता के लिए तैयारी की गई थी। वानप्रस्थ में आध्यात्मिक जीवन की, परमात्मा, विश्व-मानव की सेवा-साधना करने के लिए अग्रसर होते हैं। यह अति महत्त्वपूर्ण समय है। इसमें बच्चे भी सुयोग्य बनते हैं, अपनी आंतरिक प्रगति का भी अवसर मिलता है और उसी अवधि में लोकमंगल के वे महत्त्वपूर्ण कार्य बन पड़ते हैं, जिनके ऊपर किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक प्रगति निर्भर रहती है।

पचपन वर्ष की आयु में अध्यापक पद से रिटायर एक व्यक्ति ने विद्या की साधना प्रारंभ की। लोगों ने कहा-यह भी कोई पढ़ने की आयु है। इस पर उन्होंने कहा-यदि मनुष्य घर-गृहस्थी के मोह का परित्याग कर सके, तो इस आयु जैसा बौद्धिक और आत्मिक विकास किसी आयु में भी नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी साधना प्रारंभ की, सारी दुनियाँ में वेदों का पहला विद्वान होने का गौरव पाया। यह और कोई नहीं शतजीवी पं० दामोदर सातवलेकर थे।

जीवन का लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। अपूर्णताएँ, मानवीय दुर्बलताएँ,

आत्मनिरीक्षण, आत्मशोधन, आत्मसुधार एवं आत्मविकास के चार आधारों पर अवलंबित हैं। चिंतन और मनन के द्वारा आत्मनिरीक्षण आत्मसमीक्षा अपने दोष-दुर्गुणों को प्रकाश में लाती हैं। आत्मसुधार के लिए शरीरगत बुरी आदतों और मनोगत दुष्प्रवृत्तियों से संघर्ष करके पुराने क्रम में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है। तपश्चर्या इसे ही कहते हैं। तप साधना का यही उद्देश्य है। यह वनवास की तरह घर में रहकर भी की जा सकती है। वानप्रस्थ इसी प्रयोजन के लिए है। लोकमंगल में सेवा संदर्भ में संलग्न रहने से आत्मविकास होता है। जिस स्वार्थपरता के साथ हम अपने निजी प्रयोजनों में अब तक लगे रहे, उसी तत्परता के साथ लोकमंगल और परमार्थ प्रयोजन में रस लेने लगे, तो समझना चाहिए कि आत्मविकास की प्रक्रिया चल पड़ी। अपनेपन की परिधि से निकलकर विश्व-मानव की सेवा में अपने समय, मन तथा धन को नियोजित करना होता है। वानप्रस्थ-साधना का यही क्रम है और भारतीय परंपरा के अनुरूप हमारा ढलता जीवन, पचास से पचहत्तर तक की आयु, इसी में नियोजित होनी चाहिए।

एक साधु ने एक सदगृहस्थ को समझाया, तात यही अवस्था है, जब तुम्हें आत्मोत्थान की साधना में जुट जाना चाहिए। घर का मोह त्याग कर समाज को अपने अनुभवों का लाभ और लोक श्रद्धा का आनंद लेना चाहिए, लेकिन बुढ़े के मन में नाती-पोतों का मोह समाया था। बोला-महात्मन् ! मेरे बिना बच्चे कैसे रहेंगे ? वृद्ध घर लौटा, वृद्धावस्था का शरीर रात को नींद जल्दी टूट गई तो उसे लगा बगल के कमरे में कोई बात कर रहा है। ध्यान देकर सुना तो पता चला, उसी का लड़का और बहू बात कर रहे हैं। बुढ़ा दिन-रात खाँसता है, मरता भी नहीं, अपनी टाँग अड़ाता रहता है। अपमान सहकर बुढ़े को समझ आई और तब उसने घर त्यागा।

व्यक्ति और समाज दोनों के ही कल्याण की दृष्टि से वानप्रस्थ की उपयोगिता असाधारण है। इससे समय रहते बड़े बच्चे सुयोग्य बन जाते हैं और अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझने, निबाहने लगते हैं। उनमें जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और अनुभवी बनते हैं। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण युवा बालकों को न मिले और वे देर तक परावलंबी बने रहें तो आगे चलकर उन्हें उत्तरदायित्व सम्भालने, निबाहने में बड़ी कठिनाई

पड़ती है। परिवार को स्वावलंबी बना देना, उसकी एक बड़ी सेवा है। उसमें छोटे बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी अनुभव करने लगते हैं और वे बिगड़ते नहीं।

उपरोक्त प्रकार की व्यवस्था बनाकर ढलती आयु के हर व्यक्ति को स्वाध्याय, उपासना और आत्मशोधन की तपश्चर्या के लिए समय निकालना चाहिए और लोकमंगल की साधना में नियमित रूप से कम से कम चार घंटा समय देना चाहिए। प्रातः और सायंकाल का समय व्यक्तिगत साधना के लिए और दिन का बचा समय लोकमंगल की सेवा प्रक्रिया में लगाने के लिए नियुक्त रहना चाहिए। कहना न होगा कि समय की आवश्यकता को देखते हुए आज की सबसे बड़ी लोकसेवा विचार परिवर्तन की दृष्टि से किए गए प्रयत्नों पर ही निर्भर है। आर्थिक, शारीरिक या बौद्धिक सुविधाएँ बढ़ाने वाले कार्य भी यों सेवा क्षेत्र में आते हैं, पर उनका भी महत्त्व तभी है, जब लोगों की विचार-पद्धति का परिष्कार हो, अन्यथा अगणित सुख-सुविधाएँ रहते हुए भी दुःखी बना रहेगा। सुखों की मूल भित्ति उच्च विचारणा ही है। समाज में विचारशीलता, विवेकशीलता और सद्भावना बढ़ सके, ऐसे लोकसेवा के कार्यों को हाथ में लेना वानप्रस्थ साधना का अविच्छिन्न अंग है। इस साधना की उपलब्धि का पूरा लाभ एवं आनंद उठाया जा सकता है। सत्कर्मों से ही शुभ संस्कार बनते हैं और वे ही हमारी प्रधान आध्यात्मिक पूँजी है। सद्भावना अभिवर्द्धन की लोकसेवा उसी प्रयोजन की पूर्ति करती है। वानप्रस्थ में साधु-ब्राह्मणों जैसी लोकमानस को परिष्कृत करने की सेवा-साधना करनी होती है।

जब तक वानप्रस्थ प्रणाली जीवित रही, देश को लाखों लोकसेवी अनुभवी और सुयोग्य कार्यकर्ता निःशुल्क मिलते रहे। उनके द्वारा जनकल्याण के असंख्य प्रयोजन पूरे किए जाते रहे और अपना देश सुसंपन्न, समर्थ एवं सुसंस्कृत बना रहा। लोग स्वार्थी और संकीर्ण बनकर ढलती आयु को भी घर-परिवार के लिए ही व्यय करने लगे, तो लोकमंगल के लिए उच्च भावनासंपन्न लोकसेवियों का मिलना बंद हो गया। व्यवसायी लोगों के हाथ सार्वजनिक क्षेत्र चला गया और समाज की भारी हानि हुई। देश के भावनात्मक अधःपतन का एक बहुत बड़ा कारण वानप्रस्थ परंपरा का लोप हो जाना ही है। समय की माँग है कि पचास वर्ष से अधिक आयु का हर

व्यक्ति भले ही घर में रहे, पर आत्मनिर्माण और आत्मविकास की आध्यात्मिक प्रक्रिया में संलग्न होकर अपने और समाज के कल्याण का महत्त्वपूर्ण प्रयोजन करने में संलग्न हो।

प्रश्न

१. पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार मानव जीवन कितने भागों में विभक्त है तथा क्या-क्या कार्य करना होता है ?
२. जब तक पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन निर्वाह करते रहे, हमें क्या लाभ होता रहा ?
३. जीवन का प्रारंभिक चौथाई भाग क्या कहलाता है ? इसका क्या महत्त्व है ?
४. गृहस्थाश्रम के बारे में लिखिए ?
५. वानप्रस्थ में मनुष्य घर के लिए क्या काम करता रहता है ?
६. वानप्रस्थ में मनुष्य समाज के लिए किस प्रकार लाभदायक होता था ?
७. अंतिम आश्रम क्या है ? तथा इसके कार्य क्या हैं ?
८. वानप्रस्थ परंपरा के लोप हो जाने से हमारे भारतीय समाज को क्या हानियाँ उठानी पड़ी हैं ?
९. आपके विचार में इन चारों आश्रमों में समाज के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण आश्रम कौन-सा है ? तथा क्यों ?



ज्ञानयज्ञ से नवनिर्माण

लंदन की एक सभा में स्वामी विवेकानंद भाषण कर रहे थे। मानव धर्म की प्रतिष्ठा के लिए सच्चे ज्ञान के प्रसार की आवश्यकता है। ज्ञान प्रसार के लिए त्यागी और सेवाभावी आत्माएँ मिल जाएँ, तो संसार का काया पलट हो सकता है। सभा में बैठी युवती नोबुल मार्ग रेट ने सभा समाप्त होने पर स्वामीजी से कहा—मैं नहीं जानती आपको छः व्यक्ति मिलेंगे या नहीं, पर सातवें की पूर्ति मैं करूँगी। इन्हीं मागरेट ने एक दिन भारत आकर लोगों के घर-घर में प्रकाश पहुँचाया और सिस्टर निवेदिता के रूप में भारतवासियों से सच्चा प्यार पाया।

कहना न होगा कि मनुष्य की महानता और निकृष्टता उसकी मनःस्थिति पर निर्भर है। जिसके विचार ओछे, स्वार्थी और संकीर्ण हैं, उसकी गतिविधियाँ घृणित स्तर की होंगी, फलस्वरूप उसका स्तर नर-पशुओं एवं नर-पिशाचों जैसा बन जाएगा। इसके विपरीत जिसके विचार ऊँचे, उत्कृष्ट, उदात्त हैं, सद्भावना और सज्जनता के आदर्श जिस मस्तिष्क में जम गए हैं, उसके समस्त क्रिया-कलापों में शालीनता एवं महानता की ही झाँकी मिलेगी। उसका हर काम ऐसा होगा, जिससे दूसरों को सुख मिले। वह स्वयं उस कर्तव्य से संतुष्ट रह सके। ऐसे व्यक्ति आजीवन अपने लिए आनंद उत्पन्न करते और दूसरों के लिए उल्लास बिखेरते ही देखे जाते हैं।

राष्ट्रीय विद्यालय को चलाने के लिए योग्य संचालक की नियुक्ति के बारे में टेढ़ी बात यह थी कि उस पद के लिए ७५) रुपए मासिक दिए जा सकते थे, पर जिस योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी, वह पाँच-सौ से कम का नहीं हो सकता था, तो भी हिम्मत करके विज्ञापन दिया गया। दूसरे दिन जब एक साढ़े सात सौ रुपए मासिक पाने वाला व्यक्ति उपस्थित हुआ तो लोग आश्चर्य में डूब गए और कहने लगे, देश समाज की आवश्यकता को समझने वाले त्यागियों की अभी कमी नहीं। यह व्यक्ति बड़ौदा कालेज के अध्यक्ष श्री अरविंद

थे, जिन्होंने उस सम्मान को ठुकरा कर केवल ७५) रुपए तक में काम किया।

अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि अपने दुर्बल राष्ट्र को समर्थ और सुसंपन्न बनाने के लिए जनसाधारण की मनोभूमि में विवेकशीलता और आदर्शवादिता की फसल बोई तथा उगाई जाए तो आशा भरी उमंग उत्पन्न करने वाली हरीतिमा उत्पन्न होगी। हजार वर्ष की गुलामी से ग्रसित रहने के कारण हमारे विचार हर दिशा में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सभ्य देशों में सर्वत्र पाई जाने वाली नागरिक कर्तव्यनिष्ठा की अभी अपने यहाँ शुरुआत भी नहीं हुई है। रूढ़ियों और अंध-विश्वासों के कारण जो अपार क्षति उठानी पड़ रही है, उसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया है। वैयक्तिक सद्गुण किस प्रकार किसी आदमी को सुखी, समुन्नत एवं समर्थ बनाते हैं, इसकी चर्चा भी सुनने में नहीं आती। सामाजिकता एवं सामूहिकता के प्रति निष्ठा उत्पन्न किए बिना कोई राष्ट्र बलवान नहीं बन सकता है, इस तथ्य को हम में से कितने लोग अनुभव करते हैं। विचारों का यह पिछड़ापन ही हमारी अवनति के लिए जिम्मेदार है। उसी ने हमें हजार वर्ष तक गुलाम रखा और उसी अवरोध ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतनी लंबी अवधि बीत जाने पर भी हमारी प्रगति में पग-पग पर अवरोध उत्पन्न किया है।

हमें वास्तविकता समझनी चाहिए और जनमानस में विवेकशीलता एवं उत्कृष्ट आदर्शवादिता का बीजारोपण करने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए। राजनैतिक क्रांति के बाद अब सबसे बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता विचार-क्रांति की है। उसके बिना प्रगति के सारे प्रयत्न दिवा-स्वप्न मात्र बनकर रह जाएँगे।

कलकत्ता के एक अंग्रेज जस्टिस की कन्या श्री सुरेन्द्र बनर्जी के घर पहुँची और उन्हें ईसाई धर्म की छोटी-छोटी पुस्तकें भेंट करती हुई बोली-इनमें बड़ा ज्ञान भरा पड़ा है। आप इन्हें अवश्य पढ़ें ? श्री बनर्जी ने पूछा-मैंने सुना है कि आप यह पुस्तकें लेकर साधारण घरों में भी जाकर लोगों को पढ़ाती हैं, आपको इसमें ग्लानि नहीं लगती। लड़की बोली-जिन्हें अपने धर्म, अपनी संस्कृति का स्वाभिमान नहीं होगा, उन्हें इस

कार्य से ग्लानि अनुभव होगी। ईसाई धर्म भारत जैसे देश में फैल गया, यह इसी निष्ठा का प्रतिफल था।

आज हम व्यक्ति को अनेक व्यथा-वेदनाओं में डूबा हुआ और समाज की अनेक समस्याओं से उलझा हुआ पाते हैं। सर्वत्र अशांति, आशंका और असंतोष का जो वातावरण देखते हैं, उसके पीछे एक कारण है, मानवीय दुर्बुद्धि का बढ़ जाना और उसका दुष्प्रवृत्तियों की ओर मुड़ जाना। यदि यह प्रवाह रोका जा सके, लोगों को उच्च आदर्शवादिता की रीति-नीति समझाने के लिए तैयार किया जा सके, तो परिस्थितियाँ बिलकुल उलट सकती हैं। जो क्षमता आज विघटनात्मक, अनीतिमूलक क्रियाकलापों में लगी है, वह यदि उलटकर सृजनात्मक और सद्भाव संवर्धन में लग जाए तो देखते-देखते जादू की तरह सारी परिस्थितियों का कायाकल्प हो सकता है। वर्तमान नारकीय वातावरण देखते-देखते स्वर्गीय सुषमा में बदल सकता है।

कांची नरेश की राजकुमारी भूत-बाधा से पीड़ित थी। योग्य मंत्रकार भी राजकुमारी को अच्छा न कर सके, तब श्रीरामानुज बुलाए गए। उन्होंने प्रेत से पूछा तुम कौन हो ? क्यों तुम प्रेत योनि में आए ? भूत ने बताया- पूर्व जन्म में विद्वान था, पर अपनी विद्या औरों से छिपाई, किसी को विद्या दान नहीं दिया, उसी से कठिन ब्रह्मराक्षस योनि में पड़ा हूँ। आप मुझे स्पर्श करें, तो मुक्ति मिले, क्योंकि आपने केवल विद्याध्ययन ही नहीं किया है, समाज को ज्ञान बाँटा भी है। श्रीरामानुज ने राजकुमारी के मस्तक को हाथ से स्पर्श किया, जिससे प्रेत की मुक्ति हुई।

धन-संपदा और साधन-सुविधाएँ बढ़ाकर मानवीय सुख-शांति बढ़ाने के प्रयत्नों में दूसरे लोग लगे हुए हैं, वह सराहनीय हैं, पर हमें सोचना यह है कि दुर्बुद्धि का वर्तमान क्रम यदि इसी तरह चलता रहा तो कुबेर की तरह संपत्ति और इंद्र की तरह साधन बढ़ जाने पर भी दुर्बुद्धि के रहते विपत्तियाँ ही बढ़ेंगी। सद्बुद्धि ही अभावग्रस्त जीवन को भी सुख-शांति से भरपूर रख सकती है। चूँकि इस अति महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर दूसरों का ध्यान नहीं है अतः उसे अपने हाथ में लेना चाहिए और दुर्बुद्धि के उन्मूलन एवं सद्बुद्धि के संस्थापन में प्राणपण से जुट जाना चाहिए। यह प्रयास आँखों से दिखाई न पड़ने के कारण सस्ती वाहवाही भले ही न दिला सके, पर अपनी उपयोगिता के कारण उसका महत्त्व इतना बड़ा है

कि उसके ऊपर पुण्य परमार्थ कहे जाने वाले समस्त कार्यों को निछावर करके फेंका जा सकता है।

चीनी यात्री ह्वेनसाँग नालंदा से पढ़कर लौटा तो अपने साथ बहुत से धर्मग्रंथ भी लेकर चला। उसे सिन्धु के मुहाने तक पहुँचाने के लिए नालंदा के कुछ छात्र भेजे गए थे, वह भी साथ थे। तभी तूफान आ गया और जहाज में पानी भरने लगा। यह देखते ही नालंदा के छात्र पानी में कूद गए, पर ग्रंथों को नष्ट होने से बचा लिया। ह्वेनसाँग इन भारतीयों के ज्ञान के प्रति त्याग और बलिदान भावना से इतना प्रभावित हुआ कि जाकर अपना सारा जीवन ही लोगों को सद्ज्ञान के बाँटने में लगाया।

औचित्य, न्याय और विवेक से संपुटित एक प्रगतिशील विचारधारा का सृजन युग निर्माण योजना द्वारा किया गया है। अत्यंत प्रखर प्रकाश से परिपूर्ण व्यक्ति और सम्राज की हर समस्या का महत्त्वपूर्ण हल प्रस्तुत करने वाला अत्यंत सस्ता साहित्य प्रचुर मात्रा में प्रकाशित किया जाता है। ज्ञान यज्ञ का एक भाग यह सृजन है, जिसे केंद्र द्वारा देश की हर भाषा में प्रचुर परिमाण में लिखा और छापा जा रहा है। दूसरा भाग उसका प्रसार है। भावनात्मक नवनिर्माण का महत्त्व समझने वाले हर विचारशील व्यक्ति को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। प्रसन्नता की बात है कि ऐसे परमार्थ-प्रेमियों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है और वे अपने समय तथा साधनों का एक अंश नियमित रूप से लगाने लगे हैं। वे घर-घर जाकर जन-जन से संपर्क स्थापित करें और उनकी मनोभूमि तथा आवश्यकता को देखते हुए नव-निर्माण का वह सृजनात्मक साहित्य पढ़ने को दें जो छोटे-छोटे ट्रेक्टों, विज्ञप्तियों एवं अखण्ड ज्योति, युग निर्माण योजना पत्रिकाओं के रूप में उपलब्ध है। जो पढ़े नहीं हैं उन्हें सुनाने का कार्य करना होता है। चूँकि देश में बहुत लोग अशिक्षित हैं। इसलिए सुनाना इस देश में पढ़ने से भी अधिक आवश्यक है।

ज्ञानयज्ञ के होता, उद्गाता वे लोग हैं, जिन्होंने जनमानस में विचार परिष्कार के सर्वोपरि परमार्थ का महत्त्व समझ लिया है और उसके लिए कुछ अनुदान नियमित रूप से देते रहने का व्रत धारण कर लिया है। ऐसा अनुदान न्यूनतम एक घंटा समय और एक रुपया नित्य का होना चाहिए। प्रतिदिन एक रुपया देने में नियमितता बनी रहे और उसे एक दैनिक अनिवार्य नित्यकर्म की तरह स्मरण रखा जा सके, इसके लिए ज्ञानयज्ञ के

धर्मघट (गुल्लकें) जैसे जमा करने के लिए बना दी गई हैं। इन्हें पूजा की वेदी पर स्थापित करना होता है और एक रुपया नित्य उसमें डालना पड़ता है। ताला कुँजी उसमें रहने से महीने पर जब आवश्यकता पड़े, तभी उसे खोला जा सकता है। इस जैसे से वह सारा साहित्य मँगाया जाता रहता है जो विचार क्रांति और समाज क्रांति के लिए युग निर्माण योजना के अंतर्गत मथुरा से निरंतर प्रस्तुत किया जाता रहता है। इस प्रकार एक घरेलू पुस्तकालय बनता चला जाता है, जिसे हर घर की एक सच्ची संपत्ति कहना चाहिए।

दो-एक घंटा समय की अनुदान माँग इसलिए है कि एक रुपया रोज देकर जो साहित्य उपलब्ध किया गया है, उसे अपने घर के परिवार के हर सदस्य को नित्य थोड़ा-थोड़ा कर के पढ़ाया-सुनाया जाया करे तथा पड़ोसी, मित्र, परिचित, संबंधी जो भी अपने प्रभाव तथा परिचय क्षेत्र में आता है, उन्हें इस साहित्य से परिचित कराने, महत्त्व माहात्म्य समझाने, रुचि उत्पन्न करने और पढ़ाने के लिए बार-बार संपर्क स्थापित किया जाता रहे। जिनमें थोड़ी सी भी विचारशीलता है, उनके साथ किया हुआ परिश्रम सफल भी होता है। जो लोग यह पढ़ने सुनने में रुचि लेने लगते हैं, उनमें से अधिकांश को इस प्रखर विचार धारा से प्रभावित होना पड़ता है और वे उस प्रकाश को जीवन में उतारने तथा अपने संपर्क क्षेत्र में फैलाने का साहस भी करते हैं। इस प्रकार भावनात्मक नव-निर्माण की, विचार क्रांति की यह पुण्य प्रक्रिया दिन-दिन आगे बढ़ती जाती है।

दो घंटा समय और एक रुपया नित्य ज्ञानयज्ञ के लिए नियमित रूप से देने का व्रत लेने वाले भावनाशील लोगों को युग निर्माण योजना का सदस्य माना जाता है और उन्हीं का संगठन इस अभियान के अतिरिक्त शतसूत्री रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों को हाथ में लेकर भावनात्मक नव-निर्माण के पुण्य प्रयोजन को आगे बढ़ाता है। हर सदस्य को कम से कम दस व्यक्तियों तक इस विचारधारा के प्रसार का प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए कि दस हजार कर्मठ सदस्य एक लाख को निरंतर प्रभावित, प्रोत्साहित करते रह सकते हैं। यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज के क्रम से बढ़ती हुई चार पाँच छलाँगों में भारत को ही नहीं सारे विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले सकती है, ले भी रही है।

झोला पुस्तकालय ज्ञान-यज्ञ का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहाँ कहीं भी जाया जाए एक झोले में युग निर्माण के ट्रैक्ट, पत्रिकाएँ, विज्ञप्तियाँ लेकर जाया जाए और जहाँ उपयुक्त अवसर जान पड़े, वहीं अपने मिशन की चर्चा छेड़ दी जाए। जितना परिचय साहित्य के माध्यम से कराया जा सकता हो, कराया जाए। लोगों के घरों पर जाकर पुस्तकें देना और फिर जाकर वापस लाना ऐसा काम है, जिससे किसी को भी प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। झोला पुस्तकालय अपने नगर में सारे शिक्षित समाज को इस विचार धारा से परिचित और प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं वह रेल, मोटर के सफर, प्रवास, या जहाँ भी जाया जाए साथ रह सकता है, और इन चिनगारियों को कहीं भी बिखेरता रह सकता है। वे अवसर पाकर कहीं भी अनीति एवं अविवेक का उन्मूलन करने में प्रचंड दावानल की भूमिका संपादित कर सकती हैं। जहाँ संभव हो, चल पुस्तकालय ढकेल गाड़ी के रूप में चलाया जा सकता है। उसके द्वारा लोगों को पढ़ने की यह चीजें दी जाती रहें और जिन्हें पसंद आएँ, उन्हें बेची भी जा सकती हैं। इस तरह उस कार्य में लगे व्यक्ति को थोड़ी आजीविका भी मिल सकती है और वह इस अति उपयोगी कार्य में लगा भी रह सकता है। सेवाभावी लोग अवैतनिक रूप में भी यह चल पुस्तकालय चलाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

ज्ञानयज्ञ देखने-सुनने में छोटी बात लगती है, पर उसकी संभावनाएँ उतनी विशाल हैं कि यदि ठीक तरह इस अभियान को चलाया जा सका तो विश्वास है कि लोकमानस में विवेकशीलता और सत्यप्रवृत्तियों की गहरी स्थापना संभव हो सकेगी और नए युग के अवतरण का स्वप्न साकार किया जा सकेगा।

मनु ने समझ लिया कि मछली अवतारी है, उन्होंने बहुत प्रार्थना की फिर भी उन्हें मत्स्य भगवान ने दिव्य रूप में दर्शन नहीं दिए। एक बार मनु नाव में वेद रखकर ले जा रहे थे कि समुद्र में तूफान आ गया। तूफान शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली उनकी नाव को सहारा दिए खड़ी है। मनु ने विनीत भाव से पूछा-भगवन् ! आपने ही मेरी रक्षा की है, आप कौन हैं ? मत्स्य भगवन् दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर बोले-वत्स ! तूने ज्ञान की रक्षा का व्रत लिया, इसलिए तेरी सहायता के लिए मुझे आना पड़ा।

१. मनुष्य की महानता और निकृष्टता किस तरह उसकी मनःस्थिति पर आधारित है ?
२. विचार किस तरह मनुष्य के लिए उपयोगी हैं ?
३. इस समय जो प्रगति की विविध-विध चेष्टाएँ की जा रही हैं, वे सफल क्यों नहीं हो रही हैं ?
४. अब समाज की उन्नति के लिए किस तरह के प्रयत्न किए जाएँ ?
५. राजनैतिक क्रांति के बाद सबसे पहली आवश्यकता क्या है ?
६. युग निर्माण योजना द्वारा संचालित "ज्ञानयज्ञ" की कार्य पद्धति को समझाइए ?
७. इस ज्ञानयज्ञ की प्रक्रिया को व्यापक बनाने के लिए क्या और किस तरह का सहयोग आवश्यक है ?
८. झोला पुस्तकालय किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए है ?
९. युग की अशांति, आशंका एवं असंतोष का मूल कारण क्या है ?
१०. वर्तमान नारकीय वातावरण को स्वर्गीय सुषमा में कैसे बदला जा सकता है ?
११. मानवीय सुख-शांति बढ़ाने के लिए आजकल क्या किया जाता है ? वास्तव में क्या किया जाना चाहिए ?
१२. सद्बुद्धि के संस्थापन हेतु क्या किया जाना चाहिए ?
१३. ज्ञानयज्ञ का प्रयोजन समझाइए ?
१४. युग निर्माण योजना द्वारा किस प्रकार के विचार प्रसारित किए जाते हैं ?
१५. ज्ञानयज्ञ के होता उद्गाता कैसे लोग हैं ?
१६. हर घर की सच्ची संपत्ति क्या है ?



देशभक्त नवनिर्माण में जुटे

अपना समाज पिछले दो हजार वर्ष से अवसादग्रस्त चला आ रहा है। आंतरिक दोष-दुर्गुण जैसे-जैसे बढ़ते चले गए वैसे-वैसे परिस्थितियाँ भी उलझती चली गईं और पग-पग पर कठिनाइयाँ बढ़ीं। व्यक्तियों के दोष-दुर्गुणों के कारण समाज कमजोर हो जाता है और कमजोर समाज का शोषण करने के लिए कोई-न-कोई आक्रमणकारी कहीं-न-कहीं से आ ही कूदता है। अपना भी यही हुआ। गिरे में लात जमाने के लिए विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आते रहे और अपने-अपने हंग से रोमांचकारी शोषण करते रहे। इस पराधीनता ने उन दोष-दुर्गुणों को और भी बढ़ाया, जिनके कारण अनेक प्रकार की दुर्बलताएँ और विपत्तियाँ पहले से ही उत्पन्न हो रही थीं। स्वाधीनता मिली है, पर हमारे जातीय दोष-दुर्गुण जहाँ के तहाँ हैं। फलस्वरूप संसार के स्वतंत्र राष्ट्र जिस प्रकार उन्नति कर रहे हैं, उनकी तुलना में हमारा पिछड़ापन नगण्य ही सुधरा है।

सरदार वल्लभ भाई ने अपनी माँ से देश सेवा की आज्ञा माँगी। माँ ने कहा-बहुत कठिन काम है बेटा ! देश-सेवा गद्दी पर बैठना और हुकूमत चलाना नहीं, उसमें झाड़-बुहारी से लेकर दुष्टों से संघर्ष तक के कठिन काम करने पड़ते हैं। जिस दिन मुझे यह विश्वास हो जाएगा कि तू कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है, उसी दिन आज्ञा दे दूँगी। सामने दीपक जल रहा था, सरदार पटेल ने उस पर उँगली रख दी हाथ जल गया, घाव पड़ गया, पर पटेल ने सी तक न की। उनकी माँ ने हाथ हटाया और उन्हें छाती से लगाते हुए कहा-बेटा ! तू देश सेवा के लिए सहर्ष जा सकता है।

सरकार अपराधियों को दंड दे सकती है, आर्थिक प्रगति के थोड़े साधन जुटा सकती है। व्यक्तिगत मूढ़ता एवं दुष्टता को, सामाजिक भ्रष्टता एवं अस्त-व्यस्तता को मिटाना, उसके बलबूते की बात नहीं। अधिनायकवाद

की बात दूसरी है। प्रजातंत्र में यह बात नहीं। प्रजातंत्र में व्यक्ति अथवा समाज सुधार का कार्य लोकसेवियों पर निर्भर रहता है। उन्हीं की सत्ता, व्यक्ति या समाज का स्तर ऊँचा उठा सकने में समर्थ हो सकती है। प्राचीन काल में देश का गौरव उच्च शिखर पर पहुँचाए रखने का सारा श्रेय यहाँ के लोकसेवियों को है। वे अपना सारा समय दो कार्यों में खर्च करते थे— (१) अपना व्यक्तित्व उच्चकोटि का विनिर्मित करना, ताकि जनता पर उसका उचित प्रभाव पड़ सके। (२) निरंतर अथक परिश्रम तथा अनवरत उत्साह के साथ जनमानस में उत्कृष्टता भरने के लिए संलग्न रहना। साधु-ब्राह्मण और वानप्रस्थों की यही परंपरा एवं कर्म पद्धति थी। उनकी संख्या जितनी बढ़ती थी, उसी अनुपात से राष्ट्रीय जीवन की हर दिशा में समृद्धि का अभिवर्धन होता चलता था। यही रहस्य था, अपने गौरवमय इतिहास का। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वे तीनों ही संस्थाएँ आज नष्ट हो गईं। ब्राह्मण, साधु और वानप्रस्थ तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते। उनकी तस्वीरें और प्रतिमाएँ बड़ी संख्या में घूमती-फिरती नजर आती हैं, पर उनका लक्ष्य, आदर्श और कर्तव्य सर्वथा विपरीत हो गया, ऐसी दशा में उनकी उपयोगिता भी नष्ट हो गई।

आजाद हिंद सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। उसके लिए सुभाष बाबू की माला नीलाम की जाने लगी। तीसरी बोली में एक व्यक्ति ने अपने घर का सारा सोना देते हुए कहा—नेताजी ! क्या हमारी पात्रता की परीक्षा धन से ही होगी ? नेताजी चौंके और बोले—तुम सच कहते हो, सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य है, इसलिए उन्होंने धन माँगने की अपेक्षा जवान माँगे। वह व्यक्ति पहला था, जिसने आजाद हिंद सेना में अपना नाम लिखाया।

दुर्भाग्य का रोना-रोने से काम न चलेगा। अभाव की पूर्ति दूसरी तरह करनी होगी। हम गृहस्थ लोग ही थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर लोकमंगल की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करना, अपना धर्म कर्तव्य समझें और उसके लिए निरंतर कुछ-न-कुछ योगदान देने के लिए तत्परता प्रकट करने लगे तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, जिस पर प्रगति का सारा आधार अवलंबित है। यदि हमारे मन में राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत लाभों जैसी दिलचस्पी पैदा हो जाए तो हम व्यस्त दिखाई देने वाले लोग भी थोड़ा-थोड़ा योगदान देकर

ऐसे सामूहिक अभियान चला सकते हैं, जिनसे वर्तमान दुर्दशा का कायाकल्प होने में देर न लगे। आवश्यकता ऐसे लोगों की है, जिनके अंतःकरण में देशभक्ति, समाज-सेवा, परमार्थ एवं लोकमंगल के लिए कुछ करने की उमंग भरी भावनाएँ लहरा रही हों। ऐसे ही नर-रत्न अपना जीवन धन्य करते हैं, अपने समय की महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ संपादित करते हैं।

सार्वजनिक चिकित्सालय के लिए लोग जमशेद जी टाटा के पास दान के लिए गए तो, पर लोग हिचकिचा रहे थे कि वे सौ पचास रुपए दे दें तो ही बहुत है, पर जब जमशेदजी ने दस हजार दिया तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनका आश्चर्य दूर करते हुए टाटाजी ने कहा—कंजूसी तो मैं व्यर्थ के कामों के लिए हूँ, अगर मैं लोकसेवा के लिए भी कंजूसी करूँ तो फिर मेरी देशभक्ति का क्या होगा ?

यों राजनीतिक पार्टियों के पास अभी भी बहुत कार्यकर्ता हैं, पर वे राजनीति को ही सब कुछ मान बैठे हैं। सत्ता-संघर्ष में, यश, पद पाने में ही उनकी प्रधान अभिरुचि है। कूटनीति में जिस तरह की तिकड़में भिड़ानी एवं विडंबनाएँ जुटानी पड़ती हैं, उन सबके अभ्यस्त होने से वे व्यक्तिगत आत्मबल भी खो बैठते हैं और ऐसे रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि भी नहीं रहती है। उनका ढर्रा भी संत-महंतों की तरह अपनी पूजा, महिमा और गद्दी बनाने की दिशा में लुढ़कने लगता है। जो जिस ढाँचे में ढल गया उसके लिए बदलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों से भी उनकी मनोभूमि को देखते हुए आशा करनी व्यर्थ है कि देश की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक जनमानस का परिष्कार, रचनात्मक अभिवर्धन, व्यक्ति और समाज की दिशाएँ मोड़ने का अभियान उनके द्वारा संभव हो सकेगा। यह नया कार्य एक नए वर्ग को करना चाहिए। धार्मिकता के सहारे भावनात्मक नव-निर्माण की दिशा में जुट सकें, साधु-ब्राह्मण की परंपरा को गृहस्थ रहकर भी निभा सकें, ऐसे व्यक्तियों की आज नितांत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले हमें आगे आना चाहिए। ताकि दूसरों को भी उसी मार्ग पर अनुगमन करने की प्रेरणा मिल सके।

भावनात्मक नव-निर्माण की आवश्यकता का महत्त्व समझने वाले और उसके लिए कुछ त्याग-बलिदान करने की हिम्मत करने वाले लोगों का एक वर्ग हर जगह ढूँढ़ा जाना चाहिए। उसे संगठित किया जाना

चाहिए, क्योंकि एकाकी प्रयत्नों का परिणाम बहुत बड़ा नहीं होता। सम्मिलित शक्ति द्वारा किए गए संगठित प्रयत्नों का चमत्कार सदा से होता रहा है। उसी की आवश्यकता आज भी है। लोकमंगल के लिए किए गए सामूहिक सत्प्रयत्न यदि सज्जनों द्वारा आरंभ किए जाएँ तो उनसे जनमानस के परिष्कार में, भावनात्मक नव-निर्माण में, भारी सहायता मिले और प्रगति के पथ का सबसे बड़ा अवरोध सहज ही दूर हो जाए।

कितने ही काम हैं जो ऐसे सत्प्रयत्नों द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। (१) प्रेरक विचार धारा प्रस्तुत करने वाले ज्ञान-मंदिरों की, प्रेरक पुस्तकालयों की व्यापक शृंखला का निर्माण इस दिशा में सबसे पहला काम है। यदि व्यवस्थित रूप से वह प्रक्रिया पूरी की जा सके तो विचार-क्रांति का महायज्ञ बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न होगा और उससे प्रबुद्ध पीढ़ी विनिर्मित होते हुए और उसके कर्तृत्व से वर्तमान दुर्दशा समाप्त होते हुए अपनी आँखों से देखेंगे। (२) अशिक्षा दूर करने ५५ प्रतिशत अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकारी, गैर सरकारी प्रयत्नों से भिन्न स्तर के शिक्षण प्रयत्नों की वृद्धि होनी चाहिए। प्रौढ़-पाठशालाओं और रात्रि-पाठशालाओं की इस संदर्भ में महती आवश्यकता है। (३) व्यायामशालाएँ, खेलकूद, शस्त्र संचालन और शरीर बल प्रदर्शन की प्रतियोगिताएँ। (४) देहाती क्षेत्रों में स्वच्छता आंदोलन। नए ढंग के टट्टी-घर, पेशाब घर, सोखा, नाली कूड़े के लिए गड्ढे, गोबर न जलाने, मिल-जुलकर गाँव की सफाई करने जैसी प्रवृत्तियाँ पैदा करके ग्रामीण जीवन में व्याप्त गंदगी के दूर करने का अभियान। (५) खर्चीली विवाह-शादियों के स्थान पर बिना खर्च के आदर्श विवाहों का प्रचलन। मृत्यु-भोज, भूत-पलीत, भिक्षावृत्ति, पर्दा, ऊँच-नीच, बाल विवाह जैसी अगणित सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिए विभिन्न स्तरों के प्रचार, विरोध एवं प्रतिरोधात्मक आंदोलन का सृजन एवं नेतृत्व। (६) भावनात्मक नव निर्माण के लिए, साहित्य, संगीत, कला, अभिनय, चित्र-प्रदर्शनी, प्रवचन, सम्मेलन आदि के समस्त प्रचार साधनों का प्रारंभ एवं अभिवर्धन। (७) शाक, फल, फूल, वक्ष आदि उगाने, अन्न बचाने, झूठन न छोड़ने, दावतों पर नियंत्रण, सुधरे ढंग की कृषि, पकाने तथा खाने संबंधी जानकारी, कम ईंधन से जलने वाले चूल्हे आदि के द्वारा खाद्य समस्याओं का

समाधान। (८) धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के लिए व्यापक एवं प्रखर प्रशिक्षण व्यवस्था। व्यक्तिगत जीवन में सत्प्रवृत्तियों के समावेश को प्रोत्साहन, सत्कार्यों का अभिनंदन। (९) जीव दया, पशु-पक्षियों के साथ सद्व्यवहार। (१०) गृह उद्योगों का व्यापक प्रचलन। फैशन, फिजूलखर्ची एवं अपव्यय को निरुत्साहित करना।

इन दससूत्री कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में हमें अपनी परिस्थिति एवं सुविधा के अनुरूप योजनाएँ बनाकर कार्य संलग्न होना चाहिए। इस दिशा में किए गए प्रयत्न ही राष्ट्रीय प्रगति के आधार बनेंगे।

प्रश्न

१. प्रजातंत्र में देश भक्तों के कर्तव्य क्या हैं ?
२. युग निर्माण योजना द्वारा प्रसारित १० रचनात्मक नव निर्माण के कार्यों का उल्लेख करते हुए युग की आवश्यकता पर लघु निबंध लिखिए ?
३. लोक सेवक अपना सारा समय किन दो कामों में खर्च करते थे ?
४. हमारे देश के उस प्रकार उन्नति न कर सकने के क्या कारण हैं, जिस प्रकार एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते हमारी उन्नति हो सकती थी ?
५. राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए नवयुवकों को क्या करना चाहिए ?
६. राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता किस प्रकार अपना समय व्यय कर देते हैं ?
७. ऐसे कौन से १० सूत्री कार्यक्रम हैं जिनके अंतर्गत हम नवयुवक भी देश की प्रगति में सहायक बन सकते हैं ? एक-एक कार्यक्रम का अलग-अलग वर्णन करो ?



श्रम-सम्मान एवं गृह उद्योगों की

आवश्यकता

वह समय चला गया जब एक कमाता था और सारा परिवार आनंद से निर्वाह किया करता था। आसमान को छूने वाली आवश्यकताओं ने हमारा सारा आर्थिक संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है। अब कोई बिरले ही आसानी से अपना खर्च चला पाते हैं। कड़ियों की स्थिति तो ऐसी है कि वे बेईमानी की अतिरिक्त कमाई छोड़ दें, तो उन्हें पेट पालना कठिन हो जाए। इन परिस्थितियों में हमें अपने आर्थिक स्तर को व्यवस्थित करने के लिए नए सिरे से, नए ढंग से सोचना होगा। कुड़मुड़ाते रहने से नहीं वरन् उन उपायों को शांत मस्तिष्क से ढूँढ़ना होगा, जिनसे इस अभाव और अशांति भरी परिस्थिति का हल निकाला जा सके।

अब न तो महँगाई कम की जा सकती है और न भोजन व्यवस्था, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, आतिथ्य आदि के आवश्यक खर्चे घटाए जा सकते हैं। बेईमानी का क्रम व्यापक हो गया तो ठगने वालों को भी ठग बेतरह हैरान करेंगे और जो अतिरिक्त कमाया था, वह अतिरिक्त खर्चों में ही चला जाएगा। देश में इतने अधिक साधन नहीं हैं कि वेतन उत्पादन या व्यवसाय में बहुत लाभ हो सके। चंद्र भाग्य के सिकंदरों की बात दूसरी है, सर्वसाधारण के लिए यही परिस्थिति है। ऐसी दशा में आर्थिक स्थिति संभालने का एक ही हल दिखता है कि घर का हर समर्थ और वयस्क व्यक्ति कुछ उपार्जन की बात सोचे और उसका रास्ता निकाले। अब वह समय आ गया है कि जब सब कमाएँ तो सबका पेट भर सकेगा। एक की कमाई इतनी नहीं हो सकती कि समस्त आवश्यकताएँ ठीक तरह पूर्ण हो सकें।

एक युवक साधु के पास जाकर बोला- भगवन् ! कोई ऐसा आशीष दीजिए जिससे मालामाल हो जाऊँ ? साधु ने कहा-बेटा ! कोई उद्योग कर उद्योग से ही पैसा बढ़ता है। लेकिन युवक को तो अपनी धुन लगी हुई थी, वह अपनी ही जिद करता रहा। साधु ने कहा- अच्छा जा तू जिस

वस्तु को छूएगा वही सोने की हो जाएगी। युवक प्रसन्न होकर घर लौटा। जो भी चीज छुई सोना बन गई। ध्यान रहा नहीं, उसके घर के किवाड़ लोटा और खाना तक सोने का हो गया। भूख से व्याकुल युवक ने स्त्री से कुछ कहने के लिए जैसे ही उसे छूआ वह भी सोना बन गई। युवक साधु के पास जाकर आशीर्वाद वापस कर आया और परिश्रम से कमाई करने लगा।

जापान बहुत ही छोटा देश है, पर उसकी समृद्धि संसार के सर्वोच्च देशों की तुलना में अधिक है। समुद्र के बीच छोटा-सा टापू है, जहाँ प्राकृतिक साधन बहुत कम हैं। आए दिन भूकंप आते रहते हैं, जिससे वहाँ के निवासी उनके झटकों का ध्यान रखते हुए लकड़ी के बने हलके मकानों में गुजारा करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों का देश समृद्धि की चोटी पर पहुँच गया, इसका एक ही कारण है, घर-घर में गृह उद्योगों का प्रसार। जापान में एक भी घर नहीं, जहाँ कोई व्यक्ति खाली बैठा रहता हो। वयस्क पुरुष कल-कारखानों में काम करने जाते हैं और घर पर रहने वाले अन्य व्यक्ति, चाहे वे स्त्रियाँ हों या बालक और बूढ़े कुछ गृह उद्योग चलाते रहते हैं। वहाँ पर छोटी-छोटी मशीनें लगी हैं, जिनके सहारे घर पर रहने वाले लोग अपनी सामर्थ्य और सुविधानुसार कुछ न कुछ कमाते रहते हैं। यह कमाई मिल-जुलकर इतनी हो जाती है कि कारखानों में काम करने वाले वयस्कों की तुलना में कुछ अधिक ही पड़ती है।

इससे कई लाभ होते हैं। बेकारी के समय में निरर्थक विचार और अवांछनीय कार्य करने की जो दुष्प्रवृत्ति पनपती है, उसके लिए कोई अवसर नहीं रहता। हर व्यक्ति की कुशलता और क्षमता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और उत्पादन की वृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान मिलता है। कहना न होगा कि पैसे की सुविधा रहने से स्वास्थ्य, शिक्षा, विनोद, पुण्य-परमार्थ आदि अनेक दिशाओं में प्रगति कर सकना संभव होता है। दरिद्र व्यक्ति को तो पग-पग पर मन मारकर बैठना पड़ता है और उसकी प्रगति के सभी द्वार अवरुद्ध बने पड़े रहते हैं।

अपने देश का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ काम करना बुरा और आराम से बैठे रहना अच्छा माना जाता है। जिन्हें काम नहीं करना पड़ता, वे अपने को भाग्यवान मानते हैं। पुरुष अपने घर की स्त्रियों को काम नहीं करने

देते, करती हैं तो वे अपनी बेइज्जती समझते हैं, वे बड़े आदमी माने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करते ही हर युवक अपने बाप-दादे के धंधे कृषि व्यवस्था में परिश्रम लगता देखकर जी चुराने लगता है और क्लर्क बनकर किसी दफ्तर में मेज कुर्सी की आराम तलबी ढूँढ़ता है। गाँवों में श्रम के अभाव से खेती मुरझाई पड़ी है और शहरों में मुदरसी तथा मुहर्रिरी के लिए पोस्ट-ग्रेजुएटों की लंबी कतारें इधर से उधर दुत्कार खाती मारी-मारी फिरा करती हैं। श्रम के प्रति अरुचि अपने देश के दुर्भाग्य और दारिद्र्य का प्रधान कारण है। संपन्न देश के नागरिकों ने बड़ी मशक्कत करके दौलत कमाई है। एक हम हैं, जो लाटरी, सट्टा, ब्याज तथा चोर-चांडाली की रीति-नीति अपना कर मालदारी के सपने देखते रहते हैं। समय आ गया है कि हम अपनी गतिविधियों को बदलें और यह सोचना आरंभ करें कि श्रमशीलता मनुष्य का गौरव है।

बलदेव प्रसाद नामक एक व्यक्ति एक साधु के पास गए और कहा- महात्मन् ! कोई आशीर्वाद दो कि आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले। मैं तो पढ़ा-लिखा भी नहीं हूँ। साधु विचारशील थे, लोगों को भ्रमित करने वाले नहीं। बोले-बेटा ! धन कमाना है तो यह आवश्यक नहीं कि तुम शिक्षित ही हो। जाओ परिश्रम पूर्वक उद्योग करो उसी से धन मिलेगा, लेकिन मेरे पास पूँजी नहीं है, बलदेव प्रसाद ने कहा। उद्योग पाँच रुपए से ही आरंभ किया जा सकता है, आवश्यक नहीं कि उसके लिए लाख रुपए ही हों। बलदेव प्रसाद ने पच्चीस रुपए में अपने बर्तन दिल्ली में गिरवी रखकर उद्योग प्रारंभ किया और दुनियाँ के सबसे बड़े धनपति हो गए। बलदेव प्रसाद बिरला-बिरलाओं के पितामह।

‘आराम हराम है’-की उक्ति हमें आज की आर्थिक दुर्दशा से उबारने में पतवार का काम कर सकती है। दरिद्रता और अभावग्रस्तता को दूर करने के लिए कठोर उत्पादक श्रम में अधिकाधिक तत्परता प्रकट करना ही एक मात्र उपाय है, जिससे सभ्यता-संपन्नता के साथ-साथ सद्गुणों की अभिवृद्धि भी संभव है। जो मेहनत से कमाता है, वही खसका सदुपयोग भी करता है। हराम की कमाई तो ऐसे ही व्यसन-व्यभिचार में तथा रोग-शोक की परिस्थिति उत्पन्न करने में खर्च होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिरता भी उत्पादक श्रम पर निर्भर है।

शिक्षित नारी अपनी शिक्षा का लाभ समाज को देने के साथ समय बचाकर उपार्जन भी कर सकती है। अध्यापन जैसी नौकरी कर लेने में तनिक भी हर्ज नहीं। शिशु-शिक्षण, महिला शिक्षण की स्वतंत्र पाठशालाएँ भी वे आसानी से चला सकती हैं। भोजन, गृह-व्यवस्था से बहुत सारा समय उपार्जन के कामों के लिए बचाया जा सकता है। घर की दूसरी महिलाएँ कुछ समय उनके बच्चे संभाल लिया करें तो बच्चों वाली शिक्षित महिलाएँ अपने बच्चे समय में भी कई तरह से काम कर सकती हैं। सिलाई या टाइप राइटिंग यदि आता हो तो घर पर भी उन्हें किया जा सकता है।

गृह-उद्योग शिक्षित और अशिक्षित सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कढ़ाई, बुनाई, जरी का काम, कंठी-माला बनाना, रेडीमेड कपड़े सीना जैसे काम घरेलू उद्योगों की तरह कितनी ही जगह होते हैं और उनसे महिलाएँ कुछ न कुछ उपार्जन करती रह सकती हैं। गाँधीजी ने भारत की स्थिति के अनुसार चर्खा कातने का गृह-उद्योग प्रस्तुत किया था, यदि उसे अपना लिया गया होता तो देहाती क्षेत्रों में उपार्जन और बचत का वह सुंदर समन्वय बड़ा उपयोगी सिद्ध होता।

शिक्षा की वृद्धि के साथ-साथ पढ़े-लिखे लोगों के बेकारी का प्रश्न भी टेढ़ा होता चला जाता है। अब हर शिक्षित को नौकरी मिलना मुश्किल है। पैतृक व्यवसाय में सब बच्चों की खपत और गुजर कर सकना भी कठिन है। ऐसी दशा में गृह उद्योगों पर ही ध्यान केंद्रित होता है। जापान की तरह अपना गरीब देश भी घरेलू कला कौशल को अपना कर आजीविका के नए स्रोत उत्पन्न कर सकता है। इस संदर्भ में विचारशील लोगों को अधिक ध्यान देना चाहिए और छोटी पूँजी तथा स्वल्प प्रयत्नों से चल सकने वाले कुटीर उद्योगों को संगठित करना चाहिए और उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए तंत्र खड़े करने चाहिए।

एक दिन किसान की सेवा से प्रसन्न होकर एक तांत्रिक ने उसे एक ताबीज देकर कहा-बेटा ! इससे जो कुछ भी माँगोगे वही देगा, पर एक बार ही देगा, इसलिए पहले तो तुम उद्यम और उद्योग करना, जब बहुत गाढ़ा समय हो तभी उसका उपयोग करना। किसान ताबीज लिए घर लौट रहा था कि उसकी भेंट एक स्वर्णकार से हो गई। स्वर्णकार ने

धोखे से ताबीज खुद ले ली और किसान को दूसरी दे दी। रात में स्वर्णकार ने ताबीज आँगन में रख कर कहा-“सोना-चाँदी की वर्षा हो।” सोने-चाँदी की इतनी वर्षा हुई कि सुनार उसमें दब कर मर गया, उधर गरीब किसान ने तांत्रिक की बात मानकर उद्योग किया, उसी में मालामाल हो गया।

मथुरा में युग निर्माण विद्यालय ऐसी ही एक अच्छी शुरूआत है। यहाँ रेडियो-ट्रांजिस्टर बनाना तथा सुधारना, बिजली फिटिंग तथा बिजली से चलने वाले पंखे, हीटर, लाउडस्पीकर आदि की मरम्मत, साबुन, फिनायल, स्याही, सुगंधित तेल आदि का निर्माण, प्रेस का संपूर्ण शिक्षण, रबड़ की मुहरें, जिल्दसाजी जैसे अनेक उद्योग सिखाए जाते हैं। एक वर्ष में इनमें से कितने उद्योग सीखे जा सकते हैं।

विद्यालय में जीवन जीने की कला तथा नव-निर्माण के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण रचनात्मक कार्य कर सकने की क्षमता भी छात्रों में विकसित की जाती है। जिस प्रकार उपरोक्त विद्यालय, मथुरा में खोला गया है, उसी तरह अनेक विद्यालय गाँव-गाँव में खुल जाएँ, सामान तैयार कराने और बेचने के लिए समितियाँ गठित हों या कोई व्यक्ति विशेष इस कार्य को अपने कंधों पर उठाएँ तो बेकारी की समस्या का समाधान हो, आर्थिक प्रगति के सूत्र मिलें और मुरझाए चेहरों को ताजगी का एक नया आधार मिले।

जहाँ अपने देश में गृह उद्योगों के शिक्षण, संगठन और विक्रय केंद्रों के संचालन की आवश्यकता है, वहाँ यह भी बहुत जरूरी है कि सर्वसाधारण के मन में श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाए। दरिद्रता दूर करने के लिए प्रयत्न करने, मनुष्यों के जीवन-स्तर उठाने एवं सद्गुणों के अभिवर्धन की दृष्टि से यह एक उपयोगी एवं आवश्यक कार्य है। यदि सर्वसाधारण की मनोभूमि में श्रम की उपयोगिता समा सके, तो क्या गरीब क्या अमीर सभी हरामखोरी से बचने का रास्ता ढूँढ़ लें। सरकार लघु उद्योगों को संरक्षण दे, जनता श्रम में रुचि ले और उत्पादन को खपाने के लिए तंत्र खड़े हों, तो हमारी आर्थिक दशा सुधरे तथा हमारी प्रगति की दिशा में एक नया द्वार खुल जाए।

१. आर्थिक कठिनाई हम क्यों उठा रहे हैं ?
२. आर्थिक कठिनाई की समस्या को हल करने के लिए क्या करना होगा ?
३. 'जापान' के आधार पर समझाएँ कि उन्नति किस प्रकार की जा सकती है ?
४. जापान की तरह नीति अपनाने पर हमें क्या लाभ हो सकते हैं ?
५. हमारे देश में 'बेकारी की समस्या' फैलने के क्या कारण हैं ?
६. "आराम हराम है" यह उक्ति हमें किस प्रकार आर्थिक दुर्दशा से उबरने के लिए पतवार का काम कर सकती है ?
७. शिक्षित नारी भी किस विधि से आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद दे सकती है ?
८. शिक्षित युवकों की बेकारी की समस्या किस प्रकार हल की जा सकती है ?
९. युग निर्माण विद्यालय किस प्रकार व्यक्ति को रोजगार, आर्थिक उन्नति प्राप्त करने में सहयोगी है ?
१०. सरकार, जनता तथा पूँजीपति इसमें कहाँ तक सहयोग दे सकते हैं ?



ऊँच-नीच की मान्यता का अन्याय

पेशवा की सेना की ओर धुआँ उड़ता देखकर तैमूर लंग ने पूछा-यह क्या हो रहा है ? खुफिया अफसरों ने बताया हिन्दू एक-दूसरे का छुआ भोजन नहीं खाते, इसीलिए सब अपना-अपना अलग-अलग भोजन पका रहे हैं, उसी का धुआँ है। तैमूर ने कहा-जो जाति इस तरह विभक्त हो, उसे जीतना क्या कठिन है ? उसी समय हमला बोल दिया और पेशवा की सेना जीत ली गई।

घोड़ा, गाय, बंदर, कबूतर आदि पशु-पक्षियों की तरह मनुष्य की भी एक जाति है। उसके रंग, आकृति में प्रदेश और प्रकृति के कारण कुछ अंतर भी हो सकता है, पर मूलतः वे एक ही वर्ग या जाति के गिने जाते रहेंगे। यदि भाषा, प्रदेश, आकृति-प्रकृति आदि के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया जाए तो भी उससे मूल जातीय एकता में कोई अंतर नहीं आता। मनुष्य भगवान का पुत्र है। पिता को अपने हर बच्चे से समान प्यार होता है और वे सभी बच्चे एक वंश वर्ग के माने जाते हैं। परस्पर भाई-भाई एक ही परिवार एवं अंश-वंश के हैं।

प्राचीन काल में कार्य और व्यवसाय के विभाजन की दृष्टि से समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों में बाँटा गया था। वह विभाजन स्वाभाविक है। इस विभाजन से स्वाभाविक सुविधा रहती है और वंश परंपरा से चली आने वाली कुशलता में अक्षुण्णता एवं अभिवृद्धि होती चलती है। योग्यता, प्रकृति, परिस्थिति एवं अभिरुचि के अनुसार इस कार्य विभाजन में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, पर कठिनाई तब उत्पन्न होती है, जब वंश या कार्य के कारण किसी वर्ग को ऊँच और किसी को नीच बताया जाने लगे। अध्यापक अपने को ऊँच कहे और सैनिक नीचा माना जाए। इतना ही नहीं, इस विभेद के कारण कोई किसी को छूने तथा हाथ से छुआ पानी पीने, रोटी खाने तक से इन्कार करने लगे, तब आश्चर्य होता है और कठिनाई उत्पन्न होती है।

दुष्टता भरे दुष्कर्म करने वाले को नीच कहा जाए और उनके सामाजिक बहिष्कार का क्रम बनाया जाए तो बात समझ में आती है।

ज्ञान, सेवा, सद्गुण, सदाचरण के आधार पर किसी को बड़ा, ऊँचा माना जाए और सम्मानित किया जाए, इसके पीछे भी कारण है। सम्मान और असम्मान की स्थिति किसी को अपनी चारित्रिक उत्कृष्टता के आधार पर मिले तो इसमें औचित्य माना जाएगा, पर गुण-कर्म-स्वभाव की समानता होते हुए भी केवल वंश के आधार पर कुछ लोग ऊँचे समझे जाएँ और कुछ को नीचा कहा जाए, यह बात किसी तर्क या कारण की परख पर उचित नहीं उतरती। कोई वंश ऊँचा क्यों हो सकता है ? कोई वंश नीचा क्यों कहलाए ? इसका न कोई कारण समझ में आता है और न इस प्रतिपादन का कोई औचित्य ही सिद्ध होता है।

किसी वंश में किसी समय कुछ श्रेष्ठ पुरुष हुए थे, इसलिए उस वंश के लोगों को अभी भी श्रेष्ठ पुरुषों जैसा सम्मान मिले, यह दावा बेबुनियाद है। ब्राह्मण वंश में वशिष्ठ, अत्रि, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज आदि ऋषि मुनि तपस्वी त्यागी हुए हैं, तो रावण, कुंभकरण, मारीच, खरदूषण जैसे दुष्ट भी हुए हैं। उत्तराधिकारी का दावा किया जाए तो उसमें श्रेष्ठता ही नहीं, निकृष्टता भी हिस्से में आएगी। तब सम्मान ही नहीं तिरस्कार का भाजन भी बनना पड़ेगा। किसी वंश में न तो सभी अच्छे हुए हैं, न बुरे। सबको उनकी उत्कृष्टता-निकृष्टता के अनुरूप मान, तिरस्कार मिलता रहा है। उत्कृष्टता किसी वंश की बपौती नहीं। हर वर्ग में श्रेष्ठ व्यक्ति होते रहे हैं। इसी प्रकार कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसमें निकृष्ट चरित्र के पूर्व पुरुषों की एक लंबी शृंखला न मिल सके। फिर उनके वंशजों का दावा केवल उत्कृष्टता पर ही हो और वे उसी आधार पर अपने को ऊँचा घोषित करें और ऊँचे लोगों को मिलने वाले सम्मान को प्राप्त करना चाहें तो यह उनकी अनधिकार चेष्टा होगी। इसी प्रकार किसी वंश के किन्हीं पूर्व पुरुषों ने कुछ अनुपयुक्त कार्य किए हों और उस कारण उन्हें तिरस्कार मिला हो तो उन दोषों से रहित वंशजों का इस कारण तिरस्कृत किया जाना भी अन्याययुक्त है।

जाति-पाँति की बात समझ में आ सकती है, पर ऊँच-नीच का विभेद सर्वथा अवाँछनीय है। कोई ईमानदार और समझदार व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता। भारतीय धर्मशास्त्र इस मान्यता का सर्वथा विरोधी है। यहाँ अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण शूद्र-वंश के अगणित व्यक्ति ब्राह्मण पद पाते रहे हैं। इन प्रमाणों से भारतीय इतिहास में पुराणों का

पन्ना-पन्ना भरा पड़ा है। मध्यकाल में भी रैदास, कबीर, नानक, दादू, नामदेव, विवेकानंद आदि अनेक भक्त ब्राह्मणोत्तर जातियों में कितने ही तो शूद्र-वर्ण में पैदा हुए, पर उनकी गरिमा किसी ब्राह्मण से कम नहीं आँकी गई। गाँधी, बुद्ध, महावीर भी तो ब्राह्मण नहीं थे। राम और कृष्ण क्षत्रिय थे, पर उनकी पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। श्रेष्ठता को जातीयता की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता।

किसी ने विनोबा जी से पूछा-आप महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं-कोंकणस्थ या देशस्थ ? उन्होंने कहा-मैं देश में रहता हूँ, इसलिए देशस्थ हूँ, काया में रहता हूँ, इसलिए कायस्थ हूँ और सबसे अधिकतम मैं स्वस्थ हूँ, जो कि किसी धर्म, जाति और देश से संबंध नहीं रखता। वे सज्जन अपनी जाति-पाँति मूलक संकीर्णता पर बहुत लज्जित हुए।

आज अपने देश की विचित्र दशा है। हिंदू-समाज की एक तिहाई जनसंख्या अछूत, अस्पृश्य कहलाती है। उन्हें सवर्ण हिंदुओं के समान नागरिक अधिकार अभी भी नहीं मिले हैं। संविधान ने अस्पृश्यता को अवांछनीय और कानून ने उसे दंडनीय माना है। जनमत का विवेक ऊँच-नीच की मान्यता को अनर्गल घोषित कर चुका है, पर अभी भी हमारे मस्तिष्क और व्यवहार में वे ही मान्यताएँ जमी बैठी हैं। यह विष इतना गहरा उतर गया है कि एक जाति के लोग अपनी उपजातियों को नीच-ऊँच मानते हैं।

बहुत सोचने पर भी इस ऊँच-नीच की मान्यता का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। शास्त्रों और पूर्व पुरुषों की दुहाई व्यर्थ है। अंधकार युग में किसी ने कोई श्लोक गढ़कर किसी ग्रंथ में चिपका दिया हो तो बात दूसरी है, पर महान् हिंदू धर्म इतना अनुदार और संकीर्ण हो नहीं सकता कि वह मनुष्य-मनुष्य के बीच पड़ने वाली घृणा-द्वेष को बढ़ाकर सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न करने वाली खाई खोदे। हमने बारीकी से हिंदू धर्म का अध्ययन किया है और उसमें इस बात की कहीं गंध भी नहीं पाई है कि केवल वंश परंपरा के कारण किसी को नीच, किसी को ऊँच माना जाए। फिर यह मान्यता कहाँ से चल पड़ी ?

वर्ण भेद की अनुदार और संकीर्ण विचारधारा की संपूर्ण विश्व में भर्त्सना हो रही है। अमेरिका की तरह काले गोरे रंग के आधार पर ऊँच-

नीच की भावना जहाँ-तहाँ पाई जाती है, उसको विश्व के लोकमत ने एक स्वर से धिक्कारा है। अफ्रीका की जो गोरी सरकारें इस नीति पर चल रहीं हैं, उनकी राष्ट्र-संघ तक ने भर्त्सना की है और इस चाल से बाज आने की चेतावनी दी है। महात्मा गाँधी ने इसके विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जहाँ कहीं यह नीति बरती जाती है, जो भी इसका प्रतिपादन करता है, वह विवेकशील लोकमत के आगे अपराधी ठहरता है। न्याय और विवेक की कसौटी पर मनुष्य-मनुष्य के बीच ऊँच-नीच की मान्यता का समर्थन करना, मानवता के प्रति एक अपराध ही माना जाता रहेगा।

गाँधी जी के आश्रम में दो साधु आए और गाँधी जी से बोले- हमें कोई सेवा कार्य दो। गाँधी जी ने रात को अतिथिशाला में विश्राम करने को कह दिया। प्रातःकाल होते ही बुहारी और बाल्टी लेकर पहुँचे और बोले-यह लो आज प्रसाधन आप लोग साफ करें। साधु बोले-यह क्या कहते हैं, यह तो हरिजन का काम है। गाँधी जी बोले-हाँ ! जो छोटे से छोटा काम करता हो, वही सच्चा सेवक भगवान् का भक्त है। साधु चुपचाप खिसक गए। उस दिन की सफाई बापू ने स्वयं की।

इस मान्यता ने हिंदू समाज की अपार क्षति की है। अछूत वर्ग इस तिरस्कृत सामाजिक स्थिति को स्वीकार न करेगा, यह निश्चित है। जैसे-जैसे उनमें चेतना उभरेगी वे इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह करेंगे। यह विद्रोह पिछले पचास वर्ष से दिन-दिन उग्र होता चला जा रहा है। मुसलमानी शासन में अगणित अछूत मुसलमान बने, ईसाई शासन में उनका झुकाव ईसाई धर्म की ओर हुआ। अब वे अपनी स्वतंत्र चेतना के उभार पर बौद्ध और ईसाइ इतनी तेजी से होते चले जाते हैं कि यह आशंका होती है कि कुछ दिन में एक भी अछूत वर्तमान मान्यताओं वाले हिंदू समाज में न रह सकेगा। मद्रास में यह विद्रोह शासन-सत्ता तक अपने हाथ में ले चुका है। नागालैंड का ईसाईस्तान इसी भूल की प्रतिक्रिया है। इन दिनों जिस प्रकार के राजनैतिक षड्यंत्र चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए असंभव नहीं कि अछूत सवर्ण हिन्दुओं से अलग होकर ईसाई या मुसलमानों से जा मिलें और बहुमत उनका हो जाए। ऐसी दशा में सवर्ण हिंदुओं को सामाजिक अन्याय का कैसा कठोर प्रायश्चित्त करना

पड़ेगा, उसका अनुमान लगा सकना किसी भी दूरदर्शी के लिए कठिन नहीं होना चाहिए।

वर्तमान ऊँच-नीच परक वंश-जाति की मान्यताएँ हिंदू समाज की न्याय-निष्ठा पर भारी कलंक लगाती हैं। इससे विश्व के हर विचारशील वर्ग में हमारी अप्रतिष्ठा होती है। हमें संकीर्ण, अनुदार और अन्यायी कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से हम छिन्न-भिन्न, विभाजित और अस्त-व्यस्त होते हैं। अन्याय का दोष लगाकर अपना ही एक तिहाई वर्ग अपने से अलग हो जाए, यह हमारे लिए हर दृष्टि से लज्जा की बात है। बात यहीं तक सीमित नहीं, हमारी अनीति से क्षुब्ध होकर दूसरे धर्मों में गए हुए अपने लोग अगले दिनों प्रतिशोध की भावना से ओत-प्रोत होंगे और हमें अपनी करतूतों का दंड कराह-कराह कर भुगतना पड़ेगा।

अच्छा हो हम समय रहते चेतें। अपनी भूल सुधारें और मानव मात्र की एकता एवं समता के सार्वभौम न्याय सिद्धांत को स्वीकार करें। ऊँच-नीच की मान्यताओं का जितना शीघ्र उन्मूलन हो उतना ही हमारा कल्याण है।

प्रश्न

1. सिद्ध कीजिए कि “मनुष्य मात्र की जाति एक है।”
2. प्राचीनकाल में समाज को कितने वर्ग में बाँटा गया था व क्यों ?
3. ऊँच-नीच का आधार गुण होना चाहिए या वंश ?
4. क्या पूर्वजों के कारनामों के कारण उनके वंशजों को ऊँच या नीच माना जाना चाहिए ?
5. आज भारतीय समाज की विचित्र दशा क्यों है ? क्या प्राचीनकाल में जाति भेद था ?
6. वर्णभेद की संकीर्ण नीति से देश का क्या अहित हुआ है ?
7. हिंदू समाज की संख्या निरंतर कम होने का क्या कारण है ?
8. हिंदू समाज को संकीर्ण, अनुदार एवं अन्यायी क्यों कहा जाता है ?
9. ऊँच-नीच के मामलों में हमारा कर्तव्य क्या है ?



अनीति-असुरता के अन्याय को रोकें

अनीति इसलिए बढ़ती है कि उसे रोका नहीं जाता। निर्बाध गति से जिसे रास्ता मिलेगा, वह आगे ही बढ़ता जाएगा। अच्छाई हो या बुराई सब की एक ही रीति है। अवरोध उन्हें रोकते हैं और निर्बाध निष्कण्टक मार्ग मिले तो वे निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। हमें प्रगति के लिए, उपार्जन और उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आक्रमणकारी शक्तियाँ अपना अनिष्ट न करने लगे। उपार्जन की तरह सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान न दिया गया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा।

समुद्र टिटहरी के अंडे बहा ले गया। इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। दोनों पति-पत्नी रेत भर-भर कर समुद्र में डालने लगे। महर्षि अगस्त्य ने पूछा-टिटहरी तुम रेत से समुद्र को नहीं पाट सकतीं ? टिटहरी बोली-न पटे न सही, परंतु अन्याय के प्रतिकार की परंपरा को नष्ट नहीं होने दूँगी। अगस्त्य का मन भर आया और वे सहायता के लिए उद्यत हो गए। अपने तपोबल से समुद्र को तीन चुल्लू में पी गए। अनीति के विरुद्ध छोटे लोग खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें चमत्कारी शक्तियों का सहयोग मिले बिना नहीं रहता।

भगवान की इस दुनियाँ में पुण्य और सहयोग बहुत है। वह न होता तो यहाँ जीवित रहना असंभव हो जाता, पर साथ ही साथ और अन्याय भी कम नहीं हैं। यह इसलिए है कि हम सतर्क और संघर्षशील रहें। यह दोनों ही गुण मानवीय प्रगति के लिए अति आवश्यक हैं। जो सतर्क नहीं, सावधान नहीं, लापरवाही बरतता है, वह जरूर किसी आक्रमण का शिकार होगा और घाटा उठाएगा। जो अपने बचाव और सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता, वह दुष्टता के आक्रमण का शिकार बनेगा। प्रकृति चाहती है कि हर व्यक्ति सजग और सतर्क रहे। सावधानी बरते और घात-प्रतिघात से कैसे बचा जाता है, इस कला की जानकारी प्राप्त करे। सज्जन होना उचित है, पर मूर्ख होना अक्षम्य है। हम दूसरे की सेवा-सहायता विवेकपूर्वक करें तो यह ठीक

है, पर कोई मूर्ख अथवा कमजोर समझकर अपनी घात चलाए और ठग ले जाए, यह अनुचित है।

हमें किसी के साथ अनीति नहीं करनी चाहिए, पर अनीति का शिकार भी नहीं होना चाहिए। ठगना बुरी बात है, पर ठगाना उससे कम बुरा नहीं है। ठगी वहीं होगी जहाँ बेबकूफी और लालच की मात्रा बढ़ी-चढ़ी होगी। हमला उसी पर किया जाएगा जिसने अपना स्वरूप दूसरों की आँखों में दुर्बल जैसा बना दिया होगा। अनेक पापों में शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता भी एक भयंकर वर्ग के पातक हैं, हमें इनसे बचने के लिए अपना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास इस तरह करना चाहिए कि किसी को अपनी दुर्बलता अनुभव न होने लगे और कोई अपनी कमजोरी भाँप कर आक्रमण की घात न लगाने लगे।

अकबर ने राणा प्रताप को संदेश भेजा कि यदि आप हमसे शत्रुता छोड़ दें और संधि कर लें, तो आपको यों जंगल-जंगल भटकना न पड़े। आप जो भी राज्य चाहें हम दे सकते हैं।

अकबर के प्रलोभन को टुकराते हुए महाराणा प्रताप ने लिखा-अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जंगल-जंगल भटकना तो क्या प्राण भी देना पड़े तो भी स्वीकार है, पर किसी प्रलोभन के आगे झुकना स्वीकार नहीं।

मित्रों के रूप में शत्रुता करना इस युग का नया फैशन है। पुराने जमाने के लोग आमने-सामने की लड़ाई पसंद करते थे और जिससे लड़ना होता था उससे खुले मैदान दो-दो हाथ करते थे। अब नए जमाने में दूसरे तरीके काम में लाए जाते हैं। अब जिसे पछाड़ना होता है, पहले उसका मित्र बना जाता है, घनिष्ठता बढ़ाई जाती है, विश्वासपात्र बना जाता है और जब यह स्थिति आ जाए कि अब पूरा भरोसा किया जाने लगा, तभी ऐसी घात चलाई जाती है कि बेचारा विश्वासी बुरी तरह मारा जाए। इस घात-प्रतिघात की आक्रमणकारी रीति-नीति से हर किसी को सजग रहना चाहिए। भोलापन और भलमनसाहत बहुत ही प्रशंसनीय गुण हैं, पर अति हर चीज की बुरी होती है। हमें इस सीमा तक भोला नहीं बनना चाहिए कि चारों ओर जाल बिछाकर बैठे हुए बहेलिए अपना उल्लू सीधा करने और हमें बरबाद करने में सफल हो जाएँ। शत्रुओं से हमें सजग रहना चाहिए और मित्रों से सावधान। इन दिनों शत्रुता में जितना

खतरा है, मित्रता में उससे सैकड़ों गुने खतरे की संभावना समाई हुई है। दूसरों की नीयत पर अविश्वास करना बुरी बात है, पर उससे भी बुरा यह है कि बिना पूरी तरह जाँच-पड़ताल किए यों ही किसी पर भरोसा कर बैठा जाए। धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, पर धोखा खाना कहाँ की बुद्धिमानी है। हमें हर किसी पर पूरा विश्वास करना चाहिए, साथ ही पैनी निगाह से ग्रह देखते रहना चाहिए कि कहीं असावधानी से वह अवसर तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसमें दुर्बल मन मनुष्य का अविश्वासी बन जाना संभव है।

काला काँकर के राजा रामपाल सिंह ने "हिंदुस्तान" नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। उसके लिए ढाई सौ रुपए जो इस समय के पच्चीस हजार के बराबर थे, वेतन देकर राजा साहब ने मालवीय जी को नियुक्त किया। राजा साहब शराब पीते थे, इस कारण पहले तो श्री मालवीय जी तैयार नहीं हो रहे थे, पर जब राजा साहब ने वचन दिए कि वे उनसे कभी भी मिलेंगे, बिना शराब पिए ही मिलेंगे। एक दिन भूल से राजा साहब शराब पिए ही उनके पास जा पहुँचे। मालवीय ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया और हजार आग्रह करने पर भी दुबारा काम नहीं किया।

हमारी असावधानी ही लोगों को अनुचित लाभ उठाने के लिए ललचाती है। हमारी दुर्बलता ही अनेक आक्रमणकारियों को आमंत्रित करती है। हम दुर्बल न रहें, शरीर से स्वस्थ और समर्थ रहें, मन को आशंका ग्रस्त नहीं, सजगता की सहज बुद्धि से सावधान रखें। विपदाओं से बचना उचित है, पर जब वे सामने आ ही जाएँ, तो इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि बहादुर योद्धा की तरह बिना घबड़ाए धैर्य, साहस, विवेक और पुरुषार्थ के साथ उनसे निबटने और कट-कट कर लड़ने में कोई कठिनाई प्रतीत न हो। हमें मित्रवान होना चाहिए। सच्चे और झूठे मित्रों की परख सीखनी चाहिए। चरित्रवान और आदर्शवादी व्यक्ति ही सच्चे मित्र हो सकते हैं। चापलूस, चालाक और चरित्रहीन व्यक्ति वक्त पर धोखा देते हैं। इसलिए अपनी घनिष्टता ऐसे लोगों से बढ़ानी चाहिए जिनमें सज्जनता एवं समर्थता की कमी न हो। ऐसी मैत्री भी एक शक्ति है, जिसके सहारे इस अनीति भरी दुनियाँ में अपनी सुरक्षा की किलेबंदी की जा सकती है।

गुरु गोविंदसिंह का १५ वर्षीय पुत्र अजीत युद्ध करते समय काम आ गया, तो गुरु गोविंदसिंह ने द्वितीय पुत्र जुझारसिंह को बुलाकर युद्ध की आज्ञा दी। पुत्र ने कहा-प्यास लगी है, पानी पी लूँ, तब युद्ध में जाऊँगा। इस पर गुरु गोविंदसिंह बोले-अनीति और अत्याचार की आग सुलग रही हो, तो उसे बुझाने की आवश्यकता सर्वोपरि होती है। पुत्र ने पानी नहीं पिया, युद्ध के लिए चल पड़ा और भाई का बदला लेते हुए मारा गया।

कोमल और सौम्य तत्त्वों को इशारे से समझाकर विवेक एवं तर्क द्वारा औचित्य सुझाकर सन्मार्गगामी बनाया जा सकता है, पर कठोर और दुष्ट तत्त्वों को बदलने के लिए लोहे को आग में तपा कर पिटाई करने वाली लुहार की नीति ही अपनानी पड़ती है। दुर्योधन को समझाने-बुझाने में जब श्री कृष्ण जी सफल न हो सके तब उसे अर्जुन के वाणों द्वारा रास्ते पर लाने का प्रबंध करना पड़ा। हिंसक पशु नम्रता और औचित्य की भाषा नहीं समझते, उन्हें तो शस्त्र ही काबू में ला सकते हैं। भगवान को बार-बार धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ता है, साथ ही असुरता के उन्मूलन का रुद्र कृत्य भी करना पड़ता है।

व्यक्तिगत जीवन में देवशक्ति का अवतरण निस्संदेह एक सृजनात्मक कृत्य है, उसके लिए सद्गुणों के अभिवर्धन की साधना निरंतर करनी पड़ती है, पर साथ ही अंतरंग में छिपे हुए दोष दुर्गुणों से जूझना भी पड़ता है। यदि इन कुसंस्कारों का उन्मूलन न किया जाए तो सद्गुण पनप ही न सकेंगे और शक्ति इन कषाय-कल्मषों में ही नष्ट होती रहेगी। आलस्य, प्रमाद, आवेश, असंयम आदि दुर्गुणों के विरुद्ध कड़ा मोर्चा खड़ा करना पड़ता है और पग-पग पर उनसे जूझने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। गीता का रहस्यवाद अंतरंग के इन्हीं शत्रुओं को कौरव मानकर अर्जुन रूपी जीव को इन से लड़ मरने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसने अपने से लड़कर विजय पाई, वस्तुतः उसे ही सच्चा विजेता कहा जाएगा।

रविंद्रनाथ टैगोर की विद्वत्ता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें 'सर' की उपाधि दी। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन की हवा चल रही थी। अतएव अंग्रेज सरकार एक प्रभावशाली व्यक्ति को अपने पक्ष में करना चाहती थी, किंतु टैगोर ने यह कह कर कि जब हमारे देश के साथ अनीति बरती जा रही हो, मेरा यह उपाधि ग्रहण कर सकना असंभव है।

उन्होंने उस सम्मान को ठुकरा दिया जिसे हजारों लोग पैसा देकर प्राप्त करने को लालायित थे।

सामूहिक जीवन में समय-समय पर अनेक अनाचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हें रोकने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर प्रबल प्रयत्न करने पड़ते हैं। पुलिस, जेल, अदालत, कानून, सेना आदि के माध्यम से सरकारी दंड संहिता अनाचार को रोकने का यथा संभव प्रयत्न करती है। जनस्तर पर भी अवाँछनीय और असामाजिक तत्त्वों का प्रतिरोध अवश्य होता है। यदि यह रोकथाम न हो, उद्दंडता और दुष्टता का प्रतिरोध न किया जाए तो वह देखते-देखते आकाश-पाताल तक चढ़ दौड़े और अपने सर्वभक्षी मुख में शालीनता और शांति को देखते-देखते निगल जाए।

एक स्त्री अपने बच्चे को पीट रही थी। पड़ोस के एक आदमी ने जाकर रोका, तो स्त्री बोली-इसने मंदिर में चढ़ाती के पैसे चुराए हैं। लड़का रोते-रोते बोला-मैंने तो एक ही दिन पैसे चुराए, यह तो रोज दूध में पानी मिलाकर बेचती है। आदमी हँसा और बोला-स्वयं अनीति पर चलकर दूसरों को सदाचारी बनाने की बात सोचने से यही होता है।

अगले दिनों इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में संव्याप्त अगणित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक परिमाण में संघर्ष आरंभ किया जाए। इसलिए हर नागरिक को अनाचार के विरुद्ध आरंभ किए गए धर्म-युद्ध में भाग लेने के लिए आह्वान करना होगा। किसी समय तलवार चलाने वाले और सिर काटने में अग्रणी लोगों को योद्धा कहा जाता था, अब मापदंड बदल गया है। चारों ओर संव्याप्त आतंक और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष में जो जितना साहस दिखा सके और चोट खा सके, उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना जाएगा। उस बहादुरी के ऊपर ही शोषण-विहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। दुर्बुद्धि से, कुत्सा और कुंठा से लड़ सकने में जो लोग समर्थ होंगे, उन्हीं का पुरुषार्थ पीड़ित मानवता को ऋण दे सकने का यश संचित कर सकेगा।

सीता की करुण पुकार सुनते ही जटायु बाहर निकल आया और महाबली रावण पर आक्रमण कर दिया। रावण ने तलवार से उसके पंख काटते हुए कहा-तुच्छ गिद्ध ! रावण से टकराने का परिणाम क्या होता है, ले भुगत।

धाराशायु जटायु ने कहा-दुष्ट रावण ! मरना तो मुझे था ही, कल नहीं तो आज ही सही, पर याद रख जो भी लोग यह घटना सुनेंगे, छोटे और मेरी तरह कम शक्ति वाले होंगे, तो भी अपनी आँखों के आगे अनीति और अत्याचार होते न देख सकेंगे।

वैयक्तिक दोष-दुर्गुणों से लड़ने और जीवन को स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है, तो वह लड़ाई लड़ी ही जानी चाहिए। परिवार में कुछ सदस्यों को दास-दासी की तरह और कुछ को राजा-रानी की तरह रहने को यदि परंपरा का पालन माना जाता है तो उसे बदल कर ऐसे परिवार स्थापित करने पड़ेंगे जिनमें सबको न्यायानुकूल अधिकार, लाभ तथा श्रम सहयोग करने की व्यवस्था रहे। आर्थिक क्षेत्र में बेईमानी को प्रश्रय न मिले। व्यक्तिगत व्यवहार में छल करने और धोखेबाजी की गुंजायश न रहे। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए प्रबल लोकमत तैयार करना पड़ेगा और अवाँछनीय तत्त्वों के उग्र प्रतिरोध को इतना सक्रिय बनाना पड़ेगा कि अपराध, उद्दंडता और गुंडागर्दी करने की हिम्मत करना, किसी के लिए भी संभव न रहे। हराम की कमाई खाने वाले, भ्रष्टाचारी बेईमान लोगों के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उठानी होगी, जिसके कारण उन्हें सड़क पर चलना और मुँह दिखाना कठिन हो जाए। जिधर से निकलें उधर से ही धिक्कार की आवाजें ही उन्हें सुननी पड़ें। समाज में उनका उठना-बैठना बंद हो जाए और नाई, धोबी, दर्जी कोई उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार न हों।

चलते-चलते शाम हो गई, तो गुरु नानक पास के गाँव में एक निर्धन किसान के यहाँ ठहर गए। उस गाँव के सेठ ने यह सुना कि आज रात्रि को गुरु नानक यहीं विश्राम कर रहे हैं, तो वह भी दर्शन के लिए गया। उस समय नानक भोजन कर रहे थे।

भोजन में सूखी रोटी और दाल थी। ऐसा रूखा-सूखा भोजन करते नानक को देखा, तो उस सेठ को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा-आप ऐसा भोजन क्यों कर रहे हैं ? इस गाँव में तो जो भी कोई संत-महात्मा आता है, वह मेरे यहाँ ही ठहरता है। नानक ने बड़ी शांति से उत्तर दिया-महोदय ! मैं तो श्रम की कमाई का

अमृत खा रहा हूँ। निर्धन व्यक्तियों के शोषण से बने पकवान मुझे पसंद नहीं।

सार्वजनिक संस्थाओं में स्वार्थपरता और नेतागिरी लूटने के लिए जिन दुरात्माओं ने अड़्डा जमा लिया है, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए। धर्म और अध्यात्म का लबादा ओढ़कर जो रंगे सियार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनकी असलियत चौराहे पर नंगी खड़ी कर दी जाए तर्किक लोग उन्हें भरपूर धिक्कारें। भोले लोगों को अनेक हाथों से लुटने से बचाना एक ऊँची और श्रेष्ठ सेवा होती है। ८६ लाख भिखमंगे नाना प्रकार के ढोंग बनाकर जिस तरह ठगी और हरामखोरी करने में जुटे हुए हैं, आखिर उसे कब तक सहन किया जाता रहेगा। स्वच्छ शासन प्रदान करने के लिए राजनैतिक नेताओं, विधायकों, शासकों और अफसरों को यह सोचने के लिए बाध्य किया जाएगा कि वे अपने निजी लाभ के लिए नहीं, लोकमंगल के लिए ही शासनतंत्र का उपयोग करें।

सन् १८८५ पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह के समय प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक को इसलिए नियुक्त किया गया कि वह आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देखकर सभास्थल पर यथास्थान बिठाल सके। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे- चीफ जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे। जैसे ही वह विद्यालय के फाटक पर पहुँचे वैसे ही स्वयं सेवक ने अंदर जाने से रोक दिया और निमंत्रण पत्र की माँग की। “बेटे ! मेरे पास तो कोई निमंत्रण पत्र है नहीं।” रानाडे ने कहा। ‘तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे ?’ स्वयं सेवक ने आपत्ति की। द्वार पर रानाडे को रुका देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें अंदर मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा-श्रीमान जी ! मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएँगे, तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा ? भेदभाव की नीति मुझ से नहीं बरती जाएगी। उस स्वयं सेवक की कर्तव्य निष्ठा, साहस और निर्भीकता से रानाडे बहुत ही प्रभावित हुए। यही छात्र आगे चलकर गोपालकृष्ण गोखले हुआ।

१. अच्छाई हो अथवा बुराई हो वे किस कारण अधिक बढ़ती हैं ?
२. अन्याय और पुण्य दोनों ही किस प्रकार मानवीय प्रगति में बाधक हैं ?
३. यह ठीक है कि हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए, पर क्या यह ठीक है कि हम किसी के द्वारा ठगे जाएँ ?
४. क्या यह ठीक है कि हमें हर किसी पर विश्वास करना ही चाहिए ? नहीं तो क्यों ?
५. इस समय देवत्व से असुरता का, सज्जनता से दुर्जनता का पलड़ा क्यों भारी है ?
६. मित्रों के रूप में शत्रुता करना, इस युग का नया फैशन है। किस तरह ? सिद्ध कीजिए ?
७. हमारी किन दुर्बलताओं के कारण अनीति करने वाले हमें ठग जाते हैं ?
८. अनीति से, ठगी से बचने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए ?
९. क्या अनीति का प्रतिरोध करने से जो हानि होती है, उसके डर से हमें अनीति का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए ?
१०. गीता के रहस्यवाद से क्या समझते हो ? मानव के आंतरिक शत्रु कौन-कौन से हैं ?
११. वर्तमान समाज की प्रगति में कौन-सी कुरीतियाँ आड़े आ रही हैं ?
१२. इस युग में बहादुर किसे माना जाएगा ?
१३. आगामी युग में कैसे परिवारों की स्थापना करनी होगी ?
१४. अवांछनीय तत्त्वों का उग्र प्रतिरोध कैसे किया जाएगा ?
१५. ठगी एवं हरामखोरी को बंद करने के लिए कौन-से कदम उठाए जाएँ ?
१६. संघर्ष की बहुमुखी प्रचंड प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं ?



वोटरोँ की सतर्कता

प्रजातंत्र का मतलब है- जनता का शासन। इस प्रणाली में हर नागरिक को अपने ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर, शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस शासन पद्धति में प्रतिनिधियों की नियुक्ति, निर्वाचन-प्रणाली के अंतर्गत की जाती है और यह चुने हुए लोग ही शासन तंत्र का संचालन करते हैं। इस प्रकार निर्वाचित लोग ही प्रजा की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं हितों के संरक्षक होते हैं। यदि यह निर्वाचन प्रणाली सही हो और प्रजाजनों को अपना प्रतिनिधि चुनते वक्त यह ध्यान हो कि यह कोई खिलवाड़ नहीं, वरन् राष्ट्र का शासन करने के लिए किसी सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने का ऐसा परम पवित्र कर्तव्य पूरा किया जा रहा है, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे, तो निःसंदेह प्रजातंत्र सर्वोत्तम शासन पद्धति सिद्ध हो सकती है।

एक बार वन्य पशुओं ने प्रजातंत्र की स्थापना की। चुनावों की घोषणा हुई। बाकायदा सिंह दल, श्वान दल, शृगाल दल चुनाव दंगल में उतरे और अपने-अपने पक्ष में प्रचार करने लगे। श्वान दल सबसे बातूनी चालाक थे, सो उन्होंने जनता को खूब ठगा। पार्लियामेंट में उन्हीं का बहुमत हो गया। अब क्या था, जो भी बिल रखा जाता, कुत्ते भूँक-भूँक कर अपने पक्ष का तो समर्थन करते और दूसरे हर पक्ष का विरोध। सारे राज्य में उन्हीं की तूती बोलने लगी, पर अब क्या हो सकता था, सत्ता उनके हाथ में आ गई थी। अन्य जीव बिना विचारे कुत्तों के समर्थन पर घोर पश्चाताप करते रहे।

हमारे देश में प्रजातंत्र की शासन प्रणाली है। वहाँ हर वयस्क को मतदान करके अपने प्रतिनिधि चुनकर उन्हें शासन सौंपने का अधिकार है। ऐसी दशा में यहाँ सब कुछ प्रजा के हित में होना ही चाहिए था, पर बारीकी से देखने पर अपने शासकों और उनकी कार्य पद्धतियों में भारी दोष मालूम पड़ते हैं। इन दोषों का आए दिन समाचार पत्रों में भंडाफोड़ होता रहता है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव भी करता है कि अपने शासन में उतनी कुशलता,

ईमानदारी, दूरदर्शिता और कर्तव्यपरायणता नहीं है, जैसी कि होनी चाहिए।

इसका मूल कारण क्या है ? इसका पता लगाने के लिए हमें अधिक गहराई तक प्रवेश करना होगा। पता चलेगा कि भूल जिस मर्मस्थान में होती है, उसे सुधारे बिना कुशासन की बुराई दूर न हो सकेगी। प्रथम भूल वहाँ से आरंभ होती है, जहाँ मतदाता प्रतिनिधि चुनकर शासन तंत्र उसके हाथ में सौंपते समय मतदान में प्रमाद बरतता है। वोट देना हलका-बचकाना या छिछोरा काम नहीं है कि किसी के पक्ष में भी उसे डाल या फेंक दिया जाए। यह राष्ट्रीय कर्तव्य की परम पवित्र थाती केवल उन्हें सौंपी जानी चाहिए जो व्यक्तिगत चरित्रनिष्ठा की कसौटी पर असंदिग्ध रूप से कस लिए जाएँ और जिनकी निष्ठा इस बात के लिए प्रामाणिक सिद्ध हो चुकी है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोकहित को रत्ती भर भी आँच न आने देंगे। पंच को परमेश्वर कहा गया है। चुना हुआ पंच प्रतिनिधि ही तो है, उसकी चरित्रनिष्ठा, देशभक्ति, सेवाबुद्धि एवं अब तक की जीवन पद्धति हर दृष्टि से, हर कसौटी पर कसी हुई और खरी सिद्ध हुई होनी चाहिए। इससे कम व्यक्तित्व का यदि प्रतिनिधि बनने के लिए खड़ा होता है, तो राष्ट्रहित में वह एक अभिशाप ही सिद्ध होगा और किसी भी ऐसे अयोग्य को वोट देना, मतदाता का राष्ट्रीय सुव्यवस्था के साथ विश्वासघात ही माना जाएगा।

कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जंगल में एक कुटिया में बैठी एक स्त्री रो रही थी। कन्फ्यूशियस ने रोने का कारण पूछा, तो वह बोली-इसी स्थान पर एक चीते ने मेरे श्वसुर को खा लिया, एक दिन मेरे पति को भी खा लिया और आज तो उसने मेरे लड़के को भी खा लिया। कन्फ्यूशियस ने पूछा-जब ऐसी बात है, तो तुम यहाँ क्यों रहती हो, गाँव क्यों नहीं चली जातीं। स्त्री बोली-वहाँ का राजा बड़ा दुष्ट और स्वार्थी है। कन्फ्यूशियस ने शिष्यों से कहा-तात् ! स्वार्थी और दुष्ट शासक चीते से भी भयंकर होते हैं।

इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारतीय मतदाता को वोट का वजन और संभावित प्रतिफल नहीं समझाया गया और इस अवसर पर बरती गई असावधानी समस्त देश और समाज के लिए विपत्ति सिद्ध हो सकती है, यह नहीं बताया गया। यदि यह तथ्य मतदाता नागरिकों को

भली-भाँति समझ में आ गए होते, तो वे जाति बिरादरी, सिफारिश, खुशामद या छुट-पुट लालच जैसे कारणों से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट न देते, जिनकी चरित्र निष्ठा, दूरदर्शिता असंदिग्ध रूप से खरी सिद्ध नहीं हुई है।

मतदाता का भोलापन यदि इसी स्तर का बना रहे कि उसे कोई व्यक्ति कुछ भी प्रचार-हथकंडा अपना कर वोट झटक ले, तब तो देश के भविष्य का ईश्वर ही रक्षक है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए या तो मतदाता को इतना जागरूक होना चाहिए कि वह अपनी प्रखर विवेक बुद्धि को सजग रखे और किसी झूठे प्रचार से प्रभावित न होकर केवल हर दृष्टि से खरे व्यक्ति को ही वोट दे, अन्यथा यदि प्रजाजनों की मनोभूमि भोले भंडारी जैसी ही रहे तो फिर दूसरा उपाय यह है कि मतदान का अधिकार सीमित कर दिया जाए और केवल उन्हें ही वोटर रहने दिया जाए जिनकी प्रतिभा बहकाव, पक्षपात या प्रलोभन से प्रभावित न होकर सही प्रतिनिधि चुन सकने योग्य सिद्ध हो सके।

जो हो अंततः प्रजातंत्र में वोट और वोटर का महत्त्व रहेगा और उसी के आधार पर शासन तंत्र की व्यवस्था चलाने वाले प्रतिनिधियों का मंडल नियुक्त होगा। कहना न होगा कि इस मंडल के स्तर के अनुरूप ही शासन की नीति-नीति और कर्मचारियों की गतिविधियाँ रहेंगी। आज शासन या कर्मचारी यदि रिश्वत, अशिष्टता, आलस्य और अवरोध उत्पन्न करता है तो जितना कसूर उसका है, उससे अधिक उस संचालक मंडल का माना जाएगा, जिसको जनता ने सर्वसत्तासंपन्न बना कर चुना है। वे लोग चाहें तो दुष्ट कर्मचारियों को कड़े दंड भी दे सकते हैं और उनके पद छीन सकते हैं। इतनी शक्ति हाथ में रहते हुए भी यदि विभागीय कर्मचारी धृष्टता बरतते हैं तो यह माना ही जाना चाहिए कि उन्हें नियुक्त करने, वेतन देने और स्थिर रखने वाले तंत्रों ने भी इन कर्मचारियों की भाँति ही अपना कर्तव्य नहीं निभाया।

जनहित की आवश्यक योजनाएँ यदि कार्यान्वित नहीं होतीं, तो उसका मूल दोष प्रतिनिधि मंडल का है। बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्ट तरीके, अनुत्पादक योजनाएँ, हमारी राष्ट्रीय स्थिरता और प्रगति की प्रधान बाधाएँ हैं और जो इन बाधाओं को दूर कर सकने की प्रतिभा से संपन्न न हों, उन्हें शासन का उत्तरदायित्व संभालने और प्रतिनिधि के उपयुक्त कहे जाने का

अधिकार नहीं। कभी-कभी कुछ परिस्थितियाँ कष्टसाध्य और वाह्य कारणों से प्रभावित भी होती हैं, पर आमतौर से यही देखने में आता है कि जिनके शासनतंत्रों में कुशल एवं खरे प्रतिनिधि पहुँचे, उन छोटे एवं साधनविहीन राष्ट्रों ने भी स्वल्प काल में आशातीत उन्नति कर दिखाई।

प्राचीनकाल की बात है। एक गाँव-पंचायत ने न्याय व्यवस्था के लिए एक न्यायपालिका का चुनाव किया। बीस सदस्य चुने गए। जब भी कोई मामला आता, सब अपनी डेढ़ खिचड़ी अलग पकाते। न्याय जमाना तो दूर, पंचायत का सारा सुरक्षित कोष ही खा गए, वे लोग। गाँव के बुजुर्गों ने तब परस्पर विचार किया कि सौ मूर्खों की अपेक्षा विचारशील पाँच नेता अच्छे। अगली बार ऐसा ही हुआ, जिससे सब काम व्यवस्थित चलने लगा।

अपने देश में वोटों को बहकाया जाना सरल है। वह हर चुनाव में मौका खोता है। जिन्हें अविश्वस्त समझता है, वे ही चुनकर आ जाते हैं। चुनाव के हथकंडे भारतीय वोटों की जागरूकता की तुलना में अक्सर बाजी मारते हैं। यदि ऐसा न होता तो दल बदलने का धंधा करने वालों को नया चुनाव लड़े बिना वैसा करने की छूट न मिलती। जिन प्रतिनिधियों की काली करतूतें सामने आ चुकी हैं, उन्हें दुबारा जनता के सामने मुँह दिखाने की हिम्मत न पड़ती, पर देखते हैं कि वे ही दूने उत्साह से चुनाव लड़ते और धड़ल्ले से जीतते हैं। इसे स्पष्टतः लोकमानस के स्तर की हार कहना चाहिए।

परिस्थिति ऐसी पैदा की जानी चाहिए कि चरित्रवान और दूरदर्शी व्यक्ति अपनी महत्ता के आधार पर चुने जा सकें। उन्हें एक पैसा भी खर्च न करना पड़े। जो चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाता है और ओछे हथकंडे अपनाकर जाति-बिरादरी, प्रलोभन-खुशामद आदि के आधार पर चुने जाने के षड्यंत्र बना रहा है, उसे निश्चित रूप से हराया जाना चाहिए। पार्टियाँ अपना गौरव खो चुकीं, अब व्यक्ति की उत्कृष्टता और दूरदर्शी देशभक्ति ही वोट पाने की योग्यता होनी चाहिए। यह तथ्य यदि वोट समझ सकें, तो ही अनुशासन की आशा करनी चाहिए। आज की स्थिति जब तक न बदलेगी, भविष्य अंधकारमय ही बना रहेगा।

प्रश्न

१. प्रजातंत्र का क्या अर्थ है ? इस प्रणाली में शासन-तंत्र कैसे चलता है ?
२. हमारे शासन में अपेक्षित कार्य कुशलता न होने का क्या कारण है ?
३. प्रतिनिधि कैसा चुना जाना चाहिए ?
४. आजकल नागरिक मतदान करते समय किन बातों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं ? क्यों ?
५. वर्तमान परिस्थितियों में मतदान का अधिकार सीमित करना क्यों आवश्यक है ?
६. शासकीय कर्मचारी अशिष्टता व भ्रष्टाचार, आचरण एवं अवरोध वृत्ति के शिकार क्यों बनते जा रहे हैं ?
७. योजनाएँ समयावधि में कार्यान्वित क्यों नहीं होतीं ?
८. अपने देश में वोटों को बहकाया जाना सरल क्यों है ?
९. लोकमानस का स्तर ऊँचा उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
१०. पार्टियाँ अपना गौरव क्यों खो चुकी हैं ?



नारी उत्कर्ष हेतु प्रबुद्ध नारी आगे आएँ

भारतीय धर्म और संस्कृति ने नारी का दर्जा नर से ऊँचा माना है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की उक्ति में देवताओं की गणना करते हुए पहले माता, फिर पिता, फिर आचार्य की गणना है। भगवान के साथ उनकी सहधर्मिणी शक्ति का नाम प्राथमिकता के साथ जुड़ा रहता है। लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, उमा-महेश, शची-पुरंदर, सिद्धि-गणेश आदि युग्मों में नारी पहले और नर पीछे है। हिंदू धर्म के आदि व्यवस्थापक मनु ने नारी की वरिष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा है-जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।

प्राचीनकाल की और आज की नारी में आकाश-पाताल जैसा अंतर हो गया। तब वह हर क्षेत्र में नेतृत्व करती थी और पूज्या थी, पर आज भी वह पद-दलित बनी बेतरह कराह रही है, मानो वह कोई अविश्वस्त, अक्षम्य अपराधिनी हो। पालतू पशु मुँह खोलकर घर में रह सकते हैं और बाजार में घूम सकते हैं, पर सवर्ण और ऊँचे कहे जाने वाले परिवारों की नारियों को पर्दे के भीतर रहना पड़ता है। गाय मारने वाले हत्यारों को प्रायश्चित्त में मुँह ढककर एक वर्ष तक रहने का पहले प्रचलन था, उन्हें 'कलंकी' कहते थे, वे किसी को अपना मुँह नहीं दिखाते थे। गाय न मारने पर भी भारतीय नारी को गौ-हत्यारी की तरह आजीवन मुँह ढककर रहना पड़ता है। पुरातन पंथियों के यहाँ पर्दा, मर्दों की नाक का प्रश्न बना हुआ है। यदि वे पर्दा न करें, तो समझना चाहिए कि उस घर के मर्दों की नाक कटकर गिर पड़ेगी।

आनंद स्वामी पंजाब के एक गाँव में लोगों को स्त्री-शिक्षा के लाभ समझा रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला-महाराज ! शास्त्र की आज्ञा है कि स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अन्यथा वह दूषित हो जाती है। आनंद स्वामी ने पूछा-पानी तालाब का अच्छा होता-है या नदी का ? बूढ़ा बोला-महाराज ! घिरा रहने के कारण तालाब का पानी गंदा हो जाता है, पर नदी का जल चलता रहता है, इसलिए स्वच्छ रहता है। आनंद

स्वामी बोले-अब बताओ, जो स्त्री घर में कैद रहेगी, वह अच्छी होगी या जो सामाजिक जीवन में भाग लेने वाली होगी वह? बुढ़े को कोई उत्तर देते नहीं बना।

लड़की और लड़के के बीच आकाश-पाताल जैसा अंतर किया जाता है। लड़की का जन्म घर भर में उदासी और चिंता का कारण माना जाता है, और लड़का जन्मते ही ढोल बजते और बतासे बँटते हैं। लड़कों से लड़कियाँ पिटती रहती हैं और माँ-बाप हँसते रहते हैं। दोनों के भोजन और वस्त्र में बहुत अंतर रखा जाता है। मनोरंजन, खेलकूद की सुविधा केवल लड़कों को है। विवाह-शादी के वक्त यह अंतर और भी वीभत्स रूप धारण करता है। बूढ़ी गाय दान करनी हो, तो पंडा साथ में चारे-दाने के लिए दक्षिणा माँगता है। लड़कियाँ बूढ़ी गायों की तरह हैं, जिन्हें किसी को दिया जाए, तो यह कहा जाता है कि इस निरर्थक कूड़े को घर में तब घुसने देंगे, जब बड़ी से बड़ी रकम उसके चारे-दाने को दहेज में और दी जाए। यह नारी जाति का नृशंस अपमान है। लक्ष्मी के रूप में जिस देवी का, जिस निःस्वार्थ परोपकारिणी का प्रवेश परम मंगलमय और सौभाग्य माना जाना चाहिए था, उसी को लेने में लोग सीधे मुँह बात नहीं करते और हजार तरह के नखरे दिखाते हैं, यह कितनी निर्लज्ज परिस्थिति है। विधवा होने पर तो वह एक प्रकार से विशुद्ध कलंकिनी बन जाती है। उसे छूना, मुँह देखना, अच्छा खाना, पहनना, हँसना, बोलना सब कुछ निषिद्ध कर दिया जाता है, मानो उसी ने पति की जान-बूझ कर हत्या की हो।

एक व्यक्ति महर्षि कर्वे के पास आया और उनके नारी-उत्थान अभियान की आलोचना करने लगा। महर्षि ने कहा-एक बात बताओ, गाड़ी में दोनों पहिए एक से हों, तो अच्छी चलेगी या पहिए छोटे-बड़े हों तो? वह व्यक्ति बोला-वाह ! यह तो साधारण आदमी भी जानता है कि असमान पहिए वाली गाड़ी चलना तो दूर लुढ़क-पुढ़क जाएगी। कर्वे बोले-मेरे भाई ! जब असमान पहियों वाली काठ की गाड़ी ठीक प्रकार से यात्रा नहीं कर सकती, तो दलित स्त्रियों वाले परिवार ही किस तरह उन्नति कर पाएँगे? वह व्यक्ति कर्वे का मुँह ताकता रह गया।

आधे शरीर को लकवा मार जाने पर जो दुर्दशा शरीर की होती है, वही हमारे समाज की हो रही है। अशिक्षित, अविकसित और पद-दलित नारी किसी के लिए भी सुखकर नहीं हो सकती। अपनी अयोग्यता के

कारण वह अपना शरीर, मन, स्वभाव और कर्तृत्व दोष-दुर्गुण युक्त और रुग्ण रखेगी। पति को प्रसन्न रखने, उसके कार्यों में हाथ बँटाने और बोझ हलका करने के संबंध में उसे कुछ ज्ञान ही न होगा-उसने कुछ सीखा, जाना ही न होगा, तो बेचारी करेगी भी क्या? बच्चों का प्रजनन तो हर मादा कर सकती है, पर उनका निर्माण और विकास करना माता का काम है। माता का उत्तरदायित्व सँभालने के लिए उसका शिक्षित, सुविकसित और सुसंस्कृत होना आवश्यक है। आज के घुटन भरे वातावरण में कोई नारी अपने शारीरिक, मानसिक, दांपत्य, पारिवारिक, शिशु-निर्माण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का भार उठा सकती है, यह सोचना ही व्यर्थ है। अविकसित नारी स्वयं ही एक समस्या बनकर रहेगी।

समय आ गया है कि विपन्नता को सुधारा और बदला जाए। नारी की उत्कृष्टता को समझा और उसके प्रति आदर, कृतज्ञता एवं सहायता का भाव रखा जाए। दो हजार वर्ष की पद-दलित स्थिति के कारण नारी को जो क्षति पहुँची है, उसकी पूर्ति के लिए अब ब्याज सहित अधिक सद्व्यवहार पाने का उसे भी अधिकार है। लड़कों की अपेक्षा हर क्षेत्र में लड़की को अधिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए और नारी के विकास का क्रम तीव्रगति से अग्रगामी करने के लिए उसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए, तभी तो वर्तमान विषमता का अंत हो सकेगा।

हर विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने समाज की अधर्मांग मूर्छा को दूर करने का प्रयत्न करे और वे सब परिस्थितियाँ उत्पन्न करे, जिनसे नारी भी नर के समान ही समर्थ और क्रिया-कुशल बनकर समाज की अभिनव रचना में समान रूप से योगदान दे सके।

एक व्यक्ति स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को पर्दे से बाहर लाने और उन्हें पूजा-पाठ की इजाजत देने का सख्त विरोधी था। वह महर्षि दयानंद के पास गया और स्त्रियों के खिलाफ न जाने क्या-क्या बकने लगा। महर्षि ने कहा-मान्यवर ! क्या आप अपना एक पैर रस्सी से बाँध लेने देंगे? वह बोला-पाँव बँधा दूँगा, तो चलूँगा कैसे? घर कैसे जाऊँगा? तब दयानंद हँसे और बोले-समाज का आधा भाग-एक पैर स्त्रियाँ, रूढ़ियों की रस्सी से बाँध दी जाएँ, तो भारतीय समाज प्रगति कैसे कर सकेगा? वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ और उस दिन से स्त्रियों की समान उन्नति का समर्थक बन गया।

सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रथम कदम हमको नारी-उत्कर्ष के लिए प्रबल प्रयत्नों की योजना के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। कहना न होगा कि इस संदर्भ में पुरुष जाति को पाप-प्रायश्चित की तरह नारी उत्कर्ष के लिए बड़ी से बड़ी सुविधाएँ देने की तैयारी करनी होगी, नारी को स्वयं भी इस अभाव की पूर्ति के लिए बढ़-चढ़कर योगदान देना चाहिए। अपने उत्कर्ष के लिए हर किसी को प्रबल प्रयत्न करने पड़े हैं। आज की नारी के सामने भी कर्तव्य की यह विकट चुनौती सामने खड़ी है।

आवश्यकता ऐसी बहादुर नारियों की है, जो अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को लात मारकर महिला कल्याण के महान् यज्ञ में अपने जीवन का उत्सर्ग कर सकें। अपने देश में शिक्षित नारी की संख्या बढ़ती ही जाती है, पर उनमें से कुछ ही ऐसी निकलती हैं, जो अपने वर्ग की दयनीय दुर्दशा के लिए कसक अनुभव करें और उन्हें उठाने के लिए बहादुरों जैसी चिंतन प्रक्रिया अपनाएँ। विवाह की इच्छा स्वाभाविक है, पर अपने वर्ग की दुर्दशा मिटाने के लिए उस सुख को लात मार देना भी अस्वाभाविक नहीं है। आज तो सुशिक्षित महिलाओं में से बहुतों को दहेज जैसे अभिशापों के कारण अविवाहित रहने के लिए विवश होना पड़ता है। ये लड़कियाँ भी नौकरी करतीं, पेट पालती और विलासिता के कुछ अधिक साधना जुटा लेने भर के गोरख धंधे में पड़ी हुई, घर-कुटुंब वालों के लिए आमदनी का साधन मात्र बनकर जिंदगी गुजारती हैं। काश, इनमें से कुछ के मन में अपने वर्ग के प्रति करुणा भरी कसक जग सकी होती, तो निस्संदेह वे रूखी-सूखी रोटी खाकर अपने निरर्थक और नीरस जीवन को नारी उत्कर्ष की सेवा-साधना में लगाकर धन्य बना सकती थीं। कितनी ही विधवाएँ, कितनी ही परित्यक्ताएँ हैं, जो अपने लिए और अपने आश्रयदाताओं के लिए भारभूत बनकर जी-मर रही हैं। यह बहुमूल्य जीवन यदि महिला-कल्याण के लिए नियोजित हो सका होता, तो परिस्थितियाँ वैसी न होंतीं, जैसी आज दीख रही हैं। कितनी ही सुसंपन्न महिलाएँ ऐसी हैं, जिनके घर प्रचुर सुविधा-साधन हैं, नोकर-चाकर रहते हैं और जिन्हें बहुत-सा समय खाली काटना पड़ता है। उन्होंने अन्य लोगों की तरह यदि शौकिया रूप में भी महिला मंडल का काम सँभाला होता, तो अनेकों को इनका अनुकरण करने की प्रेरणा मिलती। नारी उत्थान का

आंदोलन जो अपने देश में बड़े आदमियों की घरवालियों का चोचला भर बनकर रह गया है यह एक प्रखर क्रांति का रूप धारण कर सकता था, यदि उसमें कर्मठ, त्यागी, बहादुर और दर्दमंद प्रबुद्ध महिलाओं का समुचित योगदान मिल सकना संभव हुआ होता।

शिवदेवी शास्त्री जिस स्कूल में पढ़ाती थीं, वहाँ की लड़कियों ने एक दिन शिकायत की कि जब वे गलियों से निकलती हैं, तो दुष्ट युवक अश्लील आवाजकशी करते हैं। उनका प्रतिरोध करने की अपेक्षा अन्य लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। इस पर शिवदेवी ने लाठी उठाई और उस दिन लड़कियों के साथ स्वयं गई और गुण्डों ने जैसे ही आवाज कसी कि उन्होंने लाठी फटकारी। सैकड़ों लोग उनके सहायक उतर आए और गुण्डों की पिटाई की। उस दिन से किसी ने भी लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत नहीं की।

समय की माँग है कि बिना वक्त गँवाए नारी उत्थान का एक प्रचंड आंदोलन खड़ा किया जाए। पुरुषों को उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिए, पर आगे नारी को ही आना पड़ेगा। बागडोर उसे ही सँभालनी चाहिए और नेतृत्व उसे ही करना चाहिए। ऐसी सुशिक्षित महिलाएँ जिनके कंधे पर पारिवारिक उत्तरदायित्वों का बहुत बोझ नहीं है, आगे आएँ और ऐसी महिलाओं को खोज निकालें, जिनमें सेवा के बीजांकुर मौजूद हों और जिनमें बहादुरी तथा प्रतिभा की रोशनी थोड़ी बहुत तो टिमटिमाती ही हो। उन्हें साथ लेकर एक महिला संगठन कहीं भी तैयार किया जा सकता है। यह कार्य कथा-कीर्तन, भजन-सत्संग जैसे स्तर का भी रखा जा सकता है, जिससे पुरातनखंडी प्रकृति के लोग भी इस प्रकार के आयोजनों में अपनी महिलाओं को उसमें जाने और सम्मिलित होने की छूट दे सकते हैं। महिलाओं को उनके घर वाले चहारदीवारी से बाहर कहाँ निकलने देते हैं, पर एक बार यदि थोड़ी-थोड़ी छूट उन्हें मिलने लगी, तो यह क्रम आगे चलकर इतना समर्थ भी हो सकता है, कि वे समाज सेवा, शिक्षा तथा दूसरे मंगलमय कार्यों में योगदान दे सकें। दूरदर्शी लोग तो स्वेच्छापूर्वक अपनी महिलाओं को ऐसे संगठनों और आयोजनों में भेजेंगे ही, क्योंकि इससे उनकी प्रतिभा निखरेगी और उस प्रतिभा से अंततः वे अपने परिवार के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होंगी।

बंबई के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ सोराब जी फ्राम जी पटेल ने अपनी पुत्री भीकाजी कामा को खूब पढ़ाया-लिखाया और श्री रुस्तम जी कामा के साथ विवाह कर दिया, ताकि वह सुखी जीवन बिता सकें, किंतु भीकाजी कामा को विलासी जीवन पसंद न हुआ। उन्होंने सबके विरोध के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और पर्दे वाली स्त्रियों को रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्ति दिलाकर उन्हें भी लोकसेवा के क्षेत्र में अग्रसर किया। तिरंगा झण्डा भीकाजी कामा की ही देन है।

कितने ही कार्य ऐसे हैं, जो नारी उत्थान के लिए हर जगह आरंभ किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। शिक्षा का स्थान सर्वप्रथम है। निरक्षरता मिटाए बिना, ज्ञान के कपाट खुलने का अवसर ही नहीं आएगा। प्रौढ़ महिलाओं के लिए तीसरे पहर चलने वाली पाठशालाएँ मुहल्ले-मुहल्ले और गाँव-गाँव स्थापित की जानी चाहिए। इनसे अक्षर ज्ञान ही नहीं मानव-जीवन एवं सामाजिक स्थिति की सभी छोटी-बड़ी समस्याओं के स्वरूप समझाए जाएँ और चारों ओर फैली हुई विकृतियों के दुष्परिणाम एवं निराकरण करने के उपाय सिखाए जाएँ। इस प्रकार का शिक्षण नारी उत्कर्ष की आधारशिला बन सकता है। जहाँ संभव हो सिलाई आदि गृह उद्योगों का भी उसमें सम्मिश्रण रखा जाए। कन्या पाठशालाएँ, महिला विद्यालय, बालमंदिर, शिल्प शिक्षा, आरोग्यशाला, प्रसूतिगृह, संगीत प्रशिक्षण, कला-कौशल जैसी कितनी ही रचनात्मक गतिविधियाँ महिला सेवा संगठनों द्वारा चलाई जा सकती हैं। सुशिक्षित महिलाएँ उनके संस्थापन एवं संचालन का उत्तरदायित्व सँभालें, तो धन के अभाव में ये प्रवृत्तियाँ रुक सकने वाली नहीं हैं। अवश्य ही जनता का उदार सहयोग उन्हें मिलेगा।

पति की छोटी बहन ने कहा-भाभी जी ! स्त्रियाँ सोचती हैं, हम कुछ नहीं कर सकतीं, पर यदि सोचें, तो उन्हें भगवान ने पुरुष से कम शक्ति नहीं दी। इन शब्दों ने हैरियट स्टो को शक्ति से भर दिया, वे लिखने लगीं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसने अमेरिका में गृह युद्ध करा दिया और अमेरिका की सरकार को वर्ण-भेद को समाप्त करने के लिए विवश होना पड़ा। दुनिया की २२ भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह पुस्तक "टाम काका की कुटिया" के नाम से प्रसिद्ध है।

कितने ही आंदोलन ऐसे हैं, जो घर-घर जाकर चलाए जा सकते हैं। (१) घरों, दुकानों तथा कमरों में टँगे हुए नारी को अपमानित करने वाले अश्लील चित्रों को हटाया जाना और उनके स्थान पर गायत्री मंत्र तथा प्रेरणाप्रद वाक्य तथा आदर्श चित्रों का लगाया जाना, (२) झूठन न छोड़ने की प्रतिज्ञा, (३) भौंड़ा फैशन, चुस्त कपड़े, भद्दे शृंगार तथा जेवर लादने जैसी ओछी टीपटाप छोड़कर शालीन वेश-विन्यास अपनाने के अनुरोध, (४) घरों में उपासना कक्षों की स्थापना, (५) उत्सवों में भद्दे गीत न गाने की प्रतिज्ञा, (६) पर्दा प्रथा का त्याग, (७) अंध-विश्वासों का बहिष्कार, (८) मृतक भोज, विवाह-शादियों में अपव्यय का विरोध, (९) घरेलू शाक-वाटिका का प्रशिक्षण, (१०) गृह व्यवस्था के अगणित पक्षों का ज्ञान तथा उनका व्यवहार। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं, जो घर-घर जाकर सिखाने, समझाने की अपेक्षा रखते हैं। परिस्थिति के अनुसार और भी कितने ही कार्य ऐसे हो सकते हैं, जो नारी की खोई हुई शक्ति को जगाने और समर्थ प्रतिभावान बनाने में सहायता कर सकते हैं। काम बहुत पड़ा है, कहीं भी किया जा सकता है। आवश्यकता ऐसी प्रतिभावान नारियों की है, जो महिला कल्याण के लिए अपनी भावना एवं शक्ति का एक बड़ा अंश इस परम उपयोगी और अति महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए समर्पित कर सकें।

प्रश्न

१. नारी का सम्मान क्यों किया जाना चाहिए ?
२. विदेशियों ने हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को किस प्रकार गिराया ?
३. भारत की नारियों की वर्तमान अवस्था पर प्रकाश डालिए ?
४. पर्दा प्रथा से क्या हानियाँ हैं ?
५. भारतीय समाज ने नारी को अबला और अपंग क्यों बना रखा है ?
६. नारी जाति का नृशंस अपमान क्या है ?
७. आज हमारे समाज में नारी की हालत कैसी है ?
८. सिद्ध कीजिए कि अविकसित नारी एक समस्या है ?

९. नारी को पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ क्यों मिलनी चाहिए?
१०. विचारशील व्यक्ति का नारी समाज के प्रति क्या कर्तव्य है?
११. वर्तमान स्त्री जाति को पद-दलित स्थिति में पहुँचाने का पापी कार्य किसने किया है?
१२. वर्तमान परिस्थिति से स्त्री जाति को निकालने के लिए क्या प्रयत्न होने चाहिए?
१३. इस स्थिति से नारी जाति को निकालने के लिए स्वयं नारी को क्या प्रयत्न करने चाहिए?
१४. इस समय स्त्री जाति किस तरह जीवनयापन कर रही है?
१५. स्त्री जाति को अपमान भरे जीवन से निकाल कर ऊँचा उठाने के लिए पुरुषों को क्या सहयोग करना चाहिए?
१६. नारी जाति को ऊँचा उठाने में सहायक कौन-कौन से कार्य हैं?
१७. घर-घर में चलाए जा सकने योग्य ऐसे कौन-से आंदोलन हैं, जिनमें स्त्री जाति की प्रतिष्ठा फिर स्थापित हो सकती है?



आततायी उद्दंडता का डटकर मुकाबला

अपराधों की अभिवृद्धि के आँकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए भय होता है कि यह छूत की बीमारी सारे समाज को ग्रसित न कर ले और हम में से प्रत्येक व्यक्ति कहीं अपराधी ही न बन जाए। मनुष्यता की मर्यादा का पालन करना, नीति, कर्तव्य और सदाचारण को अपनाना तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। यदि नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में जन साधारण की निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे, तो ही समाज में शांति और सुव्यवस्था बनी रह सकती है और प्रगति एवं समृद्धि की आशा की जा सकती है, अन्यथा बढ़ती हुई उच्छृंखलता व्यक्ति को पतित और समाज को दुर्बल बनाती चलेगी और क्रमशः सर्वनाश की घड़ी समीप आती चली जाएगी।

वैयक्तिक सदाचारण और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा एवं अवहेलना की प्रवृत्ति, निस्संदेह एक भयावह विपत्ति ही समझी जानी चाहिए। इससे क्षोभ, असंतोष, रोष, प्रतिशोध का ऐसा प्रवाह बहता है, जिससे घात-प्रतिघात की दुर्घटनाएँ निरंतर बढ़ती जाती हैं और रचनात्मक दिशा में लग सकने वाली शक्ति दुरभिसंधियों में संलग्न होकर विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती चली जाती हैं। परस्पर स्नेह, सद्भाव, सहयोग के आधारों की जड़ काटते हुए यह बढ़ते अपराध, अविश्वास एवं असंतुलन का वातावरण उत्पन्न करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया अंततः हर किसी के सामने दुर्भाग्यपूर्ण बनकर ही आती है।

बिच्छू बोला-तुम मुझे पार पहुँचा दो, डंक नहीं मारूँगा। कछुए ने कहा-अच्छा और बिच्छू को पीठ पर बैठाकर पानी में तैर चला। अभी कुछ ही दूर चला था कि बिच्छू ने डंक मार दिया। कछुए ने कहा-यह क्या किया? बिच्छू बोला-यह तो मेरा स्वभाव है। कछुए ने कहा-अच्छा हुआ, मैंने अपने को सुरक्षित किया हुआ है, पर तेरे आतताईपन का दंड तो मिलना ही चाहिए। यह कहकर उसने डुबकी मार ली और बिच्छू पानी में डूब कर मर गया।

अपराधी मनुष्य घृणा का पात्र, अविश्वस्त, आततायी बनकर अपने लिए सर्वत्र असहयोग एवं अवरोध उत्पन्न करते हैं। आतंक, भय से दूसरे लोग चुप भले ही हो जाएँ, डरकर कुछ काम भले ही कर दें, पर उस स्नेह-सद्भाव से सर्वथा वंचित ही रहना पड़ता है, जो चिरस्थायी प्रगति का एक मात्र आधार है। दुष्ट और असुरों के वर्ग में गिना जाने वाला यह व्यक्ति अपने आत्मा और परमात्मा के सामने पतित सिद्ध होता है और अपने मनोबल को खोकर प्रगति के वास्तविक आधारों से वंचित हो जाता है। अपराधियों की अभिवृद्धि एक अभिशाप है, जिससे किसी समाज का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अनैतिक आचरणों की बाढ़ को एक प्रकार से गृहयुद्ध ही कहना चाहिए, जिसके दुष्परिणाम अंततः सामूहिक आत्महत्या के रूप में ही सामने आते हैं।

अपने देश में इन दिनों नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना एक प्रकार का फैशन बनता चला जा रहा है। उच्छृंखलता और उद्दंडता प्रदर्शित कर लोग दूसरों पर आतंक जमाने की कुचेष्टा में लगे दिखाई देते हैं। धूर्तता और अनीति के आधार पर प्राप्त सफलता को कुशलता और चतुरता माना जाता है। धर्म से लेकर राजनीति तक, व्यवसाय से लेकर दैनिक गतिविधियों तक, अप्रामाणिकता का ही बोलबाला है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। ऐसा ही माहौल बना रहा, तो परस्पर विश्वास, सद्भाव और सहयोग का आधार ही नष्ट हो जाएगा, तब तक दूसरे से आशंकित और आतंकित रहने वाले समाज में, विकास और उल्लास की परिस्थितियों का दर्शन दुर्लभ होता चला जाएगा। इस वातावरण में प्रगति के लिए किए गए सारे प्रयत्न बालू की दीवार जैसे धराशायी होते चले जाएँगे।

एक अध्यापक कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपना एक लोहे का बक्सा पड़ोसी को सौंपते हुए कहा-आपके यहाँ सुरक्षित रहेगा, लौटकर आऊँगा, तो ले लूँगा। पड़ोसी की नियत खराब हो गई। लौटकर अध्यापक ने अपना सामान माँगा, तो पड़ोसी बोला-बक्सा तो चूहे खा गए। अध्यापक बिना कुछ कहे लौट आया। उसी के स्कूल में पड़ोसी का लड़का पढ़ता था। उस दिन उसने लड़के को अपने घर में बंद कर लिया। शाम तक लड़का न पहुँचा, तो पड़ोसी पूछने आया। मास्टर साहब ने बताया-लड़के को चील उठाकर ले गई। पड़ोसी बोला-चील कहीं लड़के को ले जा सकती है? अध्यापक ने उत्तर दिया-क्या जानें भाई! इस

जमाने में तो चूहे लोहे का बक्स खा जाते हैं। पड़ोसी हार मान गया। उसने बक्सा लौटा दिया, अध्यापक ने लड़का।

आवश्यकता इस बात की है कि हर मनुष्य को अपने नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं मानवीय कर्तव्यों के पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षा का मूल आधार यही होना चाहिए। लोकशिक्षण का उत्तरदायित्व उठाने वाले साहित्य, संगीत एवं कला की दिशा यही होनी चाहिए। लेखनी और वाणी का प्रस्फुरण इसी प्रयोजन के लिए हो। पत्रकारिता इसी मुहिम को सँभाले। सरकारी नियंत्रण में चलने वाले रेडियो से इसी स्तर का प्रसारण हो। सार्वजनिक प्रयोजन का स्थान ग्रहण करने वाले सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाए, वह इसी प्रयोजन की पूर्ति करे। संगीत और गायन की हर तरंग द्वारा नैतिकता का समर्थन किया जाए। धर्म-मंच से जो कुछ भी कथा-प्रवचन प्रस्तुत किए जाएँ, वे मनुष्य को सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ एवं लोकमंगल के लिए त्याग-बलिदान की प्रेरणा से भरते रहें। शासन व्यवस्था के अंतर्गत नैतिकता के पक्ष में अति सतर्कता बरती जाए और अनैतिकता को कठोरतापूर्वक कुचलने की समर्थ व्यवस्था बनाई जाए। इस प्रकार के सर्वतोमुखी प्रयत्नों द्वारा ही नर-पशु को मानवीय कर्तव्यों का पालन करने वाला, सज्जन एवं सद्भाव संपन्न बनाया जा सकता है। यह मानव जाति की महती आवश्यकता है। हर विचारशील का ध्यान इधर ही जाना चाहिए और हर समर्थ को इस दिशा में अधिकतम सहयोग प्रदान करना चाहिए। सदाचरण के संरक्षण से ही संसार में शांति और सुव्यवस्था बनी रहने तथा प्रगति का मंगलमय वातावरण बनने की आशा की जा सकती है।

इस प्रकार के रचनात्मक प्रयत्नों के साथ-साथ जन-चेतना में अपराधियों के प्रतिरोध का समुचित साहस जाग्रत रहना चाहिए। होता यह है कि कुछ आततायी अनीति और उच्छृंखलता करते रहते हैं और लोग उसे दर्शक मात्र बनकर देखते रहते हैं। उस अनीति का प्रतिरोध करने से अपने को ही नुकसान न सहना पड़े, यह भीरुता सार्वजनिक जीवन की एक निंदनीय दुर्बलता है, जिसके कारण आततायी निर्भय होकर अपनी दुष्टता को दिन-दिन अधिक बढ़ाते चले जाते हैं। हजार मनुष्यों के सामने चोर, गुण्डे मनमानी कर सके, तो यह उन दर्शकों में से प्रत्येक के लिए डूब मरने की बात है। हर एक को यह सोचना चाहिए कि यदि उसके ऊपर अनीतिपूर्वक

आक्रमण हो, तो उससे दूसरे सज्जनों से सहायता, तनाव या अवरोध की आशा करनी चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो उसका भी कर्तव्य है कि जहाँ उद्दंडता हो रही हो, वहाँ उपस्थित लोगों में चेतना उत्पन्न करे और अवरोध के लिए साहसपूर्वक भिड़ जाए।

अनीति को सहन न करने, किसी पर अनीति न होने देने की हिम्मत हर जीवित मनुष्य में होनी चाहिए। बहादुरी मानवता का एक आवश्यक अंग है। पौरुष संपन्न को ही पुरुष कहते हैं। शौर्य और साहस मनुष्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। इनके बिना अन्न खाने और साँस लेने भर के लिए जीवित मनुष्य को एक प्रकार से मृतक या पतित ही कहा जा सकता है। कहना न होगा कि शौर्य का प्रदर्शन और परीक्षण अनीति का अवरोध करने का अवसर आने पर ही किया जा सकता है। दुष्टता होती रहे और भयभीत, असहाय एवं कायर काया की तरह कोई मनुष्य दर्शक मात्र बनकर खड़ा रहे, इससे अधिक धिक्कार की दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है? कई अवसर ऐसे होते हैं, जिनमें जोखिम उठाना भी गर्व और गौरव का कारण होता है। आतंकवादी उद्दंडता के अवरोध में जोखिम उठाकर आगे आना सत्साहस है, जिसकी प्रशंसा मूक मानवता का कण-कण करता रहेगा।

एक छोटी-सी रियासत की राजकुमारी चंचलकुमारी पर औरंगजेब की कुदृष्टि पड़ गई। उसने चंचलकुमारी के पिता को धमकाया कि यदि चंचलकुमारी का विवाह नहीं किया, तो कुचल कर रख दिया जाएगा।

जागीरदार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, पर वह आत्मरक्षा के लिए चिंतित हो उठे। यह समाचार मेवाड़ के राणा राजसिंह ने सुना, तो अपनी सेना जागीरदार की रक्षा के लिए भेज दी। अपनी हानि उठाकर भी निर्बल की रक्षा का जो आदर्श उन्होंने रखा, उससे राजपूत शासकों को बड़ी प्रेरणा मिली।

अपराधी मनोवृत्ति के पनपने से एक बहुत बड़ा दोष प्रतिरोध का साहस शिथिल हो जाने की भीरुता पर है। मानवीय भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दृष्टि से इस दुर्बलता का अंत होना चाहिए और सर्वसाधारण में यह उत्साह उत्पन्न होना चाहिए कि आततायी आतंक का हर मोर्चे पर, हर स्थिति में मुकाबला किया जाए और उच्छृंखलता के हर कदम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डटकर मुकाबला किया जाए।

प्रश्न

१. अपराधों की वृद्धि के दुष्परिणाम लिखें ?
२. व्यक्तिगत सदाचार और सामाजिक कर्तव्य क्यों आवश्यक हैं ?
३. सिद्ध करो अपराध व्यक्ति के लिए स्वयं घातक होते हैं ?
४. अपने देश की उन्नति नहीं हो रही है, क्यों ?
५. मनुष्य को सदाचार से किस तरह प्रशिक्षित किया जाए ?
६. सदाचार और समाज सुधार के रचनात्मक कार्यक्रम बताओ ?
७. सिद्ध करो कि अनीति करने की तरह अनीति सहना भी पाप है ?
८. अपराध क्यों बढ़ रहे हैं ?
९. अपराधों को कैसे रोका जाना चाहिए ?



अन्न संकट की चुनौती का सामना

जनसंख्या की वृद्धि और तमाखू जैसी हानिकारक फसलों से बहुत जमीन घिर जाने के कारण अब अपना अन्न-बाहुल्य कृषि-प्रधान देश दूसरों से उधार, कर्ज या खरीदकर पेट पालने वाले पिछड़े देशों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। कारण जो भी हो, पर यह ऐसा राष्ट्रीय दुर्भाग्य है, जिसके खतरे की गंभीरता हम सबको समझनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, इस पिछड़ेपन के कलंक से अपने मुख की कालिमा धोनी चाहिए। अन्न के लिए परावलंबी देश सदा अपने अन्नदाता के पिछलग्गू बनकर रहने के लिए विवश किए जाते हैं। जो सहायता करेगा, वह कुछ तो अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहेगा ही। समय आने पर उसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष दासता भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। "विभुक्षितं किं न करोति पापम्" की उक्ति के अनुसार भूखे को जो भी काम करना पड़े, कम है।

श्री बिट्टलभाई पटेल उन दिनों बंबई कारपोरेशन के अध्यक्ष थे। जब कोई बड़ा आदमी आता, तो कारपोरेशन के अध्यक्ष को दावत देनी पड़ती, उसमें शराब तो उड़ती ही, कई मन अन्न बेकार जाता। बिट्टलभाई पटेल ने कहा-दावतें इस खाद्यान्न की कमी वाले देश के लिए पाप हैं। उन्हीं दिनों लार्ड लीडिंग भारत आ रहे थे, पर उन्होंने तब भी दावत न दी और एक खराब परंपरा का अपने साहस से अंत कर दिया।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि के लिए देश में एक युद्धस्तरीय उमंग एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न होने की जरूरत है। हर किसान अपने अधिक परिश्रम और क्रियाकौशल द्वारा अपने पड़ोसी से बाजी लगाए कि वह अधिक उत्पादन करके अपनी देश भक्ति का अधिक बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। अपनी जमीनों में दूसरे देशों की तुलना में प्रायः आधी फसल उगती है। अधिक उत्पादन के तरीके आसानी से खोजे और सीखे जा सकते हैं। उमंग हो, तो बहुत कुछ हो सकता है, सोचती तो सरकार भी बहुत कुछ है और योजनाएँ भी कई बनाती हैं, पर कर्मचारियों

का जो ढरा है, उससे सब गुड़ गोबर हो जाता है। फिर भी कुछ लाभ तो उससे भी लिया जा सकता है।

अन्न छत पर भी उगाया जा सकता है, यह पढ़कर महाराष्ट्र (मुंबई) के एक साधारण मजदूर लक्ष्मण मंडल ने अपनी छत पर ९ इंच मोटी मिट्टी डालकर मक्का बोई और पहली ही बार वर्ष में दो बार में ५४ किलो मक्का पैदा की। उसके इस कार्य की राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसेन ने सराहना की और उसकी मक्का भी खाई।

इस समस्या का दूसरा पहलू है-अन्न के अपव्यय को रोकना। अपने देश में बड़ी आदतों का, उनमें अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने का, आवश्यकता से अधिक खाने का बहुत रिवाज है। छोटे-छोटे हर्षोत्सवों में बड़े-बड़े प्रीतिभोज खड़े कर दिए जाते हैं। बच्चों के जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह में दावतों की धूम रहती है। इतना ही नहीं, किसी के मर जाने पर भी लोग दावतें खाने और खिलाने से नहीं हिचकते। आए दिन दावतों की धूम रहती है। विदेशों में जलपान, चाय-पार्टी जैसे स्वल्पाहारों का सीमित मित्र मंडली तक प्रचलन होता है, पर गाँव भर के, बिरादरी भर के लोगों को अंधाधुंध संख्या में स्त्री-बच्चों सहित दावतें देने की धूम कहीं नहीं रहती है। यहाँ तो दावतों ने धर्म-पुण्य का भी स्थान ग्रहण कर लिया है। पुण्य किसको, किस प्रयोजन के लिए, क्या देने से होता है, इस सोच-विचार में पड़ने की अपेक्षा लोग लंबी-चौड़ी दावतें कर देते हैं और अपने आपको धर्मात्मा-पुण्यात्मा मानकर, स्वर्ग में उसका लाखों गुना प्रतिफल पाने का इंतजार करने लगते हैं। अन्नदान अभावग्रस्तों की आपत्ति निवारण के लिए उपयोगी भी हो सकता है, उसे दान-पुण्य की गिनती में भी गिना जा सकता है, पर भरे पेट वाले, खाते-पीते लोगों को दावत खिलाने में धर्म-पुण्य की संगति कैसे बिठाई जाए, यह समझ में नहीं आता।

जो हो बड़ी दावतों में अन्न की बुरी तरह बर्बादी होती है। ड्योढ़ा-दूना खाकर पेट भी खराब करते हैं और अनाज भी। इसके साथ-साथ एक बुरी प्रथा यह जुड़ी हुई है कि दावतों की शान पत्तलों पर छोड़ी हुई जूठन से की जाती है। खाने वालों की अमीरी और खिलाने वाले की दिलेरी इससे आँकी जाती है कि जूठन कितनी छोड़ी गई। यह अन्न देवता के अपमान का बहुत ही बुरा पहलू है। एक ओर तो हम अन्न को देवता कहें

और दूसरी ओर उसे इस प्रकार तिरस्कृत स्थिति में फँक दें, यह कितनी बुरी बात है।

बिहार में सूखा पड़ गया, बोने के लिए बीज की कमी की समस्या मुँह फैलाए खड़ी थी। एक गाँव के किसानों ने प्रतिज्ञा की कि वे गाँव में एक भी दावत नहीं करेंगे। मृतक भोज भी न करेंगे और प्रति सप्ताह एक दिन का उपवास रखेंगे। फसल बोने का समय आ गया। दूसरे गाँव के लोग बीज के लिए इधर-उधर मारे-मारे डोल रहे थे, तब इस गाँव के लोग बचाए अन्न से खेती की बोवाई कर रहे थे। सूखा उनका कुछ भी न बिगाड़ सका।

अपने देश में उपवासों को धार्मिक दृष्टि का महत्त्व दिया गया है। कर्मचारियों की तरह सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिल जाने से पेट को भी नई शक्ति संपादित करके अधिक उत्साह से काम करने का अवसर मिलता है और उदर रोगों से बचे रहने के साथ-साथ स्वास्थ्य संवर्द्धन का भी संयोग प्राप्त होता है। सप्ताह में एक दिन अथवा कम से कम एक जून तो हर कोई बड़ी आसानी से उपवास रख सकता है। निराहार रहना कठिन लगे, तो अन्न रहित, शाक, फल, दूध आदि लेकर भी ऐसा उपवास हो सकता है। हम सब यदि धार्मिक अथवा राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे उपवासों का नियम बना लें, तो देश को इन दिनों जितनी अन्न की कमी पड़ती है, उसकी पूर्ति बहुत ही आसानी से हो सकती है। जिनमें देशभक्ति अथवा समाजनिष्ठा के तत्त्व मौजूद हैं, उनको थोड़ी असुविधा या कष्ट सह लेना भी कठिन न होना चाहिए, जिसके साथ आर्थिक बचत और स्वास्थ्य-रक्षा के लाभ भी जुड़े हुए हैं। चूहों से, कीड़ों से अन्न बचाने की सावधानी यदि हर गृहस्थ में, अन्न भण्डारों में बरती जाने लगे, तो भी बहुत काम चल सकता है। अधिक बच्चों की उत्पत्ति से बढ़ने वाले अन्नसंकट की ओर भी हमारा ध्यान रहे, तो हम उस विभीषिका का बहुत हद तक सामना कर सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और भविष्य को अंधकारमय बनाने पर तुली हैं।

राशन की कमी के कारण कन्ट्रोल लगा दिया गया। गेहूँ बड़ी मुश्किल से मिलता। उन्हीं दिनों श्री पुरुषोत्तमदास टंडन के यहाँ कुछ मंत्री ठहरे। रसोइया हैरान था-गेहूँ का आटा नहीं है, अतिथियों को क्या खिलाएँ? टंडन जी ने कहा-बेईमानी करने की अपेक्षा मोटा अन्न खिलाने

में कोई हानि नहीं है। जौ की रोटियाँ बनीं और मंत्रियों को वही खिलाई गई। उन्होंने मंत्रियों से कहा-हमें मोटा अन्न खाने की आदत हो गई, तो अन्न की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी।

सरकार क्या करने जा रही है और नेता क्या सोचते हैं, इसकी परीक्षा किए बिना हमें अपनी स्वल्प सामर्थ्य और छोटे विचार के अनुसार कुछ काम करना आरंभ कर देना चाहिए। इस दिशा में हम दो कार्य कर सकते हैं-(१) शाक-सब्जियों को भोजन में अधिक स्थान देना। (२) शाक-सब्जी उगाना। इन दोनों कार्यों से भोजन की समस्या उपयुक्त ढंग से हल होती है और अन्न भी बचता है। यह बचत हमें अन्न की दृष्टि से स्वावलंबी बना सकती है।

शाक-सब्जी हर दृष्टि से हमारा उपयुक्त भोजन है। उनमें अन्न से भी अधिक जीवन-तत्त्व, क्षार, विटामिन आदि भरे पड़े हैं। वे सुपाच्य होते हैं और अन्न न पचने पर जिन विकृतियों और बीमारियों की संभावना रहती है, शाकों से उसका बचाव सहज ही हो सकता है। सूखे अन्नों में हरे शाकों की अपेक्षा कुछ कम ही गुण होते हैं। वस्तुतः वे भी एक प्रकार के फल ही हैं, सस्तेपन के कारण उन्हें घटिया माना जाता है, पर कई बार तो वे कीमती फलों से भी अधिक उपयोगी होते हैं। गाजर और टमाटर में बहुमूल्य विटामिनों की भारी मात्रा विद्यमान है। अन्य शाकों की अपनी-अपनी उपयोगिता एवं विशेषताएँ हैं। आलू अन्न के समान ही एक परिपुष्ट एवं समग्र भोजन है। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी जैसे शाक की तरह उगने वाले फल सस्तेपन के साथ-साथ लाभ में भी कीमती फलों का मुकाबला करते हैं। आहार में इनका अधिक समावेश करना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

स्वामी विवेकानंद आहार में शाक-भाजी अधिक लेने की बात कहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा-हम आहार शक्ति के लिए खाते हैं। शक्ति अन्न और मांस से अधिक मिलती है, फिर शाक-भाजी क्यों अधिक खाएँ? इस पर विवेकानंद ने बताया-(१) शाक खाद्यान्न की कमी पूरी करते हैं? (२) जल्दी पच जाते हैं। जितनी देर में एक पाव अन्न पचता है, शाक उतनी देर में एक किलो पचेगा। (३) शाक में खनिज व विटामिन अधिक होते हैं। (४) अनाज और मांस में जितनी शक्ति अधिक होती है, उतना ही अधिक मल उत्पन्न होता है, जिससे शरीर में सुस्ती,

भारीपन रहता है, आयु क्षीण होती है। (५) शाक में जो स्वाद है, वह अन्न में या मांस में नहीं।

किसान जिनके पास जमीनें हैं, कुछ बीघे जमीन शाक उगाने के लिए सुरक्षित रखें। आलू, रतालू, अरबी, प्याज, शकरकंद, जमीकंद, गाजर, चुकंदर, कद्दू, पेठा, गोभी, बंदगोभी जैसे शाक उगाना अति सरल है। पालक, चौलाई, मैथी, पोदीना, धनियाँ, सरसों, बथुआ, नोनिया जैसे पत्ती वाले शाक कहीं भी उगा सकते हैं। खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें, उगाने वालों को मालामाल कर देती हैं। किसान समय-समय पर उन्हें बौने लगे, तो बाजार में भी उनकी बहुत खपत हो सकती है और घर में उपयोग बढ़ाकर आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य रक्षा और अन्न बचत में योगदान बन सकता है। किसान का ध्यान इस ओर मुड़ जाए और वे थोड़ी जमीन इसके उत्पादन के लिए निश्चित सुरक्षित रखने लगे, तो शाक के लिए आज जो तरसना पड़ता है और अनाज में भी अधिक दाम देने पड़ते हैं, वह परिस्थिति न रहे। सजीव भोजन से हमारे शरीर निरोग एवं स्फूर्तिवान हों और आर्थिक लाभ भी प्रत्यक्ष सामने आए।

इस दिशा में जो किसान नहीं हैं वे भी कुछ काम कर सकते हैं और एक उत्साहवर्द्धक आंदोलन खड़ा हो सकता है। बहुत घने शहरों में जहाँ काल कोठरियों में चींटियों की तरह लोगों को किराए के घरों में रहना पड़ता है, वहाँ की बात छोड़कर अन्यत्र गाँव, कस्बों में लोगों के घर ऐसे होते हैं, जिनमें आँगन, छतें, बरामदे तथा आस-पास की खुली जगह हो। गाँवों में तो अक्सर ऐसी गुंजायश जरूर रहती है। इस खाली जगह में थोड़ा खोदकर खाद देकर शाक-भाजी उगाए जा सकते हैं। गमलों में, फूटे हुए घड़ों के आधे पैंदे में लकड़ियों की रद्दी पेटियों में मिट्टी भरकर आँगन या छत पर रखा जा सकता है और उसमें कुछ न कुछ उगाया जा सकता है। अदरक, धनियाँ, पोदीना, हरी मिर्च जैसी चीजें तो हर कहीं उग सकती हैं। यह चटनी का काम देंगी। भिंडी, तोरई, लौकी, टमाटर, मैथी, पालक जैसी चीजों का उगना वर्षा के दिनों में तो अति सुगम है। थोड़ी मेहनत में तो घर के आस-पास इतना उत्पादन हो सकता है कि शाक-भाजी की आवश्यकता को एक हद तक पूरा किया जा सके। यह शौक बहुत ही लाभदायक है। व्यायाम एवं परिश्रम भी होता है, समय का सदुपयोग रहता है, उत्पादन एवं निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है। हरीतिमा से

शोभा रहती है, पौधों से ऑक्सीजन-प्राण वायु मिलती है और ताजे शाक-भाजी खाने तथा पैसे बचने की सुविधा रहती है। यह शौक यदि अपने जातीय स्वभाव में सम्मिलित हो सके, एक की देखा-देखी दूसरा अनुकरण करने लगे, तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं।

किसानों में बहस छिड़ गई। एक कहता था-अन्न उपजाने में लाभ है, दूसरा कहता था-शाक-भाजी में। विवाद में कोई बात निश्चित न हो पाई, तब दो बीघे खेतों में अपने-अपने पक्ष की पुष्टि में प्रयोग का निश्चय किया गया। अन्न में लाभ बताने वाले ने ४० रुपये का चालीस किलो बीज लेकर व्वार-कार्तिक के दिनों में फसल बोई, चैत में काटी और वैसाख में सात माह बाद घर आई। फसल से दस मन अनाज मिला, जिसका मूल्य साढ़े तीन सौ रुपया था। शाक-भाजी वाले ने दो रुपए के बीज लेकर दो बीघे खेत में गोभी, बैंगन और टमाटर बोए। दो माह बाद फल लगने लगे। एक माह में उसे पचास मन भाजी मिली। औसत पचास पैसे किलो से उसे एक हजार रुपए की आमदनी हुई। तीन महीने में दूसरी फसल तैयार करके उसने फिर एक हजार की कमाई करके उसने तीन गुना अधिक लाभ लिया और बहस में विजयी भी हुआ।

शाक-भाजी का उद्योग अनेक बेकारों को जीविका दे सकता है। उनसे हाट-बाजार में एक मण्डी आरंभ हो सकती है। शहरों के लिए उन्हें ढोने वाले वाहनों को काम मिल सकता है। फेरी वाले धंधा पा सकते हैं। बीज और पौध बेचने का भी धंधा हो सकता है। इस संबंध में आवश्यक जानकारी देने वाली छोटी-बड़ी पुस्तकें छपने और बिकने का काम बढ़ सकता है। इस प्रकार इस उद्योग में कितने ही व्यक्ति खपाए जा सकते हैं।

एक बीघा जमीन में यदि अन्न पाँच मन उत्पन्न होता है, तो आलू सहज ही उसमें १० गुना अर्थात् ५० मन मिलेगा। गेहूँ की फसल प्रायः पूरा एक वर्ष ले जाती है, इतने समय में शाक-भाजी की तीन फसलें आसानी से ली जा सकती है। किसी के पास थोड़ी जमीन हो, तो भी अपने परिवार का निर्वाह उतने में ही कर सकता है। विस्तार कम होने से रखवाली, सिंचाई, गुड़ाई, निराई आदि आसानी से हो सकती है। उसे घर के थोड़े से व्यक्ति भी बिना बाहरी मजदूरों की खुशामद किए अपने आप सँभाल सकते हैं।

१. हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी विदेशों से अन्न क्यों मँगाता है ?
२. खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
३. शाक-भाजियों के उत्पादन से क्या लाभ होगा ?
४. अन्न के अपव्यय को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए ?
५. बड़ी दावतों से क्या हानि है ?
६. भोजन परोसने में क्या सावधानी रखनी चाहिए ?
७. सप्ताह में एक उपवास क्यों आवश्यक है ? उपवास के लाभ बताइए।
८. चूहों व कीड़ों से अन्न की बर्बादी बचाने के लिए क्या किया जाए ?
९. अन्न संकट को उत्पादन वृद्धि से ही नहीं, संरक्षण एवं उपयोग के विवेकपूर्ण तरीकों से भी टाला जा सकता है- सिद्ध करें।
१०. आज राष्ट्र की प्रमुख समस्या एवं चिंता की बात क्या है ?
११. शाकों का उपयोग अन्न से अधिक गुणकारी क्यों है ?
१२. किसानों को शाक-सब्जी क्यों उगाना चाहिए ?
१३. खाली जगहों का उपयोग शाक उगाने में कैसे किया जा सकता है ?
१४. हर जगह कौन-कौन से शाक उगाए जा सकते हैं ?



वृक्षारोपण और हरीतिमा संवर्धन

मनुष्य के जीवन धारण और उत्कर्ष में जिन जीवधारियों का प्रमुख सहयोग है, उनमें पशु और वृक्ष की गणना प्रमुख है। गोमाता के गुण गाते-गाते हम नहीं अघाते, क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र, गोबर, बैल, चर्म आदि सभी उत्पादों द्वारा पौष्टिक आहार तथा दूसरी सुविधाओं की प्राप्ति होती है। ठीक ऐसा ही अनुदान वृक्षों से प्राप्त होता है। उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों की कोई गणना नहीं। वे बोलते भर नहीं, जीव तो उनमें भी है और वह जीव भी ऐसा है, जो संतों जैसी गरिमा रोम-रोम में भरा बैठा है। वृक्ष यदि संसार में न होते, तो संभवतः हमारे लिए जीवित रहना भी संभव न हुआ होता। घासपात और वनस्पतियों की महिमा तो लोग पशुओं के आहार, औषधि, अन्न, रस्सी, फूस आदि के रूप में जानते हैं, पर वृक्षों की उपयोगिता की कम ही जानकारी लोगों में आई है।

एक व्यक्ति को स्वर्ग में देखकर महात्मा पुरुष चित्लाए और धर्मराज से बोले-महाराज ! मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसने कोई पुण्य नहीं किया, फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? धर्मराज हँसकर बोले-क्योंकि इसने बहुत से वृक्ष लगाए हैं। तुम्हारे पुण्य तो नष्ट हो गए, किंतु इसके पुण्यों का लाभ आज भी धरती वाले ले रहे हैं। क्या यह सबसे बड़ा पुण्य नहीं? महात्मा सोचने लगे, अब की पृथ्वी पर जन्मा तो वृक्षारोपण खूब करूँगा।

आमतौर से इतना ही जाना जाता है कि वृक्षों की छाया या फल-फूल काम में आते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि मनुष्य की साँस से निकलने वाली विषैली कार्बन डाई आक्साइड गैस को सोखकर निरंतर वायु को शुद्ध करते रहने का श्रेय वृक्षों को ही है, वे दिन भर यही काम करते हैं। रात को वे थोड़ी कार्बन डाई आक्साइड गैस निकालते तो हैं, पर वह मनुष्य शरीर से निकलने वाली विष-वायु जैसी हानिकारक नहीं होती। दिन भर वृक्ष ऑक्सीजन नामक प्राण वायु उगलते हैं। मनुष्य के लिए यही जीवनाधार है। ऑक्सीजन की कमी पड़ जाने से मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है और वह अन्न-जल से भी अधिक उपयोगी है। ऐसा बहुमूल्य आहार जिसकी पल-पल पर जरूरत पड़ती है और जो

रक्त में लालिमा से लेकर जीवनधारक अनेक साधन जुटाता है, वृक्ष ही देते रहते हैं। वृक्ष न हों, तो ऑक्सीजन की सारे संसार में कमी पड़ जाए और शरीर से तथा आग के जलने से निकलने वाली विष-वायु सारे आकाश को दूषित कर ऐसी घुटन पैदा कर दे कि प्राणियों का जीवन धारण ही संभव न रहे। इस दृष्टि से उन्हें जीवनदाता कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी।

वृक्षों को शंकर क्यों कहते हैं, एक पुत्र ने पिता से पूछा। पिता ने वृक्ष में जल डालते हुए का-बेटा ! समुद्र मंथन हुआ, तब देव और दनुजों ने सब कुछ बाँट लिया, पर विष कोई लेने को तैयार न हुआ, तब उसे शंकर जी ने पीकर मानवता की रक्षा की। शंकर जी ने तो ऐसा एक बार किया, पर मनुष्य गंदी साँसें, धुआँ और सड़ाधें फैलाया करते हैं, उन्हें जीवन भर यह वृक्ष ही तो पान करके वायु शुद्ध रखते हैं। बोलो यह क्या हुआ ? महाशंकर-पुत्र ने उत्तर दिया।

वृक्षों में एक ऐसा विशिष्ट आकर्षण है, जो बादलों को खींच कर लाता है और वर्षा की परिस्थितियाँ पैदा करता है। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं, वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। वृक्ष रहित प्रदेश में स्वयंमेव वर्षा की कमी हो जाती है। वृक्षों की अभिवृद्धि अपने सुख-साधनों को बढ़ाना है। उनमें कमी आना, अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति पर कुठाराघात करना है। प्राणवायु कम मिले, वर्षा कम हो और वनस्पतियाँ कम उगें, तो हम कितने घाटे में रहेंगे इसका लेखा-जोखा रख सकना कठिन है।

आँखों पर हरीतिमा का बड़ा शांतिदायक प्रभाव पड़ता है। उससे सहज ही जी प्रसन्न हो उठता है। घास तो वर्षा के दिनों में ही शोभा देती है, पर वृक्ष तो साल भर अपनी शीतलता प्रदान करते रहते हैं। उनकी छाया में जितने ही मनुष्य और पशु-पक्षी विश्राम पाते हैं, यह देखते हुए उन्हें एक खुली हुई धर्मशाला कहा जा सकता है। फूलों की शोभा देखते ही बनती है। उनकी सुगंध मस्तिष्क में प्रफुल्लता और शक्ति का संचार करती है। फलों में ही वे जीवन तत्त्व हैं, जो मनुष्य को निरोग और दीर्घजीवी बना सकते हैं। अन्न-आहार तो मजबूरी और अभाव की परिस्थिति में स्वीकार करना पड़ा है अन्यथा मनुष्य की शरीर रचना बंदर जैसे फलाहारी वर्ग में ही आती है। उसका प्राकृतिक और स्वाभाविक भोजन फल है। देह में जो-जो जीवन तत्त्व पाए जाते हैं और जिनकी निरंतर आवश्यकता रहती

है, वे अधिकतर फलों में ही भरे रहते हैं। इसलिए पूर्ण समर्थ, पौष्टिक, सात्विक और स्वास्थ्यरक्षक आहार में फलों की ही गणना की जाती है। उनमें शरीर ही नहीं मस्तिष्क और स्वभाव को भी उच्चस्तरीय पोषण प्रदान करने की क्षमता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से फलों को बहुत प्रधानता दी गई है। देवता पर चढ़ाने में फल और उपवास में फल सर्वत्र उन्हीं की गरिमा फैली पड़ी है। चिकित्सक भी रोगियों को फलों का आहार बतलाते हैं, क्योंकि वे शीघ्र ही पचने वाले, पेट पर बोझ न डालने वाले और जीवन तत्त्वों से भरपूर रहते हैं, एवं रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। ऋषि-मुनियों का प्रधान आहार फल ही था। वन्य प्रदेशों में फल वाले वृक्षों का रोपण करके, आहार समस्या से निश्चित हो जाते थे। इसमें जहाँ सुगमता थी, वहीं दीर्घ सुदृढ़ स्वास्थ्य, बुद्धि में सात्विकता तथा मनोबल बढ़ने जैसे अगणित लाभ थे। ऐसे आहार से साधना, उपासना में प्रखरता आती थी और उसी क्षेत्र में रहकर विद्याध्ययन करने वाले छात्र, मनस्वी, तेजस्वी और सुदृढ़ शूरवीर बनकर वापस लौटते थे।

वृक्षों की इस उपयोगिता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना ही चाहिए और उत्साहपूर्वक वृक्षों का आरोपण, संवर्धन, संरक्षण करना ही चाहिए। कीमती फलों वाले वृक्ष आमदनी भी, मामूली खेती से कहीं अधिक दे सकते हैं। संतरा, मौसमी, नींबू, चीकू, सेव नाशपाती, अमरूद, लीची, लुकाट, आड़ू, अनन्नास, शहतूत, अंजीर जैसे फल आसानी से उगाए जा सकते हैं। तीन-चार वर्ष उनकी रखवाली, सिंचाई आदि का प्रबंध कर लिया जाए, तो आगे फिर उनके लिए कुछ अधिक नहीं करना पड़ता है। आम, जामुन, खिरनी, महुआ, कटहल, आँवला, गूलर, पीपल जैसे वृक्ष एक बार लगे, तो सदा के लिए निश्चितता हो गई। अंगूर, केले, पपीते जैसे सामान्य फलों को तो खेल-खेल में ही थोड़ी-सी जगह में उगाया जा सकता है और हरियाली की शोभा के साथ-साथ बहुमूल्य आहार भी प्राप्त किया जा सकता है।

दुर्भाग्य से अपने देश में वृक्षारोपण के लाभों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सुविकसित देशों में उनके संवर्धन के लिए हर नागरिक में पूरा उत्साह पाया जाता है। पशुओं से भी अधिक उपयोगी वृक्षों को उगाने और बढ़ाने की जहाँ विशाल योजनाएँ बनती रहती हैं, वहाँ

अपने देश में इनको काट-काट कर समाप्त करते हुए गोहत्या जैसे कुकृत्य में हम लगे हुए हैं। कृषि के लोभ में वृक्षों का सफाया हो चला और खेतों की मेड़ों पर जहाँ कभी पेड़ों की हरीतिमा छाई रहती थी और उन पर चढ़कर बच्चे बढ़िया मनोरंजन, व्यायाम करते थे, वहाँ अब सर्वत्र सुनसान ही दिखाई पड़ता है। लोग सोचते यह हैं कि इससे जमीन खेती के लिए निकल आएगी, पर वे यह भूल जाते हैं कि वृक्षों के अभाव में वर्षा की कमी तथा सर्दी-गर्मी की मात्रा अधिक हो जाने से फसलों को जो नुकसान होगा, वह पेड़ों द्वारा छोड़ी हुई जमीन की अपेक्षा अधिक हानिकारक सिद्ध होगा।

हमें जहाँ भी सुविधा हो वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में वृक्ष लगाने का पुण्य बहुत माना गया है। पीपल, बरगद, आँवला जैसे वृक्षों की तो पूजा भी होती है। बिहार के हजारीबाग जिले में आमों के हजार बगीचे लोगों की पुण्य-प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही लगाए थे। लोकोपयोगी हर कार्य धर्म, पुण्य की गणना में आता है। इस दृष्टि से शास्त्रों और ऋषियों ने वृक्षारोपण को यदि स्वर्गदाता परमार्थ बताया है, तो उनका मंतव्य सच ही माना जाना चाहिए।

पिता ने पुत्र से कहा-बेटा ! कृषि के साथ बागवानी का पुण्य शास्त्रों में दस यज्ञों के समान बताया है। पुत्र ने कहा-पिताजी ? यज्ञ से तो वायु-प्रदूषण दूर होने का तात्कालिक लाभ मिलता है, पौधों से क्या लाभ ? पिता ने कहा-जितने दिन तुम जिंदा हो, तुम फल खाओ, लकड़ियाँ जलाओ, फिर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे। पेड़ जब तक जिंदा है, देता ही रहेगा। मरने पर भी वह काम आता है।

अपने देश में लोग गोबर जैसी बहुमूल्य खाद को जलाऊ लकड़ी की जगह काम में लाते हैं। यदि हम बेकार और हल्की भूमि में जलाऊ लकड़ी वाले वृक्ष लगा दें, तो ईंधन की समस्या हल हो सकती है और मजबूरी में जो कीमती गोबरखाद नष्ट हो जाती है, उसे बचाकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। इमारती लकड़ी अपने यहाँ कितनी कम होती जा रही है, उसका अनुभव उसकी दिन-दिन बढ़ती जा रही कीमतों को देखकर तब किया जा सकता है, जब इमारत या फर्नीचर की लकड़ी या उससे बनी वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं। लकड़ी की जरूरत बात-बात पर पड़ती है। वृक्षारोपण के अभाव में वह इतनी महँगी होती

चली जाए कि सर्वसाधारण को उसका खरीदना कठिन पड़े, तो इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।

इस आवश्यकता को समझा ही जाना चाहिए कि वृक्ष मनुष्य की एक महती आवश्यकता हैं और उनकी अभिवृद्धि के लिए नया उत्साह और नई चेतना पैदा की जानी चाहिए। रास्ते के किनारे हर जगह वृक्ष लगाए जाने चाहिए, ताकि पथिकों को सरलता और बिना थकान के यात्रा करने का अवसर मिलता रहे। जहाँ भी अवसर हो, हमें फलदार अथवा जलाऊ या इमारती लकड़ी वाले वृक्षों को लगाने के लिए स्वयं आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

प्राचीनकाल में यह प्रथा थी कि भोजन में तुलसी पत्र भगवान का प्रसाद समझकर डालते थे, तब उसे खाते थे। इस प्रथा में तुलसी की उपयोगिता से नित्य प्रति लाभ उठाने और उसके प्रति श्रद्धा बनाए रखने का भाव था। निस्संदेह यह साधारण दीखने वाला पौधा अपनी स्थूल एवं सूक्ष्म महत्ता के कारण असाधारण ही है, इसी से अपनी संस्कृति में उसे इतना ऊँचा स्थान मिला है।

संत तुकड़ो जी महाराज से एक व्यक्ति ने पूछा—हिंदू जाति तुलसी को कन्या मानती है। हिंदू धर्म तुलसी के कन्यादान को पवित्र और आवश्यक मानता है, क्या यह अंधश्रद्धा और उपहासास्पद बात न हुई? तुकड़ो हँसे और बोले—नहीं, वरन् यह भारतीय आचार्यों की बुद्धि का परिचायक है। तुलसी इतनी उपयोगी है कि उसके कन्या की तरह पालनपोषण की बात कही गई, ताकि कोई भी व्यक्ति उसके समीप होने के लाभ से वंचित न रहे।

शारीरिक दृष्टि से तुलसी एक सर्वरोग निवारक औषधि का काम देती है। विभिन्न अनुपानों के साथ वह ज्वर, खाँसी, जुकाम, सर्दी, उदररोग, धातुरोग, स्त्री रोग, मुखरोग, सर्पदंश आदि सैकड़ों रोगों में शीघ्र ही अपना असर दिखलाती है। नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य को स्थिर रखती है और अनेक संक्रामक व्याधियों से रक्षा करती है। इसके प्रयोग से सात्विक भाव की वृद्धि होती है, जिससे हृदय में श्रद्धा, भक्ति, कोमलता, क्षमा, दया आदि प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। जो गुण तुलसी की पत्तियों में बतलाए गए हैं, वे ही उसकी लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं विदेशी वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी की लकड़ी में विद्युत गुण बहुत

परिमाण में पाया जाता है। इसलिए धर्म ग्रंथों में तुलसी की माला धारण करने के बहुत अधिक लाभ बतलाए गए हैं। उससे मन की हानिकारक वासनाएँ और भावनाएँ नष्ट होती हैं और तरह-तरह के कुविचार, बुरे स्वप्न, अनिद्रा और हृदय की धड़कन में लाभ पहुँचता है। तुलसी पत्र को जल में मिलाकर प्रयोग करने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और तुरंत ही प्रभाव डालती है। इसीलिए पूजा, पाठ, हवन आदि धर्मकृत्यों के अवसर पर चरणामृत-सेवन करने का नियम रखा गया है। इसके फलस्वरूप मन में स्वभावतः उठते हुए अनेक सांसारिक भोगों और कामनाओं के विचार शांत हो जाते हैं और मनःस्थिति धर्मकार्य के उपयुक्त बन जाती है।

डा. पार्कर से एक पत्रकार ने पूछा-भारत की किस वस्तु ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? पार्कर बोले-तुलसी ने। मैंने देखा कि पंजाब में हर घर में लोग तुलसी लगाते हैं। पूछने पर और प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि तुलसी जैसा उपयोगी दूसरा कोई पौधा नहीं।

प्रश्न

१. वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है?
२. वृक्षों के संरक्षण से मानव समाज को क्या लाभ होते हैं?
३. वृक्षों की तुलना संतों से क्यों की जाती है?
४. वृक्ष, बिना कारण ही मानव समाज का हित करते हैं, सिद्ध कीजिए?
५. वन्यप्रदेश में वर्षा अधिक क्यों होती है?
६. वनों से नेत्रों की ताजगी बढ़ती है, सिद्ध करो।
७. फल-फूल एवं हरियाली के लाभ बताइए।
८. वृक्षों से भूमि संरक्षण कैसे होता है?
९. पीपल, बड़ एवं आँवले की पूजा क्यों की जाती है?
१०. वृक्ष हमारी खाद्य समस्या को हल करने में कैसे सहायक होते हैं?
११. तुलसी के पत्तों का उपयोग पूजा में क्यों किया जाता है?
१२. तुलसीदल के सेवन से क्या लाभ है?
१३. हर घर में तुलसी का पौधा क्यों होना चाहिए?
१४. तुलसी को औषधि के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है?
१५. तुलसी की उपयोगिता पर एक लघु निबंध लिखें?
१६. तुलसी चरणामृत क्यों लाभदायक है?



कला से भावनाओं का परिष्कार

भावनाओं के विकास और परिष्कार में कला का अति महत्वपूर्ण उपयोग है। संगीत, गायन, वाद्य, अभिनय, नृत्य, चित्र साहित्य आदि कला पक्ष भावनाओं को उभारने में बहुत सहायक होते हैं। इन दिनों इस पक्ष का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। कामुकता भड़काने और लंपटता को प्रोत्साहित करने में आज के कलाकार, कला प्रेमी और संचालक बुरी तरह जुटे हुए हैं और लोगों के मन मांसल रूप-विन्यास, शृंगार, यौन आकर्षण की अधोगामी चेतनाओं को अपना आकांक्षा केंद्र बनाकर शारीरिक और मानसिक स्तर पर दिन-दिन अधिक पतनोन्मुख होते चले जा रहे हैं। कला का यह प्रत्यक्ष दुरुपयोग ही है। इसे सरस्वती माता को वेश्या के स्तर पर ला खड़ा करने जैसी दुष्टता ही कहा जाएगा।

एक समाजसेवी नेता भाषण दे रहे थे और कह रहे थे, यह बड़े दुःख की बात है कि आज के छात्र उपन्यास पढ़ते हैं, अश्लील कहानियाँ पढ़ते हैं, रामायण और गीता नहीं पढ़ते।

एक युवक ने खड़े होकर कहा-श्रीमान जी ! इसके लिए कोसिए उन प्रकाशकों को, जो बुरा साहित्य छापने का कार्य करते हैं, उन साहित्यकारों को जो अश्लील साहित्य तैयार करते हैं। उन दुकानदारों को, जो ऐसा साहित्य बेचते हैं, और उन समाज सेवियों को भी, जो बुराइयाँ अधिक करते, पर आदर्श कुछ नहीं रखते? उस दिन से वह सज्जन सभाओं में भाषण करने की अपेक्षा झोला पुस्तकालय चलाने लगे।

कला की शक्ति महान् है। वह मानवीय अंतःकरण को भाव विभोर कर सकने और उसमें प्रस्तुत उच्च आस्थाओं एवं मान्यताओं को ऊर्ध्वगामी बना सकने में समर्थ है। प्राचीनकाल में कला का उपयोग लोकमानस में उत्कृष्टता का संचार करने वाली कोमल भावनाओं को तरंगित करने के लिए ही किया जाता था। कला भक्ति-रस के इर्द-गिर्द घूमती थी। ईश्वर प्रेम, भगवान को आत्मसमर्पण की हिलोरें, उत्कृष्टता के पुंज परब्रह्म के साथ व्यक्ति की अंतरात्मा को सद्भाव संपन्न बनाने के लिए अग्रसर करती

थीं। आत्मविज्ञानवेत्ता मनीषियों ने इसी प्रयोजन के लिए भक्तिरस का विशाल कलेवर खड़ा किया और उसके साथ कला के समस्त अंग-प्रत्यंगों को जोड़ा। मूर्तिकला, चित्रकला, कीर्तन, प्रभुस्तवन, वंदना, नृत्य, कथा, साहित्य आदि प्राचीनकाल के सारे कला प्रयास भक्तिरस का अभिवर्धन करने के लिए नियोजित थे। इससे अंतःकरण गुदगुदाने की भावनात्मक अर्धध्वंजना का आनंद भी मिलता था और आस्थाएँ एवं मान्यताएँ भी ऊर्ध्वगामी खनती थीं। वास्तव में इस प्रकार के सोद्देश्य कला प्रयासों को ही सार्थक कहा जा सकता है।

विष्णु दिगंबर पुलुत्स्कर ने एक पत्रकार से पूछा-आपका शास्त्रीय संगीत प्रसार आज के सिनेमा-संगीत के सामने कहाँ टिक सकता है? इस पर पुलुत्स्कर ने कहा-मैं तब तक अपने प्रयत्नों से निराश नहीं होऊँगा, जब तक इस देश के लोग यह नहीं मान लेंगे कि कला का उद्देश्य लोकरंजन नहीं, भावनाओं का परिष्कार है, भले ही मुझे और भी जन्म क्यों न लेने पड़ें।

नारद से लेकर मीरा तक प्रायः सभी संतों ने स्वान्तःसुखाय एवं लोकमंगल के लिए कला का उपयोग किया। यही उचित भी है। कला को व्यभिचारिणी बनाकर उससे फूहड़ मनोरंजन और कुत्साओं को भड़काने का प्रयोजन पूरा किया जाए, तो इससे मनुष्य को उठने में नहीं गिरने में सहायता मिलेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए युग निर्माण योजना का महत्त्वपूर्ण कदम कला को परिष्कृत स्वरूप देने और उसके माध्यम से लोकमानस की उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की ओर उन्मुख करने के लिए उठाया जा रहा है।

अश्लील चित्रों, पोस्टरों और साहित्य की होली जलाई जा रही थी। कुछ लोग उछल-उछल कर ढेर में आग लगा रहे थे। तभी वहाँ पहुँचे विनोबा जी और बोले-जितना उत्साह आज लोग बुरा साहित्य और बुरे चित्र जलाने में दिखाते हैं, उतना ही श्रेष्ठ और नैतिक उत्थान के प्रेरक साहित्य, सिनेमा और चित्रों के निर्माण में उत्साह दिखाएँ, तो खराब साहित्य फूँकने की नौबत ही न आए।

संगीत, नृत्य, अभिनय और नाट्य का इस युग में यंत्रीकरण सिनेमा के रूप में हुआ है। विज्ञान ने कला के इस पक्ष को सस्ता और सर्वसुलभ बनाया-है। शहरों और कस्बों में नित्य नए सिनेमाघर खुलते जा रहे हैं और

लाखों दर्शक उन्हें रोज देखते हैं, पर खेद इस बात का है कि अपने देश में इस अति महत्वपूर्ण कलामंच का उपयोग जनता की पशु-प्रवृत्तियों के भड़काने में किया जा रहा है। अधिकांश फिल्में कामुकता भड़काने वाली तथा उच्छृंखलता सिखाने वाली ही बनती हैं। यदि फिल्म उद्योग का उद्देश्य लोक शिक्षण रहा होता, तो हजार वर्ष की गुलामी से उठे इस देश के पिछड़े लोकमानस को परिष्कृत करने के लिए फिल्म उद्योग अति महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकता था, पर जिन्होंने पशु-प्रवृत्तियों के उभारने के सस्ते तरीके अपना कर अपनी जेबें भर लेने की ठान ठानी हो, उनसे कोई क्या कहे? और कहने का क्या परिणाम निकले?

सिनेमा के वर्तमान स्वरूप को हटाना और इसके स्थान पर आदर्शवादी फिल्में प्रस्तुत करना, इस समय अपने लिए संभव नहीं, पर नाट्य मंच को स्वल्प पूँजी में विकसित करके और उसके प्रसार का क्षेत्र व्यापक बनाकर लोकरंजन को नई दिशा देने में अभी भी अपनी वर्तमान क्षमता से बहुत कुछ किया जा सकता है। सो वही किया भी जा रहा है। युग निर्माण योजना का कलामंच इन दिनों इसी प्रकार का सृजनात्मक प्रयत्न अति उत्साह के साथ आरंभ कर रहा है।

प्रश्न

१. कला एवं संगीत का मुख्य प्रयोजन क्या है?
२. आजकल कला का दुरुपयोग अधिक हो रहा है, सदुपयोग क्यों नहीं? कारण सहित समझाइए कि प्राचीनकाल में कला का उपयोग किसलिए किया जाता था?
३. किन कला प्रयासों को सार्थक कहा जा सकता है?
४. मनोरंजन की सुरुचिपूर्ण योजनाएँ किस प्रकार चलाई जा सकती हैं?
५. वर्तमान फिल्मों में क्या त्रुटियाँ हैं? फिल्म उद्योग का उपयोग सत्प्रवृत्तियों की वृद्धि हेतु कैसे किया जा सकता है?
६. कला का उपयोग युग निर्माण हेतु कैसे किया जा सकता है?

